खण्ड-270, अंक-7
गुरूवार, 17 अग्रहायण, शक संवत् 1888
(8 दिसम्बर, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 270 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ८ दिसम्बर, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३४६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव,श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा,श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादे ी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
(उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे०पी०मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथ प्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेंद्रसिंह, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नायूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां न, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फतहसिंह, श्री

बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेंद्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधवनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां , श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघनाथसिंह, श्री
रघवीर राम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर

राजेंद्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री,
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखोसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री

सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—गृह मंत्री श्री हरगोविन्द सिंह, राजस्व मंत्री, श्री हुकुम सिंह बिसेन, गृह उप-मंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमंत्री श्री राम नारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

कार्य-सूची में प्रश्नों के न होने पर आपत्ति

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, आज तो एक अजीब स्थिति है कि सिर्फ साइक्लोस्टाइल्ड करके कार्यक्रम दिया गया है लेकिन प्रश्नों की कोई सूची नहीं दी गयी है। जब तक उत्तर नहीं आते सप्लीमेंट्री प्रश्न कैसे किए जा सकते है ? आज प्रदेश का सारा काम काज ठप हो गया है। सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने आर्डिनेन्स का विरोध किया है। इस समय सारे प्रदेश का निजाम बिगड़ा हुआ है। कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो म आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर कार्यक्रम के साथ प्रश्नों की सूची नहीं है तो किस प्रकार से आप काम चलायेंगे। एक घंटे का कार्यक्रम है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्य कैसे चलेगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....।

श्री अध्यक्ष—

पहले उसको समाप्त हो जाने दीजिए। दूसरी बात बाद में आयेगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, माननीय केशरी प्रसाद जी की व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा भी एक निवेदन है और वह यह है कि आपने प्रश्नों को जो सूची दी है वह भी अस्थायी है। जो सूची दी गयी है, उसमें भी २-४ प्रश्नों के उत्तर दिए गये हैं। नत्थी "क" भी दो-दो हैं और जिन नत्थियों का उल्लेख एजेन्डा में दिया गया है, उनको भी शामिल नहीं किया गया है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, यदि सरकार में और सरकारी कर्मचारियों में कोई समझौता न हुआ तो इसकी कल्पना आप सोच सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मेरे इमकान में जो था, वह मैंने आदरणीय सदन के सामने रखा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेस तो सरकार का है, हमारा नहीं है। हमारे पास जो साधन थे, उनको प्रयोग में लेकर आपकी सेवा की है। जो प्रश्न कर्ता हैं, उनको प्रश्नों के उत्तर दे दिये गये हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

तो, श्रीमन्, हमको आप छुट्टी दे दीजिए। जब हमको पता नहीं है कि क्या उत्तर है तो हम कैसे सप्लीमैन्टरी प्रश्न कर सकते हैं ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, इससे तो काम नहीं चलने वाला है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह है कि एजेन्डे में सवाल नहीं है जो हमारे पास है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, सरकार झूठ बोलती है कि हड़ताल पूरी तरह से नहीं हुयी है। हड़ताल की ही वजह से एजेन्डा नहीं छपा है। सरकार को झूठ बोलने से आप क्यों नहीं रोक सकते है ?

श्री अध्यक्ष—

झूठ और सच का सवाल नहीं है। अब यहां पर मैं समझता हूं कि आदरणीय सदन में जो कुछ हम कर सके हैं हमने किया है और अधिक अच्छा तो यह होगा कि जिन महानुभावों के प्रश्न हैं उनके उत्तर आ चुके हैं। उनको इस समय स्थगित करना उचित नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

तो श्रीमन्, हमारे सप्लीमेंटरी प्रश्नों के पूछने के राइट का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आपको सप्लीमेंटरी प्रश्न करने का राइट तो वैसे ही है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जब हमें सवालों का ही पता नहीं तो फिर क्या हो सकता है ?

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

आप सरकार से क्या कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कह रहा हूं कि जहां तक इस सदन के माननीय सदस्यों का प्रश्न है, उन को ५ वर्ष से देख रहा हूं और मैं समझता हूं कि यहां के सदस्य इतनी कुशाग्र बुद्धि के हैं कि उन के पास अगर मूल सवाल न भी हों तो अनुपूरक प्रश्न कर सकते हैं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, बीच में न बोलें। मैं कह रहा था कि इतनी कुशाग्र बुद्धि के माननीय सदस्य हैं कि प्रश्न न होते हुए भी आप अनुपूरक प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न पढ़ दिया जाय, उस का उत्तर आ जाये और तब सप्लीमेंटरी प्रश्न करें, अन्यथा १ घंटा व्यर्थ जायगा।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन का मत लिये लेता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं रह गयी है।....

श्री अध्यक्ष—

नहीं रह गयी है तो आप फिर क्यों बैठे हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र—

विधान सभा के प्रति कौन उत्तरदायी होगा जब सरकार ही नहीं। सारी बसें ठप्प हैं, सारा प्रदेश का काम काज बन्द है।

श्री अध्यक्ष—

सरकार है या नहीं, यह आप के मत के ऊपर निर्भर नहीं करता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप बतायें कि सरकार है कि नहीं। सरकार ने माना है कि व्यवस्थित रूप से काम नहीं चल रहा है, कोई एजेंडा नहीं है, किसी को टेलीफोन कीजिये विभागों में तो कोई जवाब नहीं देता।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं बताता हूं। मैं कह रहा था कि जहां तक व्यक्तिगत मत है मैं इस बात को मानता हूं कि असुविधा है। साथ-साथ कहता हूं कि जो साधन मेरे पास हैं उन को प्रयोग में लाकर आप की सेवा को। मैं सोचता हूं कि प्रश्न पढ़ दिये जायं, उन का उत्तर सुन लें, जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न दिये हैं, उन के पास उत्तर भेज दिये गये हैं, और उस पर अनुपूरक प्रश्न कर लें। अगर आप प्रस्ताव रखते हैं कि प्रश्न न हों तो मैं सदन की राय ले लूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

केवल दुर्व्यवस्था की ओर आप का ध्यान आकर्षित किया था।

श्री अध्यक्ष—

मैं मानता हू।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

रोज-रोज सरकारी प्रेस से काम कराने के कारण हमारा काम रुक जाता है। तो क्या हमारा सचिवालय किसी दूसरे प्रेस से एजेंडा नहीं छपवा सकता है ताकि विधान सभा का काम इस नालायकी के कारण न रुके?

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, १ व २ में मेरे प्रश्न मंजूर हैं, वे नहीं आये।

(श्री बिपिनबिहारी तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

एजेन्डे में श्री बिपिन बिहारी का नाम ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जो आज के लिए निश्चित हैं वही पढ़ रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के बाद नत्थी 'क' में माननीय कमला सिंह यादव, श्रीमती किश्वर आरा बेगम, माननीय लखपत राय शर्मा के प्रश्न हैं। अभी-अभी हम को श्री कैलाश नाथ मेहरोत्रा ने दिया है।

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

नत्थी 'ख' में संशोधन वक्तव्य मुझे देना है।

श्री रघुबीरसहाय कैथवार—

मेरे दो प्रश्न आज के लिये अल्पसूचित में मंजूर हुये हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कृपया अपना और हमारा एजेंडा मिलवा लें तब फिर हम आगे चलें।

श्री अध्यक्ष—

इसमें है प्रश्नोत्तर, देखिये नत्थी क, ख, ग, घ और ङ (क) में एक प्रश्न आज के लिये है। (ख) में माननीय गृह मंत्री सशोधित वक्तव्य देंगे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

नत्थी (ख) में मेरा प्रश्न है। मुझे उत्तर मिला है। अजीब मामला है। यह सरकार तो बिलकुल खत्म है।

श्री अध्यक्ष—

आप क्यों घबराते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर आयेगा।

अब नत्थी (ख) में मूल प्रश्न का संशोधित उत्तर दे रहे हैं। माननीय सदस्य आज मौजूद नहीं हैं इसलिये आज वह नहीं होगा। नत्थी (ग) में माननीय कमला सिंह....

श्री रघुबीरसहाय कैथवार—

मेरा प्रश्न है १ और २।

श्री अध्यक्ष—

आप जो कह रहे हैं वह आज के लिये नहीं है। वह स्थगित है।

श्री रघुबीरसहाय कैथवार—

जवाब तो मुझे आज मिला है।

श्री अध्यक्ष—

किस नत्थी की बात कर रहे हैं आप ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अल्प सूचित सवाल का उत्तर उसी दिन देते हैं जिस दिन एजेंडा में आता है। अब एजेंडा में छट गया है, उत्तर उनको मिल गया है।

श्री लक्ष्मणराम शर्मा (जिला झांसी)—

यह शासन व्यवस्था बिलकुल ठप्प हो गयी है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यही तो मैं भी कह रहा हूं। हमारा प्रस्ताव यही है कि सरकार नहीं है, सारी अव्यवस्था है, शासन बिलकुल ठप्प है। ऐसी हालत में यह विधान सभा किस के प्रति जिम्मेवार होगी ?

श्री रामेश्वरप्रसाद—

मेरा प्रस्ताव यह है कि आज बजाय आपके सदस्य पुकारें नत्थो (ग) कि हमारा जवाब मिल गया है, अब हम प्रश्न पूछते हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

यह एजेंडा अड बंड हो गया है। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। इसको आप जल्दी से दुरुस्त कराइये ताकि हम सही ढंग से सवाल कर सकें।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह समझूं कि आप लोग चाहते हैं कि आज सवाल न लिये जायं ?

(नहीं नहीं की आवाजें)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरा सुझाव यह है कि आप प्रश्न पढ़ दें और मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष—

वही मैं कर रहा हूं। अब मैं यों कर रहा हूं कि मैं प्रश्न पढ़ दूंगा और उसके उत्तर उधर से आजायेंगे। अब यह व्यवस्था हो गई है। उत्तर मौजूद हैं, अगर किसी महानुभाव के पास जवाब न आया हो तो वह मुझे बता देंगे। (व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ८ दिसम्बर, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गंगोह परगना के किसानों की मांगें

**१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला सहारनपुर के परगना गंगोह के किसानों ने अभी हाल में सूखा से क्षति ग्रस्त क्षेत्र के लिये कुछ मांग-पत्र मुख्य मंत्री को भेजे हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं और उनके लिये सरकार ने क्या-क्या सहायता की है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

जी हां। इन मांग-पत्रों में बाढ़ तथा सूखे से क्षति होने का उल्लेख करते हुए विभिन्न सहायता कार्यों की मांग की गई थी। मांग-पत्रों में उल्लिखित ग्रामों में सूखे से हानि नहीं हुई।

विगत जुलाई, अगस्त, १९६६ में अधिक वर्षा के फलस्वरूप बाढ़ तथा जलप्लावन से फसलों आदि को हानि हुई थी। इस सम्बन्ध में नियमानुसार सहायता प्रदान की गई।

श्री रामचन्द्र विकल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नियमानुसार किसानों को क्या सहायता दी गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

८१० रुपये अहेतुक सहायता दी गई। गृह निर्माण के १,१८४ रुपया और १५,८९० रुपया तकावी के रूप में दिया गया। इसके अतिरिक्त मिट्टी का तेल, चीनी, सीमेन्ट इत्यादि चीजें दी गईं जिनका ब्योरा दिया हुआ है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उसको मैं पढ़ कर सुना सकता हूं। वह इस तरह से है कि मिट्टी का तेल ४,९०० लिटर, चीनी ५३ क्विंटल और सीमेंट के १९०० बोरे दिये गये। इसके अलावा रबी के बीज के ३,२३९ बोरे दिये गये हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने कहा है कि रबी की फसल क्षति ग्रस्त नहीं हुई है। यह रिपोर्ट किस सरकारी अधिकारी ने दी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

श्रीमन्, बाढ़ इत्यादि के संबंध में तहसील के लोग जो निकटवर्ती गांव से संबंध रखते हैं, उनकी ही रिपोर्ट है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि गंगोह इलाके में गन्ने की फसल ३५ परसेंट से लेकर ५० परसेंट तक ही पाई है और उपज आधी हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

श्रीमन् जी, हमारे पास जो सूचना है उसमें तो १५ परसेंट नुकसान है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बीज के लिये जो रुपया दिया गया है उससे बीज का वितरण हुआ है ? यदि हुआ है, तो कब ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

३,२३९ बोरे दिये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

कब दिये गये हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

श्रीमन्, पहले मंत्री जी ने कहा कि सूखे से कोई प्रभाव फसल पर नहीं पड़ा। अब कहा है कि गन्ने की फसल १५ परसेंट कम है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ३५ से ५० परसेंट कम हुई है। क्या मन्त्री जी इसकी जानकारी कराने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामचन्द्र विकल---

अध्यक्ष महोदय, गन्ने की फसल में अधिक पानी हो जाय तब भी क्षति पहुंच सकती है। सरकार सूखे और वर्षा दोनों से क्षति मानती है तो फिर लगान, आबपाशी किसानों का क्यों नहीं माफ किया जाता ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सूखे से हम नहीं मानते हैं। जल प्लावन और अतिवृष्टि से जहां पचास पैसे से नीचे की हानि हो वहां माफी का प्रश्न उठता नहीं। जहां उस के ऊपर हानि है उसके लिए नक्शा वगैरह बना कर राजस्व परिषद् और आयुक्त के पास भेज दिया गया है।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जो कार्यों की सूची दी गई है यह गंगोह तहसील के सम्बन्ध में है या पूरे जिले के सम्बन्ध में है? और क्या सीमेंट गंगोह तहसील में बंटा है या पूरे जिले में बंटा है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

२७ ग्रामों के सम्बन्ध में यह दिया गया है, पूरे जिले के सम्बन्ध में नहीं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

मेरे प्रश्न का क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद बता देंगे। तय यह हुआ है कि मैं प्रश्न पढ़ता जाऊंगा और उसका उत्तर आता जायगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय अध्यक्ष जी, तमाम लोगों को एजेंडा नहीं मिला है। उनको सूचना ही नहीं है। उनका सवाल लैप्स न समझा जाय। यह समझा जाय कि उनको सूचना नहीं है।

२८ अगस्त, १९६३ को श्री बिपिनबिहारी तिवारी द्वारा पूछे गये प्रश्न ४८ के उत्तर में संशोधन

मूल प्रश्न

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १० अगस्त, १९६३ के लखनऊ स्थित आदर्शनगर में पुलिस द्वारा एक परिवार में घुस कर महिलाओं को आतंकित किया गया जिस पर जनता तथा पुलिस के बीच संघर्ष हो गया और अनेक नागरिक घायल हुए? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मूल उत्तर

विवरण

घटना तथा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

दिनांक १०-८-१९६३ को श्री बख्शी मंगल स्वरूप, निवासी १७-बी, शृंगार नगर, थाना कृष्णानगर, लखनऊ ने साइकिल की चोरी की एक रिपोर्ट मोहल्ला रामनगर के एक दुकानदार महेन्द्रसिंह के विरुद्ध थाना कृष्णानगर में लिखाई। इस मामले की जांच एस० आई० श्री डी० डी० वर्मा, सेकेन्ड आफीसर, थाना कृष्णानगर के सुपुर्द हुई। वे कान्स्टेबुल शब्बीर अहमद व जयकरन सिंह के साथ महेन्द्र सिंह की दुकान पर पहुंचे। महेन्द्र सिंह ने बताया कि चोरी के मुकदमे से संबंधित साइकिल मेरे घर पर मोहल्ला आदर्शनगर में रखी है। सब-इन्स्पेक्टर ने महेन्द्र सिंह को हिरासत में लिया और उसके घर पर मोहल्ला आदर्शनगर में साइकिल बरामद करने के लिये गये। उनके साथ दो गवाह भी मौजूद थे। महेन्दर सिंह को ले कर जब सब-इंस्पेक्टर उसके घर में दाखिल हुए तो महेन्द्र सिंह का भाई

ईश्वर सिंह आ गया और महेन्दर सिंह से पंजाबी में कुछ बातचीत की और चला गया। थोड़ी ही देर में सरदार अमरीक सिंह, उनकी बीबी, उनका लड़का सुरेन्द्र सिंह व उनकी लड़की हरजेन्दर कौर आ गए। अमरीक सिंह ने आते ही महेन्दर सिंह को हिरासत से छुड़ाने की कोशिश की और सब-इंस्पेक्टर को धक्का दिया। उन्हें करीब १५ औरतों व मरदों ने घेर लिया। जब वे मुलजिम को छुड़ाने में नाकामयाब रहे तो उन्होंने लातों, घूसों व डन्डों से पुलिस वालों को मारना शुरू किया और एक सरदार साइकिल लेकर पीछे दरवाजे से निकल गया। कान्स्टेबुल जयकरन किसी तरह से वहां से निकल कर भागा और पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ी को सूचना दी। कन्ट्रोल रूम के स्टाफ ने बड़ी कठिनाई से सब-इन्स्पेक्टर व कान्सटेबुलों को छुड़ाया।

सब-इन्सपेक्टर डी० डी० वर्मा की सूचना पर धारा १४७/३३२/२२५/२२४/३४२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत थाना आलमबाग पर एक मुकदमा कायम हुआ। श्री अमरीक-सिंह ने भी स्टेशन आफीसर, आलमबाग को जब वह उपरोक्त सूचना पर मौके पर पहुंचे, एक रिपोर्ट दी। सरदार अमरीक सिंह की इस रिपोर्ट पर एक मुकदमा धारा १४७/३२३/४५२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत सब-इंसपेक्टर डी० डी० वर्मा व अन्य पुलिस वालों के विरुद्ध थाना आलमबाग में कायम हुआ।

इस घटना में कान्स्टेबुल शब्बीर अहमद को दो साधारण चोटें, कांस्टेबुल जयकरन सिंह को ६ साधारण चोटें, तथा सब-इंसपेक्टर राम शकल चौबे, जो कन्ट्रोल रूम की गाड़ी में थे हाथ में एक साधारण चोट पहुंची।

जिन बारह आदमियों को चोटें पहुंचने की सरदार अमरीक सिंह ने लिखाया था उनमें से एक व्यक्ति ने तो डाक्टरी ही नहीं कराई, ६ व्यक्तियों के जिस्म पर कोई चोट नहीं पाई गई। बाकी ५ व्यक्तियों के जिस्म पर एक-एक चोट पाई गई।

उपरोक्त दोनों मुकदमों में जांच हो रही है।

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

उपाध्यक्ष महोदय, मूल उत्तर से संलग्न विवरण में अंतिम वाक्य "उपरोक्त दोनों मुकदमों में जांच हो रही है।" के स्थान पर निम्नांकित वाक्य होना चाहिये था :—

"उपरोक्त दोनों मुकदमे जांच के लिये पेंडिंग हैं।"

इन दोनों मुकदमों में बाद में जांच नहीं की गई।

प्रश्नोत्तर [क्रमागत]

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री दीपनारायण सिंह तथा श्री श्रीराम—

(छठे शुक्रवार के लिये प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया)

गन्ने का मूल्य

*२—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगले वर्ष के लिये गन्ने का मूल्य सरकार क्या निर्धारित कर रही है ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

केन्द्रीय सरकार द्वारा १९६७-६८ सीजन के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये जाने के लिये राज्य सरकार से विचार आमंत्रित किये हुये हैं और उत्तर प्रदेश तथा बिहार गन्ना बोर्ड की बैठक बुलाई जा रही है, जिससे दोनों राज्य सरकारों द्वारा संयुक्तरूप से सिफारिश की जा सके।

रामपुर बैंकर्स का रुपया

*३—श्रीमती किश्वर आरा बेगम (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर बैंकर्स के जिस रुपये पर सरकार ने १९५२ में कब्जा किया था वह कब तकसीम होने वाला है, और उस में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

रामपुर बैंकर्स के जिस रुपये पर सरकार ने १९५२ में कब्जा किया था, उसको तकसीम करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश तो हो चुके हैं परन्तु कुछ दंडित अभियुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है, जिसका निर्णय अभी नहीं हुआ है। निर्णय होने पर जब संबंधित रिकार्ड प्राप्त होंगे तभी रुपयों की तकसीम हो सकेगी।

जिलाधीश झांसी

*४—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी) तथा श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बतायेंगी कि क्या यह सत्य है कि माह जुलाई, सन् १९६६ से झांसी में कलेक्टर के पद पर कोई मुस्तकिल कलेक्टर न होने के कारण आवश्यक जनहित के कार्यों का एक बड़ा ढ़ेर लगा हुआ है? क्या यह भी सत्य है कि झांसी प्रान्त में फर्स्ट क्लास जिला है तो जिलाधीश के माह जुलाई, १९६६ में तबादले के पश्चात् कोई अन्य जिलाधीश न भेजने के क्या कारण हैं?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

झांसी जिले में कुछ समय तक जिलाधीश के पद पर प्रशासकीय कारणों से किसी स्थाई कलेक्टर की नियुक्ति नहीं की जा सकी, किन्तु जिलाधीश के कार्यालय का कार्य नियमित रूप से चलता रहा।

श्री लखपतराम शर्मा—

किस तारीख और किस माह में झांसी के कलेक्टर का ट्रांस्फर हुआ और नये जिलाधीश ने कब चार्ज लिया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

११ जून, १९६६ से १० जुलाई, १९६६ तक एम० एस० दास कमिश्नर छुट्टी पर रहे। उनकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आफिशिएट करने लगे ऐज कमिश्नर। (श्री अख्तर आलम ने आफिशिएट किया ऐज कलेक्टर) जो स्थायी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे अग्रवाल साहब ६ अक्तूबर को।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या यह सही है कि इस अवधि में श्री दशरथ सिंह और एक अन्य अधिकारी को झांसी के कलेक्टर के पद पर भेजने के आदेश जारी किये गये तो उनके आदेश कैंसिल किये जाने के क्या कारण थे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

हां, एक दफा एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से सोचा गया था कि इनको न भेजा जाय।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कोसी कलां से श्रीमती सुरेन्द्र कौर को नारी निकेतन, मथुरा भेजना

*१---श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुरेन्द्र कुमारी, पत्नी ईश्वरी प्रसाद का कोसी कलां में गुण्डों तथा पुलिस इन्चार्ज श्री नेत्रपाल सिंह ने उससे बलात्कार किया और उस नारी का अपहरण कराया गया तथा श्री ईश्वरी प्रसाद को १४ दिन अज्ञातवास किसी मकान में बन्द करके कत्ल करने का इरादा किया जिसकी इत्तला सरकार को ७ मई, १९६६ को भेजी गई? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जी नहीं, यह सही नहीं है कि श्रीमती सुरेन्द्र कौर के साथ कोसी कलां में गुन्डों ने तथा पुलिस इंचार्ज श्री नेत्रपाल सिंह ने बलात्कार किया और उसका अपहरण कराया।

अमुक व्यक्तियों के विरुद्ध ईश्वरी प्रसाद के इस शिकायती पत्र पर कि उन्हें १४ दिन अज्ञातवास किसी मकान में बन्द रक्खा गया एवं कत्ल करने की धमकी दी गई, पर जांच करने के बाद थाने पर एक मुकदमा अ० स० ४४। भा० दं० वि० की धारा ३४४ के अन्तर्गत कायम किया गया और अभियुक्तों का चालान कर दिया गया।

*२---श्री लखीसिंह---

क्या गृह मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इस सुरेन्द्र कौर को नारी निकेतम मथुरा में पकड़ कर भेज दिया है और वह गुण्डे तथा थानेदार साहब नारी निकेतन के अधिकारी से मिलकर उक्त औरत के पास जाते हैं, जिनके चित्र सं० सो० पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने लिये हैं। और इसके प्रार्थना-पत्र भी मई के महीने में सरकार तथा जिला अधिकारियों को भेजे हैं। यदि हां, तो उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो इस घटना की जांच की रपट सदन की मेज पर रक्खी जायगी?

श्री शिव प्रसाद गुप्त---

यह सही है कि श्रीमती सुरेन्द्र कौर को नारी निकेतन भेजा गया। इस प्रश्न में उल्लिखित शिकायतों के बारे में सी० आई० डी० द्वारा जांच की गई जिससे यह आरोप सही नहीं पाये गये। सी० आई० डी० की जांच की रिपोर्ट के संगतप्रद उद्धरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९३० पर)

श्री लखीसिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सी० आई० डी० की रिपोर्ट है, वह अंग्रेजी में ३--४ लाइन की है। वह पढ़ नहीं पाया कि वह क्या ऊट पटांग है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर थानेदार ने कोई जुल्म नहीं किया और इस बलात्कार में शामिल नहीं रहा तो दो-दो घंटे में उसका बिस्तर बंधवाकर उसे क्यों भेजवा दिया गया जबकि मैंने अनशन किया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

अनशन का क्या परिणाम निकला, यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका इटावा ट्रांसफर प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया। बलात्कार का कोई प्रश्न नहीं आता सी० आई० डी० की रिपोर्ट के अनुसार।

श्री हिम्मतसिंह---

जब यह विवाहित महिला थी, तो उसे नारी निकेतन में भेजने का क्या आधार था?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह दिल्ली की रहने वाली महिला हैं। इसके बाप ने इसे जयपुर में नर्सिंग ट्रेनिंग के लिये भेजा था। यह ईश्वरी प्रसाद नामक व्यक्ति के साथ भागकर कोसी में आकर बसी थी। उस औरत का चरित्र भी अच्छा नहीं है और जिन दूसरे आदमियों से दोस्ती कर ली उनमें आपस में झगड़ा है। शान्ति और व्यवस्था खराब हो गयी, इसलिये उसको नारी निकेतन भेज दिया गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय लखीसिंह जी को जो पत्र प्राप्त हुआ है सी० आई० डी० की रिपोर्ट का वह अंग्रेजी में है। श्रीमन्, व्यवस्था दे चुके हैं कि सदन के अन्दर कोई भी रिपोर्ट या उत्तर मंत्री जी की तरफ से आवे वह अंग्रेजी में नहीं आना चाहिये और लखी सिंह जी को खास तौर से।

श्री अध्यक्ष---

बजाय इसके अनुवाद भेजना चाहिये था, सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये।

श्री लखपतराम शर्मा---

मंत्री जी ने कहा कि इंतिजामन तबादला थानेदार का हुआ और आज कह रहे हैं कि माननीय सदस्य के प्रयत्नों के कारण हुआ, तो इन दोनों में कौन-सी बात सही है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैंने यह कहा था कि अनशन का क्या नतीजा निकला इसकी सूचना तो मुझे नहीं है लेकिन इंतजामन उसको हटाया गया है और बलात्कार आदि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा---

मैंने तो यह प्रश्न किया कि आपने जो तीन चार दिन पहले कहा था वह सही है या जो आज कह रहे हैं वह सही है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

सी० आई० डी० से सब मामलों की जांच करवाई गई और इसी प्रशासनिक दृष्टि से उनको इटावा भेजा गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

श्रीमती सुरेन्द्र कौर को पुलिस ने पकड़ा या किसी और ने और किसके आदेश से उसको नारी निकतन भेजा गया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त

इसके लिये तो मुझे सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि वह भागी थी अपनी मरजी से और लोगों ने जब रिपोर्ट की तब मैजिस्ट्रेट ने उसको नारी निकेतन भेज दिया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जब वह स्त्री कोसी कलां में आकर बस गयी थी तब क्या वजह थी कि पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लिया और जब उसके पति ने शिकायत की तब पुलिस ने उसको ले जाकर नारी निकेतल में रख दिया ? माननीय मंत्री जी असलियत को क्यों छिपाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

असलियत तो आप जानते हैं। उनके पास जो सूचना है वह उन्होंने बता दी।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

जो रिपोर्ट लाज की गयी थी उसमें मुद्दई कौन था और क्या उसमें मुलजिमान के खिलाफ ही लिखाया गया था, थानेदार के खिलाफ वह लिखाना चाहते थे लेकिन उनके खिलाफ रिपोर्ट में नहीं लिखा गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसकी सूचना मुझे नहीं है कि थानेदार के खिलाफ लिखाना चाहते थे और नहीं लिखी गयी।

श्री लखी सिंह—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि कोसी की जनता जिसमें जनसंघ, कांग्रेस, सभी पार्टी थीं, उन्होंने इसी कांड के विरोध में प्रस्ताव पास किया और उन प्रस्तावों को मुख्य मंत्री जी को और समाज कल्याण मंत्री को अपनी मांगों के सम्बन्ध में भेजा था तो क्या वह प्रस्ताव आपको मिला ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

बृहस्पतिवार के दिन माननीय लखीसिंह जी ने यह प्रश्न किया था। यह सुरेन्द्र कौर नाम की महिला कोसी कलां से पकड़कर नारी निकेतन मथुरा में पहुंचाई गई जिसकी शिकायत माननीय लखीसिंह ने माननीय मुख्य मंत्री और समाज कल्याण मंत्री जी से की। तब तुरन्त यहां से डिप्टी डाइरेक्टर भेजे गये और डिप्टी डाइरेक्टर श्री मिश्रा के साथ माननीय लखीसिंह भी खुद गये। सुरेन्द्र कौर का बयान डिप्टी डाइरेक्टर और माननीय लखीसिंह के सामने हुआ। सुरेन्द्र कौर ने उस व्यक्ति को अपना पति कहने से इन्कार कर दिया। किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं हुई, यह माननीय लखीसिंह के सामने उसने अपने बयान में कहा। इसके बाद सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस और उसके माता-पिता जो पंजाब से आये थे, इन सबने उस लड़की से मुलाकात की। जिसको कोसी के लोगों ने उसका कथित पति बतलाया था उसको उस लड़की ने अपना पति कबूल नहीं किया और उससे मुलाकात करने से इन्कार कर दिया। वह लड़की परगनाधीश के द्वारा कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब पहुंचाई गई।

शोहरतगढ़ से पुलिस के खिलाफ शिकायत

*३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को कस्बा शोहरतगढ़, थाना चिल्हियां, जिला बस्ती के निवासियों से स्थानीय पुलिस के विरुद्ध माह फरवरी, अथवा मार्च, १९६६ में कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उसमें सरकार क्या कर रही ह ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां। इस सम्बन्ध में जांच की गई परन्तु आरोप सही नहीं पाये गये।

बरेली रेलवे यार्ड में अग्निकांड

*४—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, १९६६ के प्रथम सप्ताह में २ जन को बरेली रेलवे यार्ड में रेलवे स्लीपर बनाने वाले कारखाने में भयंकर आग लग जाने के कारण १० लाख से ऊपर की हानि हुई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कथित अग्निकांड से १० लाख का नुकसान नहीं बल्कि ४ लाख ४० हजार का नुकसान हुआ अनुमान किया जाता है।

*५—श्री झारखंडे राय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सही है कि यह काण्ड किन्हीं राष्ट्रद्रोही तत्त्वों के तोड़फोड़ का परिणाम है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी नहीं।

श्री झारखंडे राय—

क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि कौन से कारण थे जिन की वजह से यह अग्निकांड हुआ, इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है या नहीं ? यदि हां, तो किनकी और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह आग रेलवे इंजन के पीछे जो ट्राली लगी थी उसकी वजह से लगी है। यह आग किसी ने लगाई नहीं थी। इस सम्बन्ध में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है क्योंकि आग लगाने में किसी का हाथ नहीं था।

आगरा फुटवीयर सिंडीकेट को ऋण

*६—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा फुटवीयर सिंडाकेट आगरा को खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने अब तक कितना-कितना धन ऋण एवं अनुदान के रूप में दिया है तथा उसके सदुपयोग के बारे में कोई जांच की गई है अथवा नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

आगरा फुटवियर सिंडीकेट को अब तक दिये गये ऋण तथा अनुदान का ब्यौरा संलग्न है।

ऋण एवं अनुदान के सदुपयोग के विषय में जिला उद्योग अधिकारी बराबर जांच करते रहते हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९३१ पर)

*७—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या यह सही है कि कुछ गम्भीर अनियमितताओं के कारण आगरा सिंडीकेट को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि में से १ लाख रुपया रोक लिया गया है ? यदि हां, तो वह अनियमितताएं क्या हैं और ऐसी परिस्थिति में पिछले दिये गये धन की सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या कदम उठाया जा रहा है?

*८—क्या यह सही है कि जो धनराशि अब तक सिंडीकेट को दी गई है उसका काफी मात्रा में दुरुपयोग हो चुका है और जिला उद्योग अधिकारी आगरा ने भी इसकी शिकायत की है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी नहीं।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस सिंडीकेट को आपसे ६३–६४, ६४–६५ और ६५–६६ में ३१,५०० रु० अनुदान के और १,४५,६२५ रु० ऋण में दिये गये। ये अनुदान बिक्री भंडार, से मीनार, प्रदर्शिनी और रिटेल शाप्स खोलने के उद्देश्य से दिये गये। मेरी सूचना को आधार मान कर कि इस सिंडीकेट का न कोई बिक्री भंडार है, न सेमिनार्स और प्रदर्शिनियां ही हुई हैं और न ही कोई रिटेल शाप्स खुली हैं, न कोई इसका अपना कारखाना है, न कोई जूते का कारीगर इसका मेम्बर ही है, इस धन का दुरुपयोग हुआ है, क्या मंत्री जी इसकी जांच सी० आई० डी० के द्वारा करवायेंगे?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसमें सी० आई० डी० का कोई काम ही नहीं है। माननीय सदस्य सूचना दे दें। मेरे पास जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार मैंने निवेदन कर दिया है। यह आगे का मामला है, इसकी जांच हो जावेगी।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

मान्यवर, जो इसका हिस्सा पूंजी दोनों में है उससे ज्यादा ऋण के लिये अनुदान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हिस्सा पूंजी का जो धन रखा गया है वह कम है और अनुदान ज्यादा है। इसकी पूंजी में जो कर्जा दिया गया है वह भी ज्यादा है। ऐसा कौन सा कारण था कि उसमें धनराशि ज्यादा देने की आवश्यकता पड़ी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वैसे यह ऋण खादी कमीशन ने दिया है। वह इन्डिपेंडेंट बाडी है। सरकार ने कोई ऋण नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि खादी कमीशन का नियम है कि पूंजी से चौगुना से आठ गुना तक ऋण वह दे देता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया १,४५,६२५ रु० तीन वर्षों में ऋण में मिला, और ३१,५०० रु० अनुदान रूप में मिला। इनको दो लाख रुपया खादी कमीशन ने सैंक्सन किया। इस सरकार ने यह रोक लगा दी कि एक लाख रुपया दिया जाय और एक लाख तब दिया जाय जब हिस्सा पूंजी बढ़ जाय और वह और लेने के मुस्तहक हो जायं। क्योंकि इन्डस्ट्रीज आफिसर ने लिखा है कि हिस्सा पूंजी इन्होंने नहीं बढ़ाया।

श्री छत्रपति अम्बेश—

हिस्सा पूंजी से ज्यादा अनुदान देने का क्या कारण था?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

खादी कमीशन ने दिया है जो इडिपेंडेंट बाडी है। वह ठीक बता सकता है। लेकिन हिस्सा पूंजी से अनुदान ज्यादा नहीं दिया गया। १९६३–६४ में १२,००० की पूंजी पर ४,००० अनुदान दिया गया, ६४–६५ में ३०,६२५ की पूंजी पर १७,५०० दिया गया और ६५–६६ में १ लाख की कार्य-पूंजी थी जब कि १०,००० अनुदान दिया गया।

श्री क्षेमचन्द (जिला आगरा)—

इसमें एक व्यक्ति है जो अपने आपको घंटा कहते हैं जिनके आधार पर सिंडीकेट चलती है। उनकी सिंडीकेट में क्या पोजीशन है? वे साधू टाइप हैं।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

केवल वेशभूषा से किसी की असलियत नहीं पहचानी जा सकती है।

श्री झारखंडे राय—

क्या इस पूरे मसले की जांच-परताल के लिये मुख्य मंत्री जी को भेजकर कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि इसकी जांच कराई गई है। ५,६ और ८ अगस्त सन् १९६६ को चीफ इंस्पेक्टर आफ एकाउन्ट्स ने जांच की। १०-८-६६ को सिंडीकेट के लेखों की जांच की गई। उन्होंने ठीक उपयोग होना बताया। यदि माननीय सदस्य के पास कोई सूचना या प्रमाण हैं तो मैं फिर जांच करा लूंगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

खादी कमीशन को कामकाज चलाने के लिये सरकार से पैसा दिया जाता है और यह कानून भी पास हुआ। खादी बोर्ड में कमीशन के अन्तर्गत सरकार ने कुछ अपने अधिकारियों को भी लगा रखा है। उन अधिकारियों को क्यों लगाया है जब खादी कमीशन रुपया देता है, सरकार नहीं देती है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

माननीय सदस्य को खादी बोर्ड और खादी कमीशन में भ्रम हो रहा है। खादी कमीशन आल-इंडिया बाडी है पार्लियामेंट को आन्सरेबिल। उत्तर प्रदेश सरकार खादी कमीशन को रुपया नहीं देती है।

श्री ऊदल—

खादी बोर्ड का यहां कानून पास हुआ, क्या सरकार इस बोर्ड को रुपया देती है ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

मैंने कहा था कि खादी कमीशन ने यह रुपया दिया।

जिला जेल, गाजीपुर की भूमि

*९—श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में जिला जेल गाजीपुर के लिये जो भूमि जेल के पश्चिम-उत्तर अर्जित की गयी है वह जेल के किस कार्य के लिये ली गई है और इस सम्बन्ध में जेल विभाग के किस सिफारिश के आधार पर यह भमि अर्जित की गई थी और भूमि के मुआवजे का क्या रेट लगाया गया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जिला जेल गाजीपुर के पच्छिम-उत्तर में भूमि खेती के लिए जेल की सिफारिश पर अर्जित की गई थी। इस भूमि का रकबा २ एकड़ ३ राड १० १/२ पोल है जिसका मुआवजा देने में १,८४३ रुपये १ आना ५ पाई व्यय किया गया था।

मंत्रियों के दौरे पर व्यय ८

*१०—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ अप्रैल, १९६६ से ३० जून, १९६६ तक प्रदेश के प्रत्येक मंत्रियों के दौरे पर अलग-अलग कितना खर्च है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न में मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९३२ पर)

*११—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान मंत्री के जून, १९६६ के उत्तराखंड के दौरे में राज्य सरकार का कितना खर्चा हुआ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आवश्यक सूचना अभी एकत्रित नहीं हो सकी है।

जिला परिषद् उन्नाव के सदस्यों की गिरफ्तारी

*१२—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, उन्नाव की बैठक करने के लिये जब अध्यक्ष, जिला परिषद् व सदस्यगण सदैव की भांति १५ जून, १९६६ को मीटिंग के स्थान त्रिपाठी भवन जा रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन जारी किए गए निषेधात्मक (Prohibitory) आदेश का उल्लंघन करने के कारण।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अध्यक्ष, जिला परिषद् और सदस्यों को मीटिंग के निर्धारित समय के पूर्व यह निषेधात्मक आदेश तामील किया जा चुका था? यदि हां, तो किस समय और किसके द्वारा? क्या यह आदेश जिला परिषद् के अध्यक्ष, सदस्यों और एम० एल० एज० और पार्लियामेंट के सदस्यों पर ही लागू होता था, जिलाधिकारियों पर नहीं, जिन्होंने उसी दिन शाम को भी एकत्रित होकर रिक्विजेशन किया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

१५-६-६६ की सुबह १० के करीब यह आदेश निकाला गया है। तामील के समय की सूचना नहीं है। लेकिन जिस समय यह जारी किया गया उन्होंने उसका उल्लंघन किया और उस समय १४४ लगी हुई थी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि त्रिपाठी भवन में ही जिला परिषद् की मीटिंग होती थी और जिला परिषद् की मीटिंग की सूचना पहले ही तमाम जिलाधिकारियों को कमिश्नर को मिल जाती है? तो कौन से विशेष कारण आ गये जिनके लिये सरकार ने यह मुनासिब समझा कि जो लोग जिला परिषद् की मीटिंग में भाग लेने जा रहे हैं उन्हें रोका जाय और दफा १४४ लगाई जाय?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सही है कि मीटिंग वहां होती थी और जिला परिषद् उसे इस्तेमाल करता था। लेकिन उससे पहले मिल्कियत का झगड़ा नहीं उठा। यह पब्लिक के चन्दे से बनाया गया और १९२२ तक जिलाधीश उसका मालिक रहा। २३ में किसी भूल के कारण नाम हो गया जिला परिषद् के या जिला बोर्ड के। तो यह डिसप्यूट पैदा हो गया कि इसका मालिक जिला परिषद् है या कलेक्टर है। सरकार ने निर्णय दिया कि कलेक्टर के अधीन है। यह सूचना जिलाधीश और जिला परिषद् दोनों को दे दी।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिला परिषद् के पास यह बिल्डिंग ५० साल से चली आ रही थी तो क्या उसने सरकार को या कलेक्टर को हस्तान्तरित कर दी थी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने जैसा पहले निवेदन किया यह भवन १८९२ से जिला परिषद् के अन्तर्गत चला आ रहा था, जिला परिषद् उसका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उससे पहले कभी स्वामित्व का झगड़ा नहीं उठा। लेकिन जब झगड़ा उठा तो सरकार ने उसको तय कर दिया। सरकार के फैसला कर देने के बाद उनको आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिये था।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

वह भवन जिला बोर्ड के पास १९२३ से था लेकिन सरकार ने अब कह दिया कि कलेक्टर उसको अपने कब्जे में कर ले। यह आदेश भी दोनों के पास पहुंच गये फिर कलेक्टर को तनी क्या जल्दी पड़ी थी कि उसने बिना अध्यक्ष की जानकारी के भवन पर अपना ताला डाल दिया और मेम्बरों को जिला परिषद् की मीटिंग में जाने से दफा १४४ लगा कर रोक दिया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

प्रश्न में लिखा है कि गिरफ्तारी क्यों हुई, उसके बारे में मैंने बताया कि १४-६-६६ को जिला परिषद् की कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया कि कलेक्टर का उस पर अधिकार होना गलत है। अब रही ताला डालने वाली बात, उसकी सूचना इस समय नहीं है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह स्वामित्व का झगड़ा सार्वजनिक संपत्ति का झगड़ा है या व्यक्तिगत अध्यक्ष जिला परिषद् का और कलेक्टर का?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह व्यक्तिगत मामला नहीं है। वह तो सरकार के नियंत्रण में थी और जिला बोर्ड के काम में वह आती थी और कलेक्टर तो सरकार के 'आन बिहाफ' काम करता है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

यह इमारत पब्लिक चन्दे से बनी है। कलेक्टर का इससे कोई मतलब नहीं है। जिला परिषद् के कब्जे में वह थी। गवर्नमेंट ने जो भी फैसला दिया हो लेकिन मौके पर उस दिन कोई दफा १४४ नहीं थी। कलेक्टर ने कांग्रेस के अध्यक्ष मनमोहन वाजपेयी को और असेम्बली के मेम्बरों को पकड़ कर बन्द कर दिया और बाद में १४४ दफा लगाने की बात कहना कलेक्टर का फ्राड है। कलेक्टर ने अपनी व्हिम में गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, ऐसे कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही होगी चाहिये जिसने सदस्यों का अपमान किया है?

नोट:—तारांकित प्रश्न १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अगर इस बात का सबूत वह देंगे कि वहां १४४ नहीं लगी थी और वहां बाद में जाली कागजात बनाये गये तो अवश्य कार्यवाही की जायगी।

बुधौली ग्राम में जगदीशसिंह की हत्या

*१३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

दिनांक १० मार्च, १९६६ को मेरे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभियुक्त इन्द्रपाल सिंह की धर्मपत्नी के प्रार्थना-पत्र पर बरेली के एस० पी० श्री निगम ने जो जांच की उसमें बन्दूक के जमा कर के सम्बन्ध में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

एटा में बाबा नारायणदास द्वारा भूख हड़ताल

*१४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि २९ मई, १९६६ को ग्राम किनोई, थाना सहावर, जिला एटा में जाटवों के यहां कथा में शंख बजाने पर वहां के मुसलमानों ने बाबा नारायण दास को बुरी तरह पीटा और तुरसी जाटव के घर पर भाला, लाठी आदि लेकर चढ़ गये तथा तुरसी जाटव के रिश्तेदारों को चारपाइयों पर से पलट दिया?

श्री हरगोविन्द सिंह—

दिनांक २९-५-६६ को ग्राम कनोई, थाना सहावर, जिला एटा में मारपीट की एक घटना हुई, किन्तु उसके बारे में थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। इस सम्बन्ध में अधिकारियों को ७-६-६६ को तरसी जाटव की ओर से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें बाबा नारायणदास के पीटे जाने का उल्लेख था। जांच के दौरान जाटवों की ओर से यह कहा गया कि बाबा नारायण-दास द्वारा शंख बजाए जाने पर उन्हें मुसलमानों द्वारा पीटा गया और दूसरे पक्ष द्वारा यह बताया गया कि बाबा नारायणदास की साइकिल से एक बालक के गिर जाने के मामले को लेकर झगड़ा हुआ जिसमें बाबा नारायणदास को ढकेल दिए जाने के फलस्वरूप उन्हें चोटें आईं। शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पार्टियों के लोगों के विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट भेजी गई और मामला न्यायालय पहुंचा। बाद में दोनों पार्टियों में राजीनामा हो गया और उन्होंने मुकदमा खारिज करा दिया।

*१५—श्री राजेन्द्रसिंह—

उपरोक्त घटना पर जिला अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर बाबा नारायणदास ने दिनांक १० जून, १९६६ से भूख हड़ताल जिलाधीश, एटा के यहां प्रारम्भ कर दी है और दिनांक १४ जून, १९६६ तक भी कोई डाक्टर उन्हें देखने नहीं आया और क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह—

अधिकारियों द्वारा मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी किन्तु फिर भी बाबा नारायण दास ने जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के पास भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। उनका डाक्टरी मुआयना १६-६-६६ तथा १८-६-६६ को हुआ था। इससे पूर्व डाक्टरी मुआइने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

देवरिया जिले में अपराध

*१६—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलों में १ जनवरी, १९६६ से ३० मई, १९६६ तक :

(१) कितनी डकैतियां पड़ीं और कहां-कहां ?
(२) कितने कत्ल हुये ?
(३) कितनी चोरियां हुयीं ?
(४) कितने बल्वे हुये ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जिला देवरिया में १ जनवरी, १९६६ से ३० मई, १९६६ तक :

(१) १० डकैतियां पड़ीं। जिन स्थानों में डकैतियां पड़ीं उनके नाम संलग्न तालिका में दिए हुए हैं ?
(२) १३ कत्ल हुए।
(३) २७७ चोरियां हुई।
(४) ४२ बल्वे हुए।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९३३ पर)

पैलानी थाने में अपराध

*१७—श्री होरी लाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बांदा के अन्तर्गत थाना पैलानी में जून, १९६५ से अब तक कितने कत्ल, चोरियां, राहजनी एवं डकैती की घटनायें हुई हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१-६-६५ से ३१-७-६६ तक थाना क्षेत्र पैलानी के अन्तर्गत १ डकैती, २ राहजनी, १२ कत्ल एवं ४९ चोरी की घटनायें हुईं।

*१८—श्री होरीलाल यादव—

क्या यह सच है कि घटनायें प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी रोकथाम के लिये कोई विशेष व्यवस्था करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

उक्त अवधि के पूर्व दो वर्षों के आंकड़ों से विदित होता है कि केवल कत्ल के अपराध में वृद्धि हुई है। डकैती के अपराध में काफी कमी है। कत्ल के अपराध को रोकने के लिये आवश्यक व्यवस्था की गई है।

सैदपुर थाने की पुलिस द्वारा गोपाली के घर तलाशी

*१९—श्री कमलासिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले के सैदपुर टाउन एरिया में सैदपुर थाने की पुलिस में से एक थानेदार तथा कुछ सिपाहियों ने रात्रि में १९ जून, १९६६ के गोपाली, पुत्र झूरी ठठेरा के घर में जबरदस्ती दूसरे के मकान से खपरैल से उतर कर उसको बल्लम से तथा अन्य प्रकार से चोटें पहुंचायीं जिसमें भाला छीनने से कुछ औरतों को चोटें भी आई हैं ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है, जिसकी तत्काल सूचना तार द्वारा डी० एम० और एस० पी० को दी गई थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

तार की चोरी के एक मामले के संबंध में दिनांक १९-६-६६ की रात्रि को गोपाली पुत्र झूरी ठठेरा के घर की पुलिस द्वारा तलाशी ली गई थी। गोपाली पुलिस के आने का पता लगते ही एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से पड़ोस के मकानों पर कूद कर वह भाग गया। इस कूदने-फांदने में उसे खपड़ैल तथा टीन के शैड से कुछ चोटें आईं। उसे बल्लम से या अन्य किसी प्रकार से चोटें नहीं आईं। किसी औरत को भी चोटें नहीं आईं।

गोपाली के पिता द्वारा इस विषय में भेजे गये तार में की गई शिकायत जांच से सही नहीं पाई गई।

सेना से लिए गये पुलिस कर्मचारी

*२०—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो दूसरी जंग अजीम में फौज में थे? और जंग खत्म होने के बाद, पुलिस में एस० आई० या इंस्पेक्टर के पद पर लिये गये उनके नाम और मौजूदा पद क्या हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—

उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में कुल १०११ कर्मचारी ऐसे हैं जो दूसरी जंग अजीम में फौज में थे। जंग खत्म होने के बाद पुलिस में एस० आई० या इंस्पेक्टर के पद पर लिये गये कर्मचारियों के नाम तथा उनके मौजूदा पद संलग्न तालिका "क" में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९३४-९३५ पर)

*२१—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या गृह मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि फौज से आये हुये एस० आई० या इंस्पेक्टर्स लिस्ट में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पुरानी सर्विस जोड़ ली गई? और किन कर्मचारियों की नहीं जोड़ी गई? और यह इम्तियाजी बर्ताव क्यों किया जा रहा है?

श्री हरगोविन्द सिंह—

फौज से आये हुये एस० आई० या इंस्पेक्टर्स लिस्ट में २० कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पुरानी सर्विस जोड़ ली गई है। जिनकी नहीं जोड़ी गई है उनके नाम संलग्न तालिका "ख" में दिये गये हैं।

मिलिट्री सर्विस पेन्शन में जोड़े जाने के अयोग्य होने के कारण, मिलिट्री से पेन्शन लेते रहने के कारण, मिलिट्री से मिली ग्रेच्युटी की धनराशि अभी तक जमा न करने के कारण, अपने हित में मिलिट्री सर्विस न जुड़वाये जाने के कारण त्याग पत्र दे देने के कारण, आपत्तिकाल के समय अस्थाई रूप से लिये जाने के कारण, मिलिट्री सर्विस आई० एन० ए० की अथवा उस समय की होने के कारण जब संबंधित कर्मचारी विलीनीकृत भूतपूर्व किसी रियासत में कार्य कर रहा था अथवा कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण जिससे यह विदित होता है कि कर्मचारी ने कोई मिलिट्री सर्विस की है, यह सर्विस नहीं जोड़ी गई। इस तरह इमतियाजी (पक्षपातपूर्ण) बरताव का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९३६ पर)

अधिकारियों के स्थानान्तरण

*२२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जून, १९६६ में प्रदेश में किस-किस क्लास वन आफिसरों के तबादले कैंसिल किये गये या मुलतवी किये गये और क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९३७ पर)

[८ दिसम्बर, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पिपराइच से श्री गुलाबचन्द की पुलिस के खिलाफ शिकायत

*१---श्री झारखंडे राय---

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि गत मई के प्रथम सप्ताह में पिपराइच टाउन एरिया के कांग्रेसी चेयरमैन श्री गुलाबचन्द अनेक सभ्भ्रान्त नागरिकों और विधायकों के साथ उनसे डेपुटेशन के रूप में मिले थे, और गोरखपुर पुलिस ने ३ दिन उन्हें कोतवाली गोरखपुर और कैन्टूनमेंट थाना गोरखपुर में बन्द कर जो अकथनीय, बर्बर और रोंगटे खड़े कर देने वाले अत्याचार किये थे, उसकी लिखित शिकायत की थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

श्री गुलाब चन्द, अन्य लोगों के साथ डेपुटेशन के रूप में मुझसे मिले अथवा नहीं, यह मुझे स्मरण नहीं है। उनका एक प्रार्थना-पत्र जिसमें पुलिस के विरुद्ध आरोप थे अवश्य शासन को प्राप्त हुआ था।

*२---श्री झारखंडे राय---

यदि हां, तो इस काण्ड के मामले में राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

इस मामले के बारे में सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है।

शाहगंज में सिनेमा बनाने की इजाजत

*३---श्री रियासत हुसैन---

क्या यह सच है कि शाहगंज, जिला जौनपुर में श्री मिठ्ठाई लाल जैसवाल को सरकार ने सिनेमा भवन बनाने की आज्ञा प्रदान किया है? क्या यह सही है कि ८००० आबादी वाले शाहगंज कस्बे में श्री बृन्दा प्रसाद जैसवाल को दूसरा सिनेमा भवन भी बनाने की जिलाधीश, जौनपुर ने आज्ञा दे दी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां।

*४---श्री रियासत हुसैन---

क्या यह सच है कि जिस जगह पर श्री बृन्दा प्रसाद जैसवाल को सिनेंमा भवन बनाने की अनुमति दी गई है उसके एक फर्लांग के अन्दर ही मन्दिर मस्जिद और अस्पताल भी हैं और वहां के स्थानीय मुसलमानों ने दूसरे सिनेमा भवन बनाने के विरोध में आपत्ति जिलाधीश के समक्ष की है ? यदि हां, तो वह आपत्ति क्या है और उस पर सरकार ने क्या फैसला लिया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जिस जगह पर श्री बृन्दाप्रसाद जैसवाल को सिनेमा भवन बनाने की अनुमति दी गई है उसके एक फर्लांग के भीतर केवल एक छोटी सी राजकीय डिस्पेंसरी है जो हाल में जिला परिषद् से हस्तांतरित हुई है। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा मन्दिर व एक छोटी सी मस्जिद भी है। स्थानीय कुछ निवासियों ने दूसरे सिनेमा भवन के विरोध में मुख्यरूप से इन्हीं विषयों को लेकर

आपत्ति की थी । इनकी जांच कराने से ज्ञात हुआ कि कथित आपत्तियां सिनेमाटोग्राफ रूल्स, १९५१ के किसी भी नियम को भंग नहीं करतीं । अतः इनके आधार पर सिनेमा लाइसेन्स के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।

मथुरा में ठा० भैरोनाथ के मन्दिर की सम्पत्ति

*५—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मथुरा के गौघाट स्थित ठा० भैरोनाथ जी के मन्दिर का ट्रस्ट दीवानी अदालत द्वारा अमान्य कर दिये जाने के कारण उसकी जायदाद लावारिस पड़ी है और उस पर किरायेदारों ने कब्जा कर लिया है ? क्या सरकार उक्त मन्दिर की जायदाद को अपने हाथ में लेकर उसका उचित प्रबन्ध करेगी जिससे सम्पत्ति का दुरुपयोग होने से बच सके ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां । उक्त सम्पत्ति तो कानूनी तरीके से जांच करने के उपरान्त ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री शिवदत्तशर्मा के मामले में हरिद्वार थाने के कान्सटेबुल को सजा

*६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक २१ अप्रैल, १९६६ को पुलिस चौकी कनखल, थाना हरिद्वार का सिपाही पीतम सिंह, श्री शिवदत्त शर्मा, पुत्र रामचन्द्र वैद्य, मु० लाटावाली, पो० कनखल, सहारनपुर के नाम का एस०डी०एम० रामपुर की अदालत का फर्जी सम्मन लाया जिसमें दिनांक २२ अप्रैल, १९६६ की हाजिरी थी और दिनांक २ मई, १९६६ को जमानती वारन्ट सहित यही सम्मन दिनांक ५ मई, १९६६ को हाजिरी का लाया जब कि रामपुर के किसी एस०डी०एम० की अदालत से ऐसा कोई सम्मन जारी नहीं हुआ था ? यदि हां, तो सरकार ने दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

*७—क्या यह भी सही है, कि इस तमाम घटना की सूचना उपरोक्त शिवदत्त शर्मा ने दिनांक १२ मई, १९६६ को रजिस्ट्री पत्र द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को दी थी ? यदि हां, तो अब तक कोई भी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हरगोबिन्द सिंह—

यह सही है कि एक सम्मन अदालत ए०डी०एम० रामपुर की ओर से श्री शिवदत्त शर्मा के नाम चौकी कनखल पहुंचा । उनके न मिलने पर उसकी तामील नहीं हुई है । इसके बाद एक वारन्ट जमानती गिरफ्तारी मिला जिसकी तामील २-५-६६ को हुई । इस सम्बध में श्री शिवदत्त शर्मा का प्रार्थना-पत्र दिनांक १२-५-६६ को शासन को प्राप्त हुआ था । इस मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि सम्मन और वारन्ट बनावटी थे । श्री शिवदत्त शर्मा के विरुद्ध जमानती वारन्ट को पूरी तरह जांच पड़ताल किये बिना तामील कराने के लिये थाना हरिद्वार के एक कानिस्टेबल की लापरवाही पाई गई जिसके लिये उसे विभागीय तौर पर दंडित किया गया और उसे शिक्षित सिपाही की डयूटी से हटा दिया गया है और थाना हरिद्वार से स्थानान्तरण भी कर दिया गया है ।

हरबंशपुर से हरिजनों की शिकायत

*८—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या विकास मन्त्री यह बतायेंगे कि बस्ती जिले के विकास खण्ड बर्डपुर नं० के ग्राम न्याय पंचायत हरबंशपुर के कुछ हरिजनों ने इस आशय की शिकायत नवम्बर, दिसम्बर,

१९६५ अथवा जनवरी, १९६६ में की है कि हरिजनों को उक्त ग्राम में कुआं बनाने के लिये जो धन स्वीकृत हुआ था उनको उसका आधा धन ही मिला ? यदि हां, तो पूरी शिकायत क्या है तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सीताराम—

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । अतः किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*९—श्री जगदीश प्रसाद—

[अस्वीकृत हुआ]

उस्का बाजार विकास खण्ड में कूप अनुदान

*१०—श्री जगदीश प्रसाद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बिजदेई ग्राम विकास खंड, उसका बाजार में एक ही घर के कई आदमियों ने कुयें का अनुदान प्राप्त कर लिया है और कागजी कार्यवाही पूरी कर दी गई है पर स्थान पर कोई कूप का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार जांच कराकर संबंधित अधिकारी पर गबन का केस चलायेगी ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं, जिन-जिन व्यक्तियों को अनुदान स्वीकार किया गया वे अलग-अलग परिवार के हैं । इनमें से एक को ५०० रुपया तथा दूसरे को ४०० ० की धनराशि स्वीकृत की गई । पहले व्यक्ति को ५०० रु० का भुगतान किया जा चुका है यद्यपि सीमेन्ट तथा ईंट के अभाव से कुआं अभी तक नहीं बना है । दूसरे को कोई भुगतान नहीं हुआ है । उपरोक्त स्थिति में गबन का मुकदमा चलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*११—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।)

हाथरस में औद्योगिक केन्द्र

*१२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस के इन्डस्ट्रियल इस्टेट में कितने कारखानेदारों को कारखानों आदि के लिये स्थान आबन्टित किये गये हैं ? और उसमें किस-किस प्रकार के उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आज तक २९ प्लाट १६ कारखानेदारों को एलाट किये जा चुके हैं जिनमें एलमोनियम का इमारती सामान आयुर्वेदिक, औषधि, स्टील, फर्नीचर, मोटर पार्ट्स, पोलीथीन सीट, प्लास्टिक केन, टेक्स्टाइल मशीन पार्ट्स, ड्राई बैटरी सैल, टैक्सटाइल उद्योग, ब्रास अलमोनियम बिल्डिंग, फिटिंग्स, संगीत के औजार, हैन्डलूम, कृषि यंत्र, पाइप, केन एवं ड्रम्स, गुट प्रेजर्वेशन के उत्पादन केन्द्र स्थापित होंगे ।

*१३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्डस्ट्रियल इस्टेट की इमारतें कब तक पूर्ण हो जायेंगीं और कारखानों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

समस्त कारखानेदारों को अवगत करा दिया गया है कि वह अपने कारखाने इस वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लें और उत्पादन कार्य चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक कर लें । इसलिये ऐसी आशा है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक कारखाने चालू हो जायेंगे ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर

*१४---श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी तथा ग्रोमोद्योग बोर्ड, कानपुर के कौन-कौन से ऐसे सदस्य तथा पदाधिकारी हैं जो किसी खादी अथवा ग्रामोद्योगी संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, उनकी संस्थाओं के क्या नाम हैं और पिछले ५ वर्ष में उन संस्थाओं को खादी बोर्ड अथवा खादी कमीशन द्वारा कितनी-कितनी धनराशि किस--किस तारीख को तथा किस--किस प्रयोजन के लिये ऋण एव अनुदान के रूप में दी गई है ?

*१५---क्या यह सही है कि उक्त संपूर्ण धनराशि का समुचित उपयोग निर्धारित प्रयोजनों के लिये नहीं किया गया है और उसमें काफी धनराशि ऐसी है जिसकी अवधि समाप्त हो जाने पर भी वापिस नहीं की गई है ? और कितनी धनराशि के प्रापर यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट भी प्राप्त नहीं हुए हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर के उन सदस्यों तथा संस्थाओं के नाम जिनके वे पदाधिकारी हैं, संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

शेष सूचना दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि प्रथमतः तो खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन ने अपने द्वारा दिये गये धन के विषय में सूचना देने से इन्कार कर दिया है और द्वितीय इसलिये कि इस सूचना के एकत्र करने में काफी समय लगेगा ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९३८ पर)

गृहमंत्री की कोठी कम्पाउण्ड में चोरी

*१६---श्री मुहम्मद रफी खां---

क्या गृह मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उनकी कोठी के कम्पाउन्ड में जो एनेक्सी है उसमें दिनांक १३ जून, १९६६ को चोरी हुई थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी हां। कम्पाउन्ड में जो एनेक्सी है उसमें दिनांक १३।१४--६--६६ की रात को चोरी की घटना हुई थी।

*१७---श्री मुहम्मद रफी खां---

इस चोरी की रपट किस थाने में लिखाई गई और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

इस चोरी की रिपोर्ट थाना हजरतगंज, लखनऊ में लिखाई गई जिसके आधार पर अभियोग अंकित करके विवेचना प्रारम्भ की गई। पुलिस द्वारा यथेष्ट प्रयास के बावजूद भी अभियुक्त का पता नहीं चल पाया। अतः मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई।

शंकरगढ़ थाना के विरुद्ध श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की शिकायत

*१८---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद के थाना शंकरगढ़ के थानेदार ने पी० ए० सी० के सिपाहियों के साथ में दिनांक १६ अप्रैल, १९६६ को मौजा लौंद खुर्द तथा मौजा बघला में बन्ध के रहनेवालों की झोपड़ी उजड़वा दी तथा बहुत से लोगों को बुरी तरीके से मारकर हवाई फायर भी किये ? यदि हां, तो उक्त घटना का क्या कारण था ? क्या सरकार के पास उपरोक्त घटना की शिकायत बन्ध के लोगों ने की है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

यह सही नहीं है कि इलाहाबाद के थाना शंकरगढ़ के थानेदार ने पी० ए० सी० के सिपाहियों के साथ में १६-४-६६ को मौजा लौदखुर्द तथा मौजा बघला में बंध के रहने वालों की झोपड़ी उजड़वा दी, बहुत से लोगों को बुरी तरीके से मारा और हवाई फायर भी किये। वास्तविक घटना का विवरण संलग्न है।

घटना के संबंध में श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी पी० एस० सी० वर्कर तथा इन्द्रपाल सिंह निवासी बघला ने शिकायती पत्र दिये थे। जांच से उनमें लगाये गये आरोप असत्य पाये गये।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९३९ पर)

जेल डाक्टरों के तबादले

*१९—श्री कल्याण चन्द मोहिले—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में जेल के डाक्टरों का तबादला ३ वर्षों से नहीं हुआ है ?

श्री हरगोविद सिंह—

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ तथा केन्द्रीय कारागार नैनी।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार को रिवाल्वर का लाइसेंस

*२०—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा अपने रिवाल्वर की लाइसेन्स को सन् १९६६ के वर्ष तक के लिये रिन्यूवल हेतु दिसम्बर, १९६५ में फीस दाखिल करके मय प्रार्थना-पत्र के जिलाधीश फतेहपुर को ने और दिनांक १२ अप्रैल, १९६६ व दिनांक १२ मई, १९६६ को मुख्य सचिव एवं मुख्य मंत्री को पत्र देने पर भी रिन्यू करके अब तक लाइसेंस बुक न देने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

श्री रघुवीर सहाय कैथवार को रिवाल्वर का लाइसेंस ७-२-६६ को स्वीकृत किया गया था परन्तु वे रिवाल्वर न खरीद सके। रिवाल्वर खरीदने के लिये श्री कैथवार को क्रमशः दि० ९-४-६४, १३-६-६४, २१-७-६४, ८-१०-६४, ३१-१२-६४, १२-४-६५, ३-६-६५ व १-१०-६५ को समय स्वीकृत किया गया। उन्हें उनके अन्तिम प्रार्थना पत्र पर ३०-११-६५ की अवधि रिवाल्वर खरीदने हेतु प्रदान की गयी। उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर श्री कैथवार न तो रिवाल्वर ही खरीद सके और न कोई प्रार्थना पत्र ही ३०-११-६५ के अन्दर अवधि बढ़ाई जाने के लिये दिया। अतः आर्म्स रूल्स १९६२ की धारा ५२।(२) के अन्तर्गत उनका रिवाल्वर का लाइसेंस ३०-११-६५ के पश्चात् स्वतः समाप्त हो गया। अतः उसके रिन्यवल का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में काकोरी केस शहीदों का स्मारक बनाने का सुझाव

*२१—श्री झारखंडे राय—

क्या मुख्य मन्त्री जी इस सुझाव पर कृपापूर्वक विचार करेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम क्रांतिकारी षड़यंत्र केस-काकोरी षडयन्त्र केस, जिसमें चार क्रांतिकारियों पं० राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खां, राजेन्द्रनाथ लहरी और रोशन सिंह, को फांसी की सजा हुई थी, के इन अमर शहीदों का स्मारक गोरखपुर में किसी उपयुक्त स्थान पर (जहां पं० राम प्रसाद को फांसी दी गई थी) राज्य सरकार निर्मित करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

आर्थिक कठिनाइयों के कारण सरकार स्मारक बनवाने में असमर्थ है। यदि स्थानीय जनता स्मारक बनवाना चाहे तो सरकार की ओर से तकनीकी सहायता दी जा सकती है।

नौबस्ता, थाना सराय आकिल में डकैती

*२२---श्री नाथूराम शिक्षक---

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि जिला इलाहाबाद के थाना सराय आकिल के अन्तर्गत ग्राम नौबस्ता मजरा म्योहर में दिनांक २१ जुलाई, १९६५ को डकैती पड़ी है? यदि हां, तो कितने की क्षति हुई तथा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? और क्या तथ्य सामने आये?

श्री हरगोविन्द सिंह---

जी हां। इस घटना में लगभग ८,२४५ रु० की सम्पत्ति की क्षति हुई। इस संबंध में एक अभियोग धारा ३९५।३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया था और विवेचना के पश्चात् अभियुक्तों का चालान किया गया।

कानपुर क्षेत्र में हरिजन पुलिस सब-इन्सपेक्टरों की सेवा समाप्ति तथा श्री चन्द्रपाल सिंह, सर्किल इन्सपेक्टर की बहाली

*२३---श्री रघुबीर सहाय कैथवार---

५ अगस्त, १९६५ के तारांकित प्रश्न ६९ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि श्री किशन सिंह, श्री मोती राम और श्री करण सिंह को बरख्वास्त न कर के उनकी सेवायें समाप्त की गई हैं तो फिर इसके बाद श्री मोतीराम को आई० पी० एस० की परीक्षा में सफल हो जाने पर गृह विभाग ने उन्हें दन्डित किया गया, लिख कर चुनने से क्यों रोका?

श्री हरगोविन्द सिंह---

आई० पी० एस० में नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इस संबंध में गृह विभाग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

*२४---श्री रघुवीर सहाय कैथवार---

उक्त दिनांक ५ अगस्त, १९६६ के प्रश्न ७१ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब श्री चन्द्रपाल सिंह, सर्किल इन्सपेक्टर को आई० जी० पी० ने बहाल कर दिया है तो फिर मुअत्तली की तिथि दिनांक १० अप्रैल, १९६३ से पूरा वेतन न देकर बरख्वास्तगी की तिथि दिनांक ३० जनवरी, १९६४ से बहाली की तिथि २ मार्च, १९६५ तक का वेतन क्यों दिलाया है?

श्री हरगोविन्द सिंह---

श्री चन्द्रपाल सिंह को अब मुअत्तली के समय का भी पूरा वेतन दे दिया गया है।

राजकीय उन्नयन बस्ती, कल्यानपुर

*२५---श्रीमती ब्रजरानी मिश्र (जिला कानपुर)---

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय उन्नयन बस्ती, कल्यानपुर, कानपुर में कोई मन्दिर बनाने को वहां के मैनेजर को कहा गया है? यदि हां, तो क्या सरकारी कर्मचारियों, स्कूल के बच्चों तथा अन्य नागरिकों से चन्दा वसूल किया जा रहा है और उसकी वसूली व खर्च का विवरण सरकार सदन की मेज पर रखेगी?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं। अन्य प्रश्न नहीं उठता है।

*२६--श्रीमती ब्रजरानी मिश्र--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त बस्ती में इस वर्ष कितने हैन्ड पाइप कहां-कहां लगे हैं तथा उसमें कितने हैन्डपाइप चालू हालत में हैं और इनके लगवाने की स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम--

कथित बस्ती के व्यवस्थापक द्वारा ६ हैन्डपाइप निम्न स्थानों में लगाए गए जिनमें तीन चालू हालत में हैं :

१--सिलाई कारखाना ।

२--कार्यालय के सामने ।

३--स्टाफ क्वार्टरों के सामने ।

४--पुराने मन्दिर व बच्चों के पार्क के पास ।

५--स्कूल में ।

६--बस्ती के व्यवस्थापक के निवास स्थान पर ।

*२७--श्रीमती ब्रजरानी मिश्र--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष राजकीय उन्नयन बस्ती, कल्यानपुर, कानपुर, में पेड़ लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उनमें से इस समय कितने पेड़ सुरक्षित हैं व कितने समाप्त हो गये हैं ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां। २११ में से १४५ पौधे सुरक्षित हैं और ६६ समाप्त हो गए हैं।

राजकीय उन्नयन बस्ती, कल्यानपुर की सिलाई फैक्टरी

*२८--श्री नित्यानन्द पाण्डेय (जिला कानपुर)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उन्नयन बस्ती, कल्यानपुर, कानपुर में जो सिलाई फैक्टरी है उसमें वर्ष १९६६ में अब तक मोजा, बनियाइन बुनने की मशीनें, खिलौने तथा क्रोच में नौनिहाल दवा खरीदी गयी है ? यदि हां, तो उस फैक्टरी में इन मशीनों व सामान की क्या उपयोगिता है और इस सामान को खरीदने के पहले किस अधिकारी से स्वीकृति ली गयी ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां,। मोजा, बनियाइन बिनने की मशीन, सिलाई कारखाने में काम करने वाली स्त्रियों को ट्रेनिंग देने तथा उनके बच्चों के लिए क्रोच में खिलौना तथा नौनिहाल दवा फैक्टरी ऐक्ट के प्राविधान के अनुसार बस्ती के व्यवस्थापक की स्वीकृति पर खरीदी गई।

*२९--श्री नित्यानन्द पांडेय--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त फैक्टरी में कुछ माह पूर्व ऊनी कपड़े आदि की चोरी हो गयी है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सामान कितनी कीमत का गया और उसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

*३०--श्री नित्यानन्द पांडेय--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त बस्ती के मैनेजर के प्रति हिसाब-किताब में गड़बड़ी करने, चोरी, गबन, चरित्रहीनता व अशान्ति पैदा करने के विषय में बस्ती के निवासियों ने तथा कुछ सामाजिक संस्थाओं ने सरकार व विभागीय अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना-पत्र जनवरी, १९६६ से कई बार दिये हैं? यदि हां, तो उनकी जांच कब और किस अधिकारी ने की तथा क्या कार्यवाही की गयी?

डाक्टर सीताराम--

जी हां।

सहायक निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, ने अगस्त, सितम्बर, सन् १९६६ में जांच की जिसमें आरोप निराधार पाये गये। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

सूती मिल, उझानी के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

*३१--श्री मुकुट बिहारी लाल (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सूती मिल उझानी, जिला बदायूं के जो कर्मचारी ११ मई, १९६६ को विधान भवन के सामने अपनी मांगों के सम्बन्ध में भूख हड़ताल करते हुये गिरफ्तार किये गये, क्या उन पर से मुकदमे वापस हो गये हैं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों, तथा कब तक वापस हो जायेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां। १७ नवम्बर, १९६६ को मुकदमा वापस ले लिया गया।

तुलसी मानस अन्ध विद्यालय, दुर्गाकुंड, वाराणसी

*३२--श्री ऊदल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तुलसी मानस अन्ध विद्यालय, दुर्गाकुंड, वाराणसी में अब तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई और अध्यापकों की मुलाजिमत समाप्त करने की नोटिस दे दी गई है? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है और क्या नेत्रहीन विद्यालय भदैनी, वाराणसी को तुलसी मानस अन्ध विद्यालय में कमेटी वालों ने ६४ में मर्ज कर दिया था?

डाक्टर सीताराम--

तुलसी मानस अन्ध विद्यालय, दुर्गा कुन्ड, वाराणसी में पढ़ाई ५ सितम्बर, १९६६ से प्रारम्भ है। संस्था के ६ ट्रस्टियों की सम्मति से सहायक मंत्री द्वारा अध्यापकों को एक मास का अग्रिम वेतन देकर २५ मई, १९६६ को मुलाजिमत समाप्त करने की नोटिस दी गई थी।

अध्यापकों को मुलाजिमत समाप्त करने की नोटिस देने का कारण धनाभाव था।

नेत्रहीन विद्यालय, भदैनी, वाराणसी को तुलसी मानस अन्ध विद्यालय में कमेटी वालों ने १९६४ में नहीं बल्कि १९६५ में मर्ज किया था।

*३३—श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि नेत्रहीन अन्ध विद्यालय भदैनी, वाराणसी को मैनेजिंग कमेटी वाले नये तुलसी मानस अन्ध विद्यालय के ट्रस्टी हैं और पदाधिकारी हैं?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, नेत्रहीन अन्ध विद्यालय, भदैनी, वाराणसी, की मैनेजिंग कमेटी वाले ११ व्यक्तियों मे से ७ व्यक्ति नये तुलसी मानस अन्ध विद्यालय के ट्रस्टी और पदाधिकारी हैं।

*३४—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त विद्यालय को १९६४ से हर साल कितने रुपये की ग्रांट दी गयी तथा नेत्रहीन अन्ध विद्यालय को १९६४ के पहले कितना ग्रांट के रूप में दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—

उक्त विद्यालय, तुलसी मानस अंध विद्यालय, को समाज कल्याण विभाग द्वारा केवल १९६५-६६ में १,३६८ रु० की ग्रान्ट दी गई तथा नेत्रहीन अन्ध विद्यालय भदैनी को १९६४ के पहले केवल निम्नांकित में अनुदान समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया गया:—

वर्ष	दिये गये अनुदान की धनराशि
	रु०
१९५५-५६	१,५००
१९६१-६२	१,०००
१९६३-६४	२,०००

महराजगंज थाने में राजाराम बरई के घर डकैती

*३५—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २५/२६ जुलाई, १९६६ की रात्रि में गोरखपुर जिले के महाराजगज थाना अन्तर्गत ग्राम नागापारटोला बरगदवा से कोई डकैती राजा बरई के घर में पड़ी तथा एक लड़की को डाकुओं ने मार डाला ? यदि हां, तो वाकया क्या हुआ तथा कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हुयीं ?

(ब) क्या इस डकैती में अस्त्र-शस्त्र के अलावा हैंडग्रीनैड का भी इस्तेमाल हुआ है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां। दिनांक २५।२६-७-६६ की रात्रि में राजाराम बरई के घर पर एक डाका पड़ा। डाकुओं ने सोते हुये घरवालों पर अचानक हमला किया व लाठी चलाई। जब वादी राजाराम व उसकी पुत्री श्रीमती गिलासी मौका पाकर भागे तब उन पर डाकुओं ने हथगोला फेंका जिससे श्रीमती गिलासी वहीं मर गईं व वादी को भी चोटें आईं। डाकुओं ने जेवर कपड़ा व नकद रुपया लूटा। अभी तक ४ गिरफ्तारियां हुई हैं।

(ब) इस डकैती में केवल लाठी व हथगोले का प्रयोग किया गया और किसी अन्य अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया।

गोरखपुर–लखनऊ रेलवे लाइन पर गनशेल

*३६––श्री नरसिंह नारायण पांडेय––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २८/२९ जुलाई, १९६६ को गोरखपुर लखनऊ रेलवे लाइन के डोमिनगढ़ पुल के पास दो बम दोनों तरफ रखे हुये प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो जांच के बाद क्या ज्ञात हुआ और अभी तक इस संबंध म सुरक्षा संबंधी क्या क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह–

दिनांक ३०–७–६६ को गोरखपुर–लखनऊ रेलवे लाइन पर डोमिनगढ़ स्टेशन के पास २ "गन शैल" पाये गये जो, जांच करने पर ज्ञात हुआ, खाली थे । चूंकि यह "शैल" खाली होने के कारण निरापद (हार्मलेस) थे और किसी प्रकार के जुर्म होने की बात नहीं प्रमाणित हुई, अतः सुरक्षा संबंधी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ में वेतन वृद्धि

*३७––श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)––

क्या कृपया सरकर यह बताने की कष्ट करेगी कि राजकीय महिला पालीटेक्नीक स्कूल, चारबाग, लखनऊ में पी० आर० सी० की रिपोर्ट के आधार पर वहां के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि मिल गयी ? यदि हां, तो कब और किन-किन कर्मचारियों को और नहीं, तो क्यों ? उसकी सूची सरकार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

जी हां । राजकीय महिला पालीटेक्नीक, चारबाग, लखनऊ में पी० आर०सी० की रिपोर्ट के आधार पर वेतन वृद्धि का भुगतान २९ कर्मचारियों (सूची क) को जून, १९६६ में तथा १२ कर्मचारियों (सूची ख) को २६ नवम्बर, १९६६ को कर दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९४० पर)

थाना जी० आर० पी०, कानपुर के हेड कान्स्टेबुल के विरुद्ध कार्यवाही

*३८––श्री सर्वश्री ऊदल, विजय पालसिंह, रियासत हुसैन, ब्रह्मदत्त मायर तथा बालोजी अग्रवाल (जिला मुजफ्फरनगर)––

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि दिनांक १ अगस्त, १९६६ को उन्हें तथा आई० जी० पुलिस यू० पी० को किसी विधायक की इस आशय की कोई लिखित शिकायत प्राप्त हुई है कि जिसमें दिनांक २९ जुलाई, १९६६ की लखनऊ झांसी पैसेन्जर ट्रन पर फस्ट क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे एक विधायक तथा सेना के अधिकारियों को, जो उस डिब्बे में सफर कर रह थ, एक अनजान खतरनाक व्यक्ति द्वारा कानपुर से पूर्व जान से मार देने की धमकी तथा जबरदस्ती डिब्ब म प्रवेश करने की चेष्टा की गई ? यदि हां, तो घटना क्या है और मुख्य मुख्य आरोप क्या हैं ? तथा जांच अधिकारी कौन हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह––

जी हां । उक्त शिकायती पत्र में मुख्य आरोप यह है कि थाना जी० आर० पी०, कानपुर में जब विधायक महोदय तथा २ अन्य यात्री प्रश्न में लिखित घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो दीवानजी (हेड कान्स्टेबुल) ने जो थाने पर उपस्थित थे बार बार कहने पर भी रिपोर्ट लिखने से इन्कार कर दिया । फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बिना टिकट जबरदस्ती घुसने एवं विधायक महोदय तथा अन्य यात्रियों के मना करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने एवं जान से मारने की धमकी देने की घटना के सम्बन्ध में धारा १२०/११८ रेलवे ऐक्ट के अन्तर्गत कायम

किये गये। मामले की जांच जी०आर०पी० थाना लखनऊ के थाना अधीक्षक द्वारा की गई। उक्त शिकायती पत्र में लिखे गये आरोपों की जांच अनुभागीय इन्सेक्टर तथा सहायक पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे द्वारा की गई। जांच से घटना के बारे में पता चला कि २९-७-६६, रात्रि लखनऊ झांसी पैसेन्जर ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में एक व्यक्ति ने अनधिकार रूप में प्रवेश करने की चेष्टा की। उस व्यक्ति का धारा १२०/११८ रेलवे ऐक्ट में चालान किया गया तथा न्यायालय द्वारा दन्डित हुआ।

जांच से जी०आर०पी० थाने के हेड कांस्टेबिल जय नारायण सिंह को रिपोर्ट लिखने से आनाकानी करने तथा मुलजिम को गिरफ्तार न करने का दोषी पाया गया तथा उनको निलम्बित करके उनके विरुद्ध धारा ७ पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जिला बिजनौर के खिलाफ जांच

*३९—श्री बाबू सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुपरिंटेंडेंट पुलिस जो जिला बिजनौर से भ्रष्टाचार की शिकायत पर सस्पेंड किये गये थे वे किस सन् में मुअत्तिल हुए, तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती सुचेना कृपालानी—

सुपरिन्टेन्डेट पुलिस, जो जिला बिजनौर से भ्रष्टाचार की शिकायत पर सस्पेन्ड किये गये थे, १० फरवरी, १९६१ को मुअत्तिल हुए। उनके विरुद्ध बोर्ड आफ इक्न्वारी जांच कर रही है।

*४०—श्री बाबू सिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि उपरोक्त पुलिस अफसर के विरुद्ध सी०आई०डी० की रिपोर्ट पर बोर्ड आफ इंक्वारी नियुक्त हुआ ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। जुलाई ३१, १९६३ को शासन ने बोर्ड आफ इन्क्वारी की नियुक्ति के बारे में आदेश जारी किये।

*४१—श्री दयाराम शाक्य—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया।]

विजिलेन्स कमीशन को गुड़ सप्लाई का कथित मामला

*४२—श्री शुकदेव प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायगी कि गोंडा जिलाधीश जब आर० एफ०सी०, मेरठ में थे उस समय कोई गुड़ के सप्लाई के सम्बन्ध में केस बिजिलेंस में दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार ने ऐसा कोई मामला विजिलेन्स डाइरक्टरेट या कमीशन को नहीं दिया। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

शोरा एवं नोना मिट्टी

*४३—श्री देवदत्त मिश्र—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या शोरा एक विस्फोटक पदार्थ है ? यदि हां, तो इसके नियन्त्रण एवं नियमन हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जी नहीं, शोरा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नियंत्रण का प्रश्न नहीं उठता।

*४४--श्री देवदत्त मिश्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उद्योग अधिकारी, कानपुर ने अपने पत्र संख्या ३०५५ सेवें दिनांक १६ जनवरी, १९६४ द्वारा प्रदेश में पाई जाने वाली नोना मिट्टी को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने की सरकार से अनुशंसा की थी ? यदि हां, तो उस विषय में क्या हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां। क्योंकि नोना मिट्टी प्रदेश में बहुतायत से पाई जाती है, यह आवश्यक नहीं समझा गया कि उसे राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाये।

*४५--श्री देवदत्त मिश्र--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शोरा का बारूद के निमित्त प्रयोग करने वाले प्रदेश के आतिशबाज नियन्त्रित हैं ? यदि हां, तो किस प्रणाली से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

आतिशबाजी बनाने के लिए लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक है परन्तु आतिशबाजी बनाने में शोरा के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि शोरा विस्फोटक पदार्थ नहीं है ?

*४६--श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी--

[अस्वीकृत किया गया।]

उत्तराखंड का औद्योगिक सर्वेक्षण

*४७--श्री योगेश्वर प्रसाद खडूड़ी (जिला चमोली)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरा खंड नियोजन समिति ने गत दो वर्षों से सरकार से अनेक बार उत्तराखंड के औद्योगिक आदि के सर्वेक्षण की मांग की थी ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? और सर्वेक्षण हुआ कि नहीं ? यदि हां, तो क्या-क्या औद्योगिक संभावनायें उस भूखंड में हो सकती हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, उत्तराखंड नियोजन समिति ने अपनी नवम्बर-दिसम्बर, १९६३ की द्वितीय बैठक में उत्तराखंड के औद्योगिक सर्वेक्षण के बारे में सामान्य रूप से संस्तुति की थी। सरकार ने इस विषय पर भली प्रकार विचार करने के पश्चात् उत्तराखंड के जिलों में लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धों को स्थापित करने की संभवनाओं पर छानबीन करने के लिये अप्रैल, १९६४ में राजा साहब भदरी की अध्यक्षता में एक विजिटिंग ग्रुप बनाया। विजिटिंग ग्रुप का कार्यकाल ३१ अक्टूबर, १९६६ को समाप्त हो गया है, किन्तु उसकी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर उत्तराखंड के तीनों जिलों के औद्योगीकरण के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

*४८--श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी--

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि उत्तराखंड के चमौली जिले में सरकार का किन-किन लघु उद्योगों की स्थापना करने का विचार है ? और किन किन कुटीर उद्योगों को उस पिछड़े हुये क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का विचार किया गया है ? क्या सरकार को इस संबध में विशेषज्ञों की सम्मति प्राप्त हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुये फिलहाल यह प्रश्न नहीं उठता ।

सिविल जजों की पदोन्नति

*४९--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ सिविल जजों की पदोन्नति सिविल ऐंड सेशन्स जजेज के पद पर करने के लिये राज्य सरकार के पास सिफारिश की है या लिखा है ? यदि हां, तो कब लिखा है और सरकार ने अब तक इस पर क्या किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह प्रश्न १० अगस्त, १९६६ का है। मई-जून, १९६६ में हाई कोर्ट का प्रस्ताव आया था जिस पर सरकार के आदेश हो चुके हैं। इससे अधिक इस बारे में कहना जनहित में न होगा ।

जिला उद्योग अधिकारी, मुरादाबाद पर आरोप

*५०--श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान जिला उद्योग अधिकारी, मुरादाबाद के विरुद्ध जहां वह रह रहे हैं उनके अधिकारियों को शिकायतें रही हैं ? उदाहरणार्थ भूतपूर्व जिलाधीश, इटावा श्री के० एन० श्रीवास्तव ने उन्हें २४ घंटे में ही कार्यभार से मुक्त कर दिया था या अमरीकन मिशन, फलपुर (इलाहाबाद) और प्रोजेक्ट आफिसर की शिकायतों पर उनका फूलपुर से स्थानान्तरण किया गया है ? अगर ऐसा है तब सरकार ने उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं तो, क्यों और उनको लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने कब और किस पोस्ट के लिये अप्रूव किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह तथ्य नहीं है । इटावा से अवश्य उनका स्थानान्तरण तत्कालीन जिलाधीश की शिकायत तथा कुछ प्रशासकीय कारणों से किया गया था। फूलपुर से उनका स्थानान्तरण किन्हीं शिकायतों के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासकीय कारणों से किया गया था। उक्त परिस्थितियों में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। श्री सेठ को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने इडस्ट्रियल सर्वे आफिसर, के पद पर सितम्बर, १९६२ में अनुमोदित किया ।

*५१--श्री हलीमुद्दीन--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला उद्योग अधिकारी, मुरादाबाद जिस दिन से मुरादाबाद आये हैं कभी गुणचिन्हांकन पीतल पात्र एसोशियेशन, मुरादाबाद और कभी फैक्ट्रीज एसोशियेशन, मुरादाबाद में बराबर दावतें खा रहे हैं और उन्होंने नाजायज रुपये की कमाई को भी सामूहिक रूप में जमा करके एक कामन पूल बनाया है, जिसको चलाने के लिये सारी फाइलें लेकर खुद ही मामला तय करते हैं और दोनों औद्योगिक सपेक्टर्स उनकी गलत कार्यवाही में शामिल हैं ? यहां तक कि कच्चे माल को आयात करने के लिये प्रार्थना पत्र दिये गये हैं वह सब ही एक ही व्यक्ति के हाथ की भरी हुई हैं और वह व्यक्ति उन्हीं के कार्यालय का है ? सरकार जिला उद्योग अधिकारी एवं उनके इन्सपेक्टरों के वि द्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार जिला उद्योग अधिकारी, मुरादाबाद गुण चन्हांकन पीतल पात्र एसोशियेशन तथा फैक्टरीज एसोसियेशन में किसी दावत के संबंध में नहीं गये।

उन्होंने न कोई नाजायज कमाई ही की है और न कोई कामन पूल ही बनाया है। जिला उद्योग अधिका ी तथा स्पेक्टरगण अपना-अपना कार्य जिम्मेदारी से कर रहे हैं। यह सही नहीं है कि कच्चे माल के आयात संबंधी सब प्रार्थना-पत्र एक ही व्यक्ति के हाथ के भरे हुये हैं जो कार्यालय का ही है। अधिकतर प्रार्थनापत्र टाइप की विभिन्न मशीनों से टाइप किये हुये है। हाथ से लिखे हुये प्रार्थनापत्र भी भिन्न भिन्न हाथों तथा रोशनाइयों से लिखे हुये हैं।

उक्त परिस्थितियों में जिला उद्योग अधिकारी तथा इन्सपेक्टरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*५२—श्री हलीमुद्दीन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि :

(अ) श्री आनन्द किशोर को सन् १९६६ में दो हजार रुपया कर्जा और तीन सौ पये उद्योग विभाग, मुरादाबाद द्वारा अनुदान भी दिया गया है, लेकिन उसने अब तक कोई उद्योग नहीं चलाया है और वह बाटा कम्पनी की दूकान पर नौकर है ?

(ब) श्री विद्याभूषण रस्तोगी को वर्ष १९६५ व ६६ में ढाई-ढाई हजार रुपया कर्जा और पांच सौ रुपया अनुदान उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया था, जिससे उनको निगाह के चश्मे का उद्योग चलाना है ? लेकिन अब तक उसने कोई काम नहीं चलाया है बल्कि वे अरुण प्रेस, मुरादाबाद में नौकरी कर रहे हैं और उनकी आयु ६० वर्ष है ?

यदि हां, तो उन लोगों के लिये जिन अधिकारियों ने रिपोर्ट देकर कर्जे और अनुदान की सिफारिशें की हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और इन कर्जों के लेने वालों से कर्जा वसूली में क्या हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(अ) जी हां, श्री आनन्द किशोर को मार्च, १९६६ में २,००० रु० का ऋण तथा ३०० रुपये का अनुदान दिया गया है। यह सही नहीं है कि उन्होंने कोई उद्योग नहीं चलाया है। बाटा कंपनी में नौकरी के साथ-साथ उनका निजी जूते बनाने का कार्य भी चल रहा है।

(ब) श्री विद्या भूषण रस्तोगी को २,५०० रु० का ऋण तथा ५०० रु० का अनुदान मार्च, १९६६ में दिया गया था। यह सही नहीं है कि उन्होंने कोई काम नहीं चलाया है, वह चश्मे बनाने का कार्य कर रहे हैं। मासिक आय कम होने के कारण श्री रस्तोगी अरुण प्रेस में नौकरी भी करते हैं। उनकी आयु ४०-४५ वर्ष की है।

क्योंकि सर्वश्री आनन्द किशोर और विद्या भूषण रस्तोगी ने उन्हें दिये गये ऋण तथा अनुदान का सदुपयोग किया है, किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। नियमानुसार दोनों सज्जनों से ऋण की वसूली की जायेगी।

अरुण लौह उद्योग सहकारी समिति, पडरौना से ऋण की वसूली

*५३—श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६६ के ७वें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री रक्षपाल सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर से संबंधित क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अरुण लौह उद्योग पर बकाया सरकारी रकम को वसूलने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अरुण लोहा उद्योग सहकारी समिति लि०, पडरौना, देवरिया को दिये गये ऋणों की वसूली के लिये कलक्टर, देवरिया को वसूली के प्रमाण पत्र भेज दिये गये हैं ताकि ऋण की धनराशि बकाया भूमिकर की भांति वसूल की जाय।

मुरादाबाद में सब-इन्सपेक्टर श्री दीनदयाल के विरुद्ध शिकायत

*५४—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या गृह मंत्री को पता है कि जिला मुरादाबाद में श्री दीन दयाल गुप्ता नामक दरोगा निलम्बित हैं और उनके विरुद्ध गंभीर शिकायतें हैं ? यदि हां, तो वह क्या शिकायतें हैं ? और क्या यह भी सही है कि उपरोक्त दरोगा सन् १९५९-६० में जब शाहजहांपुर में तैनात थे तो उनको चार साल की सजा एक कत्ल के मामले में अदालत जजी से हो गई थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, मुरादाबाद में तैनात सब-इन्सपेक्टर, श्री दीन दयाल गप्ता निलम्बित हैं। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत है।

श्री गुप्ता को सन् १९५९ में जब वह शाहजहांपुर में तैनात थे अदालत जजी से धारा ३२५/३२३ मा० द० वि० के अन्तर्गत चार साल की सजा हुई थी परन्तु अपील करने पर उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था।

शाहजहांपुर जिले में थानेदारों के खिलाफ शिकायत तथा तिलहर थाने की इमारत

*५५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला शाहजहांपुर के दो दरोगाओं को जिनका नाम श्री पीतम सिंह तथा श्री याद अली है उनके भ्रष्ट आचरण को देख कर सरकार उन्हें कम्लसरी रिटायरमेंट देने जा रही है ? यदि हां, तो कब से और क्या यह भी सही है कि श्री पीतम सिंह आगरा अथवा अलीगढ़ में तैनात थे तो उनकी निजी बन्दूक एक डकैत के पास बरामद हुई थी ? यदि हां, तो उस वक्त उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

यह सही नहीं है कि श्री पीतम सिंह की निजी बन्दूक आगरा तथा अलीगढ़ जिले में किसी डकैत के पास बरामद हुई थी।

*५६—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार जिला शाहजहांपुर में तिलहर थाने की इमारत नई बनवाने जा रही है ? यदि हां, तो उसमें कितनी लागत लगेगी और कब तक इमारत बन जावेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

अभी शासन ने थाना तिलहर, जिला शाहजहांपुर की नई इमारत बनाने का निर्णय नहीं किया है।

लक्ष्मी शुगर मिल्स, महोली पर बकाया

*५७—श्री छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १९६५-६६ के गन्ना पिराई सीजन में लक्ष्मी शुगर मिल्स, महोली, जिला सीतापुर ने खीरी जिले में कब से कब तक और कितना गन्ना खरीदा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्राप्त सूचनानुसार गत १९६५-६६ सीजन में निर्दिष्ट चीनी मिल ने खीरी जिले से २१-११-६५ से १४-५-६६ तक ८,४२,८४६.७९ क्विंटल गन्ना खरीदा है ।

*५८--श्री छेदा लाल चौधरी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कथित चीनी मिल्स ने गन्ना उत्पादकों के गन्ने-मूल्य का पूरा भुगतान कर दिया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो मिल्स द्वारा कुल कितना गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाना शेष है और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं । उक्त मिल द्वारा १९-११-६६ तक गन्ने के मूल्य का रुपया ४.६ लाख चीनी की पर्याप्त मात्रा में निकासी न होने के कारण धन के अभाव से भुगतान किया जाना शेष था । उक्त बकाया में परिदहन तथा हरगांव गन्ना समितियों का लगभग रु० २.५३ लाख सम्मिलित है जिसका भुगतान मिल और समितियों के मध्य हुये समझौते के अनुसार समितियों द्वारा किसानों को अपने फन्ड से किया जा रहा है । शेष रु० २.२४ लाख महोली गन्ना समिति का है और ३१-५-६६ को इस मिल के विरुद्ध जारी किये गये रिकवरी सार्टीफिकेट में वसूली के लिये उल्लिखित रकम में इस रकम का भी समावेश है ।

बन्थरा में तोताराम गूजर के घर कत्ल सहित डकैती

*५९--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि ३० व ३१ जुलाई, १९६६ की रात्रि में थाना भोजीपुरा, बरेली के अन्तर्गत ग्राम बन्थरा में ३०-३५ डाकुओं के सशस्त्र गिरोह ने डकैती डाल कर तोताराम गूजर को मार डाला और उसके लड़के को घायल किया तथा घर की रत्ती-रत्ती चीज उठा ले गये ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त परिवार के भरण-पोषण के लिये क्या सहायता दी तथा डाकुओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जुलाई ३०।३१, १९६६ की रात्रि में मौजा बन्थरा, थाना भोजीपुरा में १५-१६ डाकुओं के सशस्त्र गिरोह ने डकैती डाल कर तोताराम गूजर को मार डाला और उसके दो पुत्रों को काफी चोटें पहुंचाईं । घर में रखे कपड़े, बर्तन व जेवरात कुल कीमत ८६२ रुपया उठा ले गये । अभी मृतक तोताराम के परिवार के लिये कोई सहायता नहीं दी गई है । तीन डाकू पकड़े जा चुके हैं और बचे हुये डाकुओं की खोज जारी है ।

निदेशालय हरिजन कल्याण, लखनऊ में हड़ताल के समय का वेतन

*६०--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय, हरिजन कल्याण, लखनऊ के कर्मचारियों को हाल में सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के समय का वेतन नहीं दिया गया है जबकि अन्य सब जगह उक्त समय का पूरा वेतन कर्मचारियों को दिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ?

डाक्टर सीताराम--

निदेशालय हरिजन कल्याण, लखनऊ के कर्मचारियों को हाल में सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गयी हड़ताल के समय का वेतन सभी को दे दिया गया है ।

*६१--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारियों को यह वेतन कब तक दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम--

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाराणसी जेल में पाखाना व बिजली

*६२--श्री झिलमिट राम तथा श्री ऊदल (जिला गाजीपुर)--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि वाराणसी जिला जेल तथा सेन्ट्रल जेल में सजा पाये हुयें कैदियों से पैखाने की सफाई कराई जाती है और उन्हें कन्डाल में वे भर कर बाहर ले जाते हैं, सारे जेलखानों में है ? क्या यह ही व्यवस्था प्रदेश के सारे जेलखानों में है ? यदि हां, तो क्या सरकार फ्लश सिस्टम पाखाने का निर्माण कराने पर विचार करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जी हां। जेलों में पाखाना को जेल के बाहर या अन्दर खेत या खुली जगह में गाड़ देने की व्यवस्था है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण सभी जेलों में फ्लश सिस्टम के पाखानों का निर्माण करना संभव नहीं है ।

*६३--श्री झिलमिट राम तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी के जिला जेल तथा सेंट्रल जेल की बैरकों में बिजली नहीं लगी है ? यदि हां, तो क्या बिजली लगाने पर विचार किया जायगा ? प्रदेश की और कितने जेलों में बिजली नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जी हां। निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार बिजली लगाई जायेगी। पन्द्रह जेलों में बिजली नहीं है ।

*६४--श्री झिलमिट राम तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की जेलों में बंदियों से हाथ की चक्कियां चलवाई जाती हैं और ३० सेर गेंहूं पिसवाया जाता है ? यदि हां, तो प्रदेश की कितनी जेलों में यह कार्य लिया जाता है ? क्या सरकार इस चक्की के कार्य को बन्द करने पर विचार करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जी हां। केवल १० सेर गेंहूं पिसवाने का प्राविधान है। यह कार्य केवल ३३ जेलों में लिया जा रहा है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह कार्य बन्द नहीं किया जा सकता है ।

देवरिया जिले में कत्ल

*६५--श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाटा व कप्तानगंज थाने में, जो देवरिया जिले में है, १९६५-६६ में कितने कत्ल हुये ? उपरोक्त कत्लों के बारे में अब तक क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

सन् १९६५ और १९६६ में हाटा में कोई कत्ल नहीं हुआ। इस अवधि में कप्तानगंज में ३ कत्ल हुये। इन कत्लों में से एक में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई। एक सत्र न्यायालय में विचाराधीन है तथा एक में अभी विवचना की जा रही है ।

६६--श्री बांके लाल--

उपरोक्त थानों में विशेष रूप से गुंडागीरी और कत्ल विशेष रूप से बढ़ रहें हैं, इसके रोक थाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है, फिर भी जहां जहां अपराधों की रोक थाम के लिये आवश्यक समझा गया वहां वहां १०७।११७ जा० फौ० की कार्यवाही की गई है ।

गन्ने की उपज

*६७--श्री रामचरण शाह (जिला लखीमपुर खीरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में गन्ने की प्रति एकड़ औसत उपज क्या है ? तथा गन्ने के अधिकतम प्रति एकड़ उत्पादन के लिये जिस किसान को वर्ष १९६६ में पुरस्कार दिया गया उसका प्रति एकड़ उत्पादन क्या था ?

डाक्टर सीताराम--

वर्ष १९६५-६६ में चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने की प्रति एकड़ औसत उपज १५८ क्विंटल थी तथा उस वर्ष गन्ने का अधिकतम उत्पादन ८३७ क्विंटल प्रति एक ड़ था ।

*६८--श्री रामचरण शाह--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार गन्ने का प्रति एकड़ औसत उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--

चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ानें हेतु नियोजित ढंग से शासन द्वारा की गई कार्यवाही में से मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(१) राजकीय नलकूपों का निर्माण ।
(२) किसानों को सिंचाई साधन जुटाने के लिये ऋण तथा अनुदाम ।
(३) रासायनिक खादों की पूर्ति एवं कृषकों में उचित ढंग से वितरण कराने की व्यवस्था ।
(४) कतिपय खादों पर अनुदान ।
(५) उन्नतिशील कृषि यंत्रों के वितरण का प्रबन्ध ।
(६) उन्नतिशील कृषि विधियों का तथा नवीन अनुसंधानों का कृषकों में प्रचार।
(७) गन्ने की स्वीकृति तथा रोग रहित बीज पौधशालायें रखवाना । बीज पर अनुदान ।
(८) गन्ने की फसल की कीटों तथा रोगों से बचाने आदि के लिये गन्ना रक्षा सेवा संगठन ।
(९) गन्ना कृषकों को एक सप्ताह का प्रशिक्षण ।
(१०) प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अन्तर्प्रदेशीय दौरे का प्रबन्ध ।

*६९--श्री रामचरण शाह--

क्या सरकार इस बात की पूरी जानकारी देने की कृपा करेगी कि प्रश्न (१) में उल्लिखित जिस व्यक्ति को गन्ने के अधिकतम उत्पादन का पुरस्कार मिला उसने अपना उत्पादन बढ़ाने में क्या-क्या प्रयास किये थे ?

डाक्टर सीताराम--

वर्ष १९६५-६६ में प्रथम पुरस्कार पाने वाले ने अपने गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिये इस प्रकार प्रयास किया था :

(क) स्वीकृत जाति का बीज सी ओ ११४८ बोया;

(ख) खाद के रूप में ९३.३१ क्विंटल प्रेस मड, २.३५ क्विंटल अमोनियम सल्फेट तथा १ मन यूरिया प्रति एकड़ खेत में डाला।

(ग) ८ बार सिंचाई की तथा ४ बार गुड़ाई व जुताई की।

(घ) गन्ना बीजों के टुकड़े एगलाल के घोल में डुबोकर बोया।

(च) दीमक से बचाव के लिये गामा वी०/एच० सी० डाला था।

(छ) गन्ने की देखभाल तथा रोग व कीटों से बचाव के लिये अधिक व्यक्तिगत रुचि ली।

पुलिस कप्तानों के तबादले

*७०—श्री मोहनलाल वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स वर्ष प्रान्त में पुलिस कप्तानों का तबादला क्यों नहीं हुआ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं, इस वर्ष भी तबादले हुये हैं।

*७१—श्री मोहनलाल वर्मा—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि पुलिस कप्तानों के लिये एक जिले में अधिक से अधिक कितने वर्ष रहने का नियम है और इस वर्ष प्रान्त में कितने ऐसे कप्तान पुलिस हैं जो इन नियमों के विरुद्ध भी रह रहे हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

साधारणतया एक जिले में लगातार तीन वर्ष से अधिक एक पुलिस कप्तान नहीं रखा जाता है, लेकिन प्रशासकीय कारणों पर कभी-कभी यह अवधि कम या अधिक हो सकती है।

प्रदेश में इस वर्ष कोई पुलिस कप्तान ऐसा नहीं है जो तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय से एक स्थान पर तैनात हो।

चमोली जिले में सूखाग्रस्तों को सहायता

*७२—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या सरकार को यह मालूम है कि लगातार कुछ वर्षों में सूखा, अवर्षण आदि से उत्तराखण्ड के चमोली जिले के परगना बधांण, चांदपुर और परगना दशोली की कुछ पट्टियों में किसानों को रबी की फसल किंचित मात्र भी नहीं मिली है? क्या सरकार जांच करवा कर उन-उन पट्टियों में लगान माफ करने व गल्ले का विशेष प्रबन्ध करने की कृपा करेगी तथा गरीब किसानों को बिना मूल्य अनाज वितरित करने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चमोली जिले के बधांण, चांदपुर और दशोली परगनों की कुछ पट्टियों में केवल रबी की फसल (१३७३ फसली) को सूखा से कुछ नुकसान अवश्य पहुंचा है, जो अनुमानतः २५ से ५० प्रतिशत के बीच है। परन्तु यह बात सही नहीं है कि पिछले वर्षों में रबी की फसल उन पट्टियों में 'किंचित मात्र' भी नहीं मिली।

स्थिति को देखते हुये यह उचित प्रतीत नहीं हुआ कि लगान में छूट दी जाय या बिना मूल्य अनाज वितरित किया जाय।

न तीनों परगनों में ६४ सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं, जिनसे जनता को सस्ता गल्ला मिलता रहता है।

सिद्धनाथ कैदी, रायबरेली कारागार

*७३—श्री भगवान दीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कारागार रायबरेली में कोई सिद्धनाथ नाम का कैदी है? यदि हां, तो उसे कितने वर्ष का कारावास हुआ है और वह कब से इस कारागार में है?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां। बन्दी सिद्धनाथ को भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०२/३४ के अन्तर्गत आजीवन कारावास हुआ है और वह १९ अगस्त, १९६२, से जिला कारागार, रायबरेली, में है।

*७४—श्री भगवानदीन—

क्या यह सही है कि उक्त कैदी को बिना बीमार हुये ही बीमार बता कर कारागार रायबरेली में रखा गया? यदि हां, तो कितने दिन तक?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी नहीं।

सण्डीला थाने में राजेन्द्र सिंह के घर डकैती की रिपोर्ट

*७५—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बाधाडांड़ा, थाना सण्डीला, जिला हरदोई में २२/२३ मई, १९६६, की रात को श्री राजेन्द्र सिंह के घर पर डकैती पड़ी जिसकी रिपोर्ट २३ मई को प्रातः ७ बजे थाना में दर्ज कराई गई और पांच मुल्जिम जिनको पहचाना गया नामजद किया गया? यदि हां, तो उस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई और कितने मुल्जिमान गिरफ्तार किये गये?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, यह सत्य है कि दिनांक २२/२३ मई, १९६६, की रात को श्री राजेन्द्र सिंह के घर पर डकैती पड़ी जिसकी रिपोर्ट २३ मई को प्रातः ७ बजे संडीला थाना में श्री राजेन्द्र सिंह ने दर्ज कराई तथा वादी द्वारा ५ अभियुक्तों को नामांकित किया गया। इस मामले में भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७ के अन्तर्गत अभियोग कायम किया गया तथा जांच आरम्भ की गई। अभी तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया।

*७६—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राजेन्द्र सिंह मुद्दई ने १० जून, १९६६, को गृह मंत्री, डी० आई० जी०, लखनऊ व पुलिस कप्तान हरदोई व ८ जुलाई, १९६६, को पुनः डी० आई० जी० लखनऊ को प्रार्थना-पत्र दिये हैं कि स्थानीय पुलिस मुल्जिमों से साज कर गई है और डकैती की जांच ठीक प्रकार से न करके उल्टे गवाहों को गवाही न देने के लिये धमका रही है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई और डकैती की सही जांच के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, श्री राजेन्द्र सिंह के प्रश्न में अंकित प्रार्थना-पत्र मिले। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक व उप पुलिस अधीक्षक भी गये। प्रार्थना पत्रों में लिखित आरोपों में कोई तथ्य नहीं पाया गया। गांव में गम्भीर पार्टीबन्दी का होना ज्ञात हुआ तथा इस अपराध में अभियुक्तों का नामांकन भी सन्देहजनक प्रतीत हुआ।

परिगणित जातीय कर्मचारियों की छटनी विषयक राजाज्ञा

*७७—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिगणित जाति के कर्मचारियों को नौकरी में छटनी के लिये विभिन्न-विभिन्न विभागों को कोई राजाज्ञा मई, १९६६, में भेजी है? यदि हां, तो क्या सरकार उस राजाज्ञा की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। राजाज्ञा की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ९४१ पर)

*७८—श्री रामकिंकर—

क्या सरकार उक्त राजाज्ञा के आधार पर जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से छटनी किये हुये राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना अन्तर्गत चेचक निरीक्षकों (परिगणित) को पुनः उसी विभाग में १८ प्रतिशत तक रखने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना के छटनी किए गए परिगणित जाति के अधिकतर निरीक्षक जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में अन्य पदों पर पुनर्नियुक्त किए जा चुके हैं। शेष की भी निकट भविष्य में पुनर्नियुक्ति के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री केशवचन्द्र, डिप्टी कलेक्टर, ट्रान्सपोर्ट रीजन, मेरठ

*७९—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री केशव चन्द्र, डिप्टी कलेक्टर, ट्रान्सपोर्ट रीजन, मेरठ, ने ग्राम सीमली, परगना लक्सर, जिला सहारनपुर, में २८ जून, १९६६, को जबरदस्ती मकान बना लिया और ५ बीघा ग्राम समाज की बंजर भूमि परकब्जा कर लिया, प्रधान को पुलिस व एस० डी० ओ०, रुड़की, से कोई सहायता नहीं मिली? यदि हां, तो मजिस्ट्रेट के इस व्यवहार को रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

फैजाबाद जेल में बन्दी अध्यापक

*८०—श्री भगवानदीन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कारागार फैजाबाद में कितने बन्दी इस समय अध्यापक का कार्य कर रहे हैं? उनमें से कितने फैजाबाद जिले के हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—

केवल छः बन्दी अध्यापक का कार्य कर रहे हैं जिनमें से दो फैजाबाद जिले के हैं।

भारत सेवक समाज की उत्तर प्रदेश शाखा को अनुदान

*८१—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६४ से १९६६ तक सरकार द्वारा भारत सेवक समाज की उत्तर प्रदेश शाखा को कितनी ग्रांट दी गई? और रायबरेली जिले की शाखा को कितना रुपया दिया गया और किस-किस कार्य हेतु?

डाक्टर सीताराम--

समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सेवक समाज की उत्तर प्रदेश शाखा को सन १९६४ से सन् १९६६ तक ३०,००० रु० का अनुदान दिया गया। रायबरेली जिले की शाखा को कोई अनुदान नहीं दिया गया।

*८२--श्री गुप्तार सिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में भारत सेवक समाज को एक सार्वजनिक भवन के निर्माण के लिये रुपये दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मकान किस सन् में और किस स्थान पर तथा कितनी लागत का निर्मित किया गया है और सरकार ने उस मकान के निर्माण में कितना अनुदान दिया है ?

डाक्टर सीताराम--

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा तहसील में किसानों की अध्याप्त जमीन का मुआवजा

*८३--श्री छत्रपति अम्बेश--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३० अक्तूबर, १९६५, को २४ घंटे की नोटिस देकर करीब ५२२ एकड़ जमीन ग्राम पथोरी व वल्होर नगला, सुआ तहसील आगरा की एक्वायर की गई थी? यदि हां, तो क्या उस समय उस जमीन पर फसल भी खड़ी थी जिसको न तो काटने दिया गया न कोई मुआवजा दिया गया ? कब तक मुआवजा देने का इरादा है ? उस जमीन का मुआवजा अब तक न दिये जाने का क्या कारण है और क्या इससे २०० से अधिक परिवार प्रभावित हुये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं। जहां तक फसल का प्रश्न है, कहीं-कहीं बाजरा, अरहर और ज्वार की फसल खड़ी थी जिसका मुआवजा दिया जा चुका है।

*८४--श्री छत्रपति अम्बेश--

क्या यह सत्य है कि इन लोगों में से काफी संख्या में किसानों ने तकाबी ली थी जिसकी वसूली किसानों से की जा रही है जबकि वह रुपया कुआं बनाने के लिये था, क्या इन किसानों को कोई जमीन कृषि के वास्ते अन्यत्र दी गई या देने का विचार है या कोई सरकारी नौकरी इन परिवार वालों को सरकार का देने का इरादा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां।

(अ) सम्बन्धित काश्तकारों को दिनांक १६-७-६६ को जब अधिकृत भूमि का मुआवजा बांटा गया तो उन लोगों ने प्रसन्नता से किस्त तकाबी व मालगुजारी स्वयं अदा कर दी।

(ब) जब १६-७-६६ को मुआवजा दिया जा रहा था उस समय किसानों से पूछा गया था कि क्या वे अधिकृत भूमि के स्थान पर अन्यत्र भूमि लेंगे या मुआवजा, तो उस समय सभी ने मुआवजा लेना ही स्वीकार किया। नौकरी देने का प्रश्न नहीं उठता।

*८५--श्री छत्रपति अम्बेश--

क्या यह भी सच है कि जमीन आज तक बेकार पड़ी है और उन पर कोई कांस्ट्रक्शन आज तक न शुरू हो सका, तब कौन से ऐसे कारण थे कि उसको फसल तक काटने व पुनः बोने का अवसर न दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उक्त भूमि पर मिलिटरी ने कान्सट्रक्शन आरम्भ कर दिया है।

*८६-८७--श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

पुनर्विचार पर हटा दिये गये।

लखीमपुर में स्टेडियम

*८८--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रख कर कि लखीमपुर में स्टेडियम जहां बन रहा है वह स्थान कृषि कार्य के लिए बड़ा उपयोगी है तथा उससे गरीब काश्तकार प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या सरकार उसे किसी अन्य स्थान पर बनवाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

लखीमपुर में स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न

समाज कल्याण विभाग सम्बन्धी अधिकारी

१--श्री छत्रपति अम्बेश--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन से कारण हैं कि प्रोबेशन आफिसर जिसका कार्यकाल २६ दिसम्बर, १९६५, को समाप्त हो गया, पुनः उनको ही नियुक्त कर दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--

किसी प्रोबेशन आफिसर का कार्यकाल दिनांक २६-१२-१९६५ को समाप्त नहीं हुआ।

२--श्री छत्रपति अम्बेश--

क्या विभाग द्वारा एकीसैंसी लिस्ट सरकार ने तैयार करवाई थी ? यदि हां, तो उसे कार्यान्वित क्यों न किया गया ? कौन सी ऐसी परिस्थितियों वश उस पर अमल न हो सका ?

डाक्टर सीताराम--

१९६५-६६ में तीन जिलों में प्रगाढ़ प्रोवेशन प्रणाली के चालू करने की योजना के सिलसिले में, निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, द्वारा एक लिस्ट शासन को भेजी गई थी, परन्तु इस योजना के स्थगित हो जाने के कारण फिर इस ओर कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।

३--श्री छत्रपति अम्बेश--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग में कितने गजटेड अधिकारी ऐसे हैं जो लोक सेवा आयोग से बिना स्वीकृति प्राप्त किये कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितने वर्षों से ?

डाक्टर सीताराम--

केवल ८ राजपत्रित अधिकारी ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इसके सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ९४२-९४३ पर)

४---श्री छत्रपति अम्बेश---

क्या यह सच है कि इनमें अधिकांश अधिकारी लोक सेवा आयोग द्वारा अस्वीकृत किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन हैं, कितने वर्षों से हैं और क्यों नहीं पृथक किये गये ?

डाक्टर सीताराम---

जी नहीं।

५---श्री छत्रपति अम्बेश---

क्या यह सच है कि १९५८ में इब्राहीम इकोनामी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को सुझाव दिया था कि कारागारों पर होने वाले सरकारी व्यय में अधिक बचत के लिये सम्पूर्ण राज्य में पर्यवेक्षण योजना को व्यापक रूप से लागू किया जाय ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां।

गन्ने की सिंचाई

६---श्री रामचरण शाह---

क्या सरकार गन्ना मिलों के रिजर्व क्षेत्र में गन्ने की सिंचाई के लिये ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी जिससे एक गांव में अनेक छोटे नलकूपों के बजाय एक बड़ा नलकूप बनाया जाय जिससे कि सभी काश्तकारों को पानी मिल सके तथा निर्माण व्यय भी कम पड़े ?

डाक्टर सीताराम---

गन्ना मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में सरकार ३२४ बड़े नलकूपों का निर्माण स्वयं कर रही है। इसके अतिरिक्त छोटे व्यक्तिगत नलकूप निर्माण की योजना कार्यान्वित की जा रही है जो सफलता-पूर्वक चल रही है।

७---श्री रामचरण शाह---

क्या सरकार चीनी मिलों के मालिकों से भी सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिए सहयोग प्राप्त करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम---

इस समय सरकार सिंचाई साधनों को बढ़ाने के लिये कृषकों को ऋण तथा अनुदान देने का सारा व्यय स्वयं वहन कर रही है। अतः चीनी मिल मालिकों का सहयोग प्राप्त करने का फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

८---श्री रामचरण शाह---

क्या सरकार मिल-मालिकों का सहयोग गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्राप्त करने हेतु कोई प्रतियोगिता रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम---

ऐसी प्रतियोगिता रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि मिल मालिक विभाग द्वारा जो विकास योजनायें गन्ने का उत्पादन बढ़ाने हेतु चलाई जा रही हैं उनमें धन चन्दे आदि के रूप में देकर स्वयं सहयोग दे रहे हैं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब कभी कोई प्रश्न किसी जिले से संबंधित आता है तो आप अक्सर कह देते हैं कि उसी जिले के माननीय सदस्य को मौका प्रश्न का दिया जायगा

लेकिन सदस्यगण को यहां प्रदेश भर की जानकारी है और ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि जिले के ही सदस्य को अवसर दिया जाय । तब फिर ऐसा क्यों होता है ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसी बात आप न समझें, यह तो मेरे विवेक पर है, मैंने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है लेकिन यह बात उचित मालूम होती है कि जहां का प्रश्न हो वहां के स्थानीय सदस्य को अधिक अवसर दिया जाय ।

प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा काम का बहिष्कार करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास ३ कार्यस्थगन प्रस्ताव आये हैं, श्री टम्बेश्वर प्रसाद, श्री हरिनाथ तिवारी, श्री काशीनाथ मिश्र, श्री गया प्रसाद, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री शिवनाथ सिंह और श्री केशरी प्रसाद पांडेय के यह हैं । इन में जो बल दिया गया है वह इस बात पर है कि प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों ने कल से कार्यालयों में काम करने का बहिष्कार कर रखा है और आज भी वे काम नहीं कर रहे हैं और बल इस बात पर है कि प्रदेश की सरकार का समस्त प्रशासनिक कार्य कल से बिलकुल ठप है । प्रशासन में गतिरोध उत्पन्न होने से एक भीषण संकट उत्पन्न हो गया है । इस कामरोको प्रस्ताव में कहा गया है कि "प्रदेशीय सरकार का समस्त प्रशासनिक कार्य कल से बिलकुल ठप है और प्रशासन में गतिरोध उत्पन्न होने से एक भीषण संकट उत्पन्न हो गया है । इसी तरह से श्री टम्बेश्वर प्रसाद जी का और काशी नाथ जी का है कि सूबे का सारा काम ठप हो गया है, सड़कों पर रोडवेज की गाड़ियां भी चलना बन्द हैं। और इसी भावना का प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पांडेय आदि का भी आया है कि सारा सरकारी काम ठप हो गया है ।

एक डेफिनिट प्वाइंट इस के विषय में होना चाहिये जो विषय मैं समझता हूं इन सूचनाओं में है वह रखा । सरकार की ओर से इस विषय में क्या कहना है । इसको मैं समझता हूं कि यह हमारे नियमों के अन्तर्गत आता है । तो इस संबंध में सरकार की ओर से क्या कहना है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

आप इस पर डिस्कशन करने का टाइम दे दीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

तो माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, इसके लिये आप सदन से अनुज्ञा मांग लें ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

सदन के सामने भी आज यह प्रश्न है कि सरकार का सारा कामकाज ठप्प है और आज ऐसी परिस्थिति आयी है कि आज सदन के काम में भी हम लोगों को जैसी असुविधा हुई उससे हम आप सभी भली भांति परिचित हैं । इसलिये सदन के सामने मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये आपकी आज्ञा से सदन की अनुज्ञा चाहता हूं । (किसी के आपत्ति न करने पर)

श्री अध्यक्ष—

इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिये यह स्वीकार किया जाता है । आज ४ बजे इसको लिया जायगा ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, प्रश्नों के संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है। आज मेरे दो प्रश्न ८६ और ८७ नम्बर पर थे। क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राजकर्मचारियों की कौन-कौन मांग सरकार ने मान ली हैं? दूसरा है "क्या यह सही है कि सरकार और मुख्य सचिव ने संबंधित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए आश्वासन दिया है?" हमारे ये दोनों प्रश्न कल तो एजेंडा पर थे लेकिन आज वे हटा दिये गये हैं। उसमें लिखा गया है कि पुनर्विचार करके हटा दिया गया। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न पर फिर पुनर्विचार करके इसको कल के एजेंडे पर रखवा देंगे? आज प्रदेश में भीषण परिस्थिति प्रस्तुत है तो क्या सरकार और मुख्य सचिव उसका कोई समाधान निकालेंगे बजाय डंडों का इस्तेमाल करने के, और मेरे प्रश्नों को कल के लिये एजेंडे पर रखवा देंगे?

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे देखूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं में से मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया है।

प्रदेश के गैरसरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर राम नारायण पांडेय)—

प्रदेश के गैरसरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के आन्दोलन के संबंध में सर्वश्री हिम्मत सिंह, गया प्रसाद तथा माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा दी गई सूचना पर नियम ५२ के अन्तर्गत शिक्षा मंत्री का वक्तव्य:—

"सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, हिम्मत सिंह, तथा गया प्रसाद जी ने विधान सभा के नियम ५२ के अन्तर्गत लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहा है कि मान्यता प्राप्त गैरसरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक काफी दिनों से अपनी न्यायोचित मांगों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं और राजधानी में गत ६१ दिनों से नित्य अनशन कर रहे हैं। सरकार उनकी मांगों के प्रति निरन्तर उपेक्षा कर रही है जिससे प्रदेश में वातावरण तनावपूर्ण हो गया है। अध्यापकों में उत्तेजना फैल गई है। अतः इस पर शासन की ओर से एक वक्तव्य स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए दिया जाय।"

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के वेतन समानता की मांग काफी अरसे से चल रही है और इस पर विचार ही होता रहा है। समय-समय पर इसके संबंध में शासन का दृष्टिकोण इस सदन में तथा इसके बाहर बताया जा चुका है। शासन का विचार बताते हुए यह कहा जा चुका है कि सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन की समानता की मांग कुछ कारणों से स्वीकार करना संभव नहीं है।

जहां तक समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग का प्रश्न है, शिक्षकों की मांग है कि सरकारी तथा गैरसरकारी शिक्षकों की उपलब्धि में समानता होनी चाहिये। सिद्धांत रूप में राज्य सरकार इसको स्वीकार करती है परन्तु अपने आर्थिक साधनों को देखते हुए इसे कार्य

रूप में परिणत करना संभव नहीं हो रहा है। माननीय सदस्यों को स्वयं ज्ञात है कि हमारे आर्थिक साधन बहुम कम हैं। मैं इस ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना उचित समझता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही शिक्षकों को विभिन्न सुविधाओं के प्रदान करने पर काफी व्यय हो चुका है जो लगभग दस करोड़ प्रति वर्ष का है। वेतन स्तरों में समानता होनी चाहिये, इस ओर बराबर प्रयास भी होता रहा है, परन्तु आर्थिक साधन सबसे बड़ी अड़चन सिद्ध हो रहे हैं।

गैरसरकारी स्कूलों के अध्यापकों की वेतन समानता की मांगों के आर्थिक पहलू की छानबीन बहुत कुछ हो चुकी है और अब भी जारी है। माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन में समानता लाने पर पांच वर्षों में यह व्यय लगभग आठ करोड़ पंद्रह लाख का होगा। प्राइमरी स्तर पर यह व्यय पांच वर्षों में अट्ठाइस करोड़ पैंतालिस लाख अनुमानित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेतन समानता संबंधी मांग के गम्भीर आर्थिक पहलू हैं और इतने बड़े धन की सम्प्रति व्यवस्था करना प्रदेशीय सरकार के लिए एक जटिल प्रश्न है।

शिक्षकों की मांगों के प्रति सरकार ने सदैव सहानुभूति रखी है और इसका प्रमाण इसी से मिल जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गैरसरकारी स्कूलों के अध्यापकों की वार्थिक दशा और सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये। १९४७ में पूर्व माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के कोई निश्चित वेतन क्रम नहीं थे। १९४६ की वेतन समिति ने इन अध्यापकों के लिये वेतन-क्रम निर्धारित किये और वे अनिवार्य रूप से लागू किये गये। १९५९ में १९४७ के वेतन-क्रमों में पुनः वृद्धि की गयी। जुलाई १९६२ से ३५० रुपये तक वेतन पाने वाले सभी अध्यापकों को २० ० मंहगाई भत्ता दिया गया जो पहली अप्रैल, १९६५ से ३५० रु० मासिक से अधिक वेतन पाने वाले अध्यापकों को भी स्वीकार किया गया। अगस्त, १९६५ से सभी अध्यापकों को तथा प्रधानाचार्यों को २० रु० मासिक की ऐड हाक वेतन वृद्धि स्वीकृत की गयी है। वित्तीय वर्ष १९६४-६५ से इन अध्यापकों को अकाल मृत्यु की दशा में ६ महीने के वेतन की ग्रैचुटी प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी। अक्तूबर, १९६४ से अध्यापकों के लिए लाभत्रयी योजना लागू की गयी जिसके अन्तर्गत उनको प्रावीडेंट फंड, जीवन बीमा, तथा पेंशन जिसमें पारिवारिक पेंशन भी सम्मिलित हैं, सुविधायें प्रदान की गयी। इंटरमीडियेट एजुकेशन ऐक्ट में १९५८ में संशोधन करके इन अध्यापकों को पर्याप्त मात्रा में सेवा सुरक्षा प्रदान की गयी। उनकी नियुक्ति, अपील, दंड विधान आदि के नियम बनाये गये और अब बिना विभागीय अधिकारियों की पूर्व अनुमति के इन अध्यापकों को सेवा से नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार इन अध्यापकों की आर्थिक दशा सुधारने और उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान करने के प्रति सदैव सजग रही है और बराबर समय-समय पर इस दिशा में ठोस कदम उठाये गये हैं।

इससे स्पष्ट हो जायेगा कि शासन ने अध्यापकों की समानता संबंधी मांग पर पर्याप्त विचार किया है और अब भी विचार कर रही है। सरकार की अध्यापकों से पूरी सहानुभूति है और संघ के प्रतिनिधि मुझ से बार-बार मिलते रहे हैं। जो कठिनाइयां शासन के समय रही हैं वे बराबर स्पष्ट की जाती रही है। जब तक यह वित्तीय प्रश्न का हल नहीं निकलता इस मांग के बारे में कुछ करना सभव नहीं है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति स्पष्ट है। इस समय शासन की सारी शक्ति उत्पादन क्षेत्र में लगानी पड़ रही है जिससे जन साधारण के साथ सभी का स्तर ऊपर उठ सके। अध्यापक समुदाय एक सुनिश्चित तथा दूरदर्शी वर्ग है और उसे प्रदेश की स्थिति को समझते हुए सजग रूप से विचार करना चाहिये।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट को देखने की कृपा करेंगे जिसमें कहा गया है कि अभी तक जो सरकारी और गैरसरकारी संस्थायें हैं, उनके बीच में एक बहुत

श्री हिम्मत सिंह

भारी खाई है ? तो क्या उस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ? १९५९ से १९६५ तक उनमें क्या विषमता रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है। यह खाई कम होती जा रही है। इस कार्य को करने के लिए हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि १९५९ से १९६५ तक सरकारी और गैरसरकारी ट्रेंड ग्रेजुएट्स का स्केल १२०–३०० तक था, अन्डर-ग्रेजुएट का ७५–२०० और जे० टी० सी० का ६०–१२० बराबर स्केल रहा है लेकिन अप्रैल १९६५ के बाद से १५०–३००, गैरसरकारी का १२०–३०, इसी तरह से ग्रेजुएट्स के संबंध में ४५–५० तक और जे० टी० सी० के संबंध में ४० से ६० तक अन्तर पड़ा है अप्रैल, १९६५ के बाद, इसकी क्या वजह है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सन् १९४७ से पहले जे० टी० सी० का ग्रेड ६०–११० था जो अब १०० से १८०, १-४-६५ से हो गया, सी० टी० का १–७–४७ में ७५–१७५ था वह अप्रैल, १९६५ से १२०–२५० हो गया, एल० टी० का १२०–२०० था वह १५०–३५० हो गया, लेक्चरर्स का १५०–२५० था वह अब २५०–५५० हो गया, हैडमास्टर का २००–३५० था जो २५०–६०० हो गया. और प्रिंसिपल्स का २५०–५०० था जो अप्रैल, १९६५ से ३००–९०० हो गया।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि १९५९ में जो डिसपैरिटी थी वह १९६५ से और बढ़ गई है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

पहले से अब में फर्क है कि नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी—

अध्यापकों को तृतीय योजना में जो सुविधायें दी गई हैं उस पर मंत्री जी ने प्रकाश डाला मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि चतुर्थ योजना में क्या सरकार अध्यापकों की जो १९६५ में डिसपैरिटी और गढ़ गई है उसको दूर करने के लिये उतनी रकम रखेगी जिस से डिसपैरिटी दूर हो सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

डिसपैरिटी घटाना चाहते हैं, रखना ही नहीं चाहते। लेकिन उसके लिये आर्थिक स्थिति होनी चाहिये। ज्यों ज्यों साधन उपलब्ध होंगे त्यों-त्यों डिसपैरिटी घटती जायेगी।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

इस डिसपैरिटी को हटाने में कितना व्यय होगा और अध्यापकों द्वारा जो सुझाये हुये रास्ते हैं उनको मानने या उसको पूरा करने में क्या आपत्ति है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वह मैं पहले बता चुका हूं कि ८ करोड़, १५ लाख हायर सेकेंड्री स्टेज वालों पर खर्च होगा और प्राइमरी स्टेज पर २८ करोड़ ४५ लाख का व्यय अनुमानित है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)---

जैसा पिछले प्रश्नो में उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि १९४६ में अध्यापकों का कोई वेतन-क्रम नहीं था, वह निश्चित किया गया और बराबर बढ़ोत्तरी की गई। मैं जानना चाहता हूं कि भारत की आजादी के बाद आप के प्रांत में सरकारी स्कूलों और गैर सरकारी स्कूलों के वेतन में जो अन्तर था वह अन्तर अब वेतन अभिनवीकरण लागू होने के बाद और अधिक बढा है या घटा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

प्रतिशत तो घटा ही है।

श्री अध्यक्ष---

वह पूछ रहे हैं कि डिफरेंस ज्यादा है पहले की अपेक्षा कि नहीं।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यों तो कहा जाय १०० और ३०० के बीच में ३३ परसेंट है। तो, श्रीमन्, इस प्रकार प्रतिशत घटा है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ को जो मांग है वह केवल पैसे की ही मांग नहीं है। उनकी मांग बहुत ही मानवीय है और सभ्यता और संस्कृति से भी संबंध रखती है। वे यह कहते हैं कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारा वेतन बढ़ा नहीं सकती है, तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति है कि जो सरकारी टीचर्स हैं उनको इनके लेविल में कर दें जिससे कोई यह न कह पाये कि समान काम करने वालों में असमानता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

अब श्रीमन्, सरकारी शिक्षक यह कहते हुऐ दिखायी पड़ते हैं कि हमारी और उनकी सेवाओं की सुविधा में बहुत भिन्न हैं। अभी उस प्रश्न को हम यहां नहीं उठाना चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या शिक्षा मंत्री जी के पास १९४७ से १९५९ तक और १९५९ से १९६५ तक और १९६५ से वर्तमान अवधि तक की तालिका मौजूद है ? श्रीमन्, मैं आपके पास भेज दूंगा। इसमें स्पष्ट है कि १९५९ से १९६५ तक जो वेतन-क्रम इन सरकारी और गैरसरकारी शिक्षकों का था उसमें कोई अन्तर नहीं रहा था और १९६५ में जिसमें नवीनीकरण किया गया ट्रेंड ग्रेजुएट के वेतन में ५० रुपये कम हो गये और अन्डर ग्रेजुएट में ५० और जे० टी० सी० में ६० का फर्क हो गया। तो यह जो समान वेतन-क्रम की मांग है इसमें फर्क होता जा रहा है और सरकार को इसकी जानकारी है। तो फिर मंत्री जी बतायें कि बड़े वेतन वालों की कम करने में उनको क्या दिक्कत है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, डिस्पैरिटी में समझ नहीं पाया। मैं तो इसमें देख रहा हूं मुझे पैरिटी ज्यादा नजर आ रही है डिस्पैरिटी के मुकाबले में।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि प्रिंसिपल के पद का सन् १९४७ से १९५९ तक वेतन २५० से ८५० तक था और सरकारी और गैरसरकारी में अन्तर ३५० रुपये का था। वह अन्तर १९५९ से १९६५ तक कम हो कर १७५ रु० रह गया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

लेकिन अभिनवीकरण के बाद फिर २२५ हो गया, यानी अन्तर बढ़ गया। इसी प्रकार हेड मास्टर के वेतन में १९४७ से १९५९ तक १५० रुपये का अन्तर था जो १९५९ से १९६५ तक कम हो कर केवल ७५ रुपये रह गया । लेकिन उसके बाद १७५ रुपये का अन्तर हो गया । इसी तरह लेक्चरार के वेतन में पहले २०० का अन्तर था, फिर १०० रह गया और अब फिर २०० का अण्तर कर दिया। ट्रेंड ग्रेजुएट, अन्डर ग्रेजुएट और जे० टी० सी० के वेतन में १९५९ से १९६५ तक कोई अन्तर नहीं था लेकिन अभिनवीकरण के बाद ५०–५० और ६० रुपये का अन्तर हो गया । इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन् स्थित इस प्रकार है । सन् १९४७ में एल० टी० का वेतन-क्रम था १२० से २०० तक प्राइवेट का और २०० से ३०० तक गवर्नमेंट का । अब १९६५ के बाद प्राईवेट हैं १२०–३०० और १५०–३५० सरकारी है, यानी केवल ५ रुपये सरकारी शिक्षकों के बढ़े हैं जबकि प्राईवेट लोगों के १०० रुपये बढ़े हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, यह जो बता रहे हैं यह बिल्कुल सत्य से परे है। आप देखें ट्रेंड ग्रेजुएट, अन्डर ग्रेजुएट और जे० टी० सी० के १९५९–६५ तक सरकारी और गैरसरकारी ग्रेड में कोई अन्तर नहीं था लेकिन १९६५ के गाद न्यूनतम में २०, ३५ और ४५ का अन्तर हो गया और उच्चतम में ५०–५० और ६० का अन्तर हो गया । जहां पैरिटी थी वहां डिस्पेरिटी क्रियेट कर दी । इसी प्रकार प्रिंसिपल को लीजिये, हेडमास्टर को लीजिये, लेकचरार को लीजिये । इसी तरह से प्रिंसिपल्स और हेड मास्टर्स को लीजिये । पहले १७५ और १०० की डिस्पेरिटी थी वही १९६५ के बाद २०० कर दी है और डिस्पैरिटी को बढ़ा दिया है । बजाय ऊपर जाने के नीचे की ओर क्यों जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये क्या किया जाय ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी, आपने फैसला नहीं किया कि हम कहते हैं वह सही है या वह कहते हैं वह सही है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं क्या करूं ?

श्री टम्भेश्वर प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, हम जो ग्रेड बता रहे हैं वह सही हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

श्रीमन्, वे कहते हैं कि सुविधायें बढ़ीं और कुछ अन्तर नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में रिकमेन्ड किया है कि गवर्नमेंट लोकल बाडीज और प्राइवेट इंस्टीटयूशन्स के टीचर्स को समान वेतन और समान सुविधायें मिलनी चाहिये तो इसको कबूल करने में सरकार को क्या एतराज है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, अर्थ की कमी है।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार चाहती है कि डिसपैरिटी हटाई जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको हटाने के लिये नये टैक्स लगाने पर विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, अभी जहां तक टैक्स लगाने का प्रश्न है सम्भवतः उसका विचार नहीं है और जो साधन हैं वे बहुत सीमित हैं इसलिये इसको पूरा करने में अभी विलम्ब होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मंत्री जी को आर्थिक कठिनाई है और अध्यापक आन्दोलन कर रहे हैं। इनके झगड़े में विद्यार्थी परेशान हैं। क्या मंत्री जी को पता है कि १३ दिसम्बर से अध्यापक सारे प्रदेश में हड़ताल करने जा रहे हैं जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई समाप्त हो जायेगी ? इसलिये क्या मंत्री जी उनका वेतनक्रम बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

भविष्य में पता नहीं क्या किसी का विचार हो। सुहानुभूति सरकार की शिक्षकों के साथ है और रहेगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी इसको देखते हुये कि जितनी वे खाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही बढ़ती चली जा रही है, किसी ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं जिससे उनकी न्यूनतम मांगें पूरी हों और टीचर्स को संतोष हो सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, अपनी अधिकतम सीमा मालूम हो तो न्यूनतम के लिये अनुपात निकाला जाय। अभी हमारे पास कुछ नहीं है इसलिये न्यूनतम कहां लगायेंगे। यह संभव नहीं है।

श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)---

क्या मंत्री जी टीचर्स की मांग को अपने सीमित साधनों को देखते हुये उन पर विचार करने के लिये किसी समिति का निर्माण करेंगे जो तमाम विवाद को समाप्त कर दे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

कमीशन और कमेटियां काफी नियुक्त हुईं, लेकिन असली कमी साधनों की है वह पूरी होनी चाहिये।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)---

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इधर जो डिस्पैरिटी सरकारी स्कूलों के अध्यापकों और गैरसरकारी स्कूलों के अध्यापकों के बीच में पैदा हुई है उसमें उन्होंने एक प्ली यह दी है कि शायद सरकारी और गैरसरकारी स्कूलों के अध्यापकों की सेवाओं में, सर्विस कंडीशंस में असमानता है, गैरसरकारी स्कूलों के अध्यापकों को कुछ सुविधायें हैं जो सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को नहीं हैं। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि कौन से कारण हैं जिससे यह डिस्पैरिटी कायम की जा रही है और बढ़ाई जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

सरकार की ओर से हम इसे नहीं मानते हैं। जो बहुत से दूसरे विद्यालय हैं वह कहते हैं। वह निवेदन किया था।

श्री रघुनाथ सिंह---

क्या माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रख कर कि लड़कों में असतोष के कारण स्कूल बन्द रहे और अध्यापक १३ दिसम्बर से सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं यह परिस्थिति न आये आप शिक्षक संघ के अधिकारियों और नेताओं से बात करने के लिये अवसर निकालने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

बात करने के लिये सदैव उपस्थित हैं।

श्री रघुनाथ सिंह---

व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने नकरात्मक उत्तर दिया है कि हम तो हमेशा तैयार हैं। मैं निश्चित रूप में जानना चाहता हूं कि शिक्षक संघ से बातचीत करने के लिये सोचा जा रहा है या नहीं ? क्या यह उत्तर उनका संतोषजनक था ?

श्री अध्यक्ष---

डाक्टर जो इलाज बतला रहा है वह कैसे मानेंगे नहीं, जरूर मानेंगे। आप डाक्टर हैं वह मानेंगे। सोचेंगे अवश्य।

श्री रघुनाथ सिंह---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह मुझ से इलाज कब करवायेंगे ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी---

माननीय मत्री ने कहा कि सरकार इस बात पर विश्वास करती है कि समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाय। मैं जानना चाहती हूं कि आर्थिक कारणों से सरकार यदि इस वर्ष सरकारी और गैरसरकारी विद्यालयों के अध्यापकों में जो अन्तर है उसको दूर नहीं कर सकती तो चतुर्थ पचवर्षीय योजना में ऐसे आर्थिक साधनों को जुटाने का प्रयत्न करेगी और अध्यापकों को स्पष्ट आश्वासन देगी कि अगले वर्षों में यह डिस्पैरिटी दूर की जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

आश्वासन देना संभव नहीं है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

परिस्थिति न बिगड़ने पाये इसलिए जो बन्दी अध्यापक हैं उनको छोड़ कर सरकार १३ दिसम्बर से पहले उनसे बात करने की कोशिश करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

सरकार यह मानती है कि डिस्पैरिटी कम होनी चाहिये। तो या तो सारी शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करें या जो शिक्षण संस्थायें साधन सम्पन्न हैं जो दे सकती है उन्हीं को पहले मायन्ता दी गयी या नहीं दी गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अपने साधनों से जो कोई जो कुछ भी देना चाहें, हम मना नहीं करते।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

अगर इंस्टीट्यूशंस अपने साधनों से अध्यापकों को पैसा दे दें तो प्रोपोर्शनेट ग्रान्ट आपको देने में तो कोई आपत्ति नहीं होगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, जो ग्रान्ट जिनकी बंधी हुई है हम तो उसी के हिसाब से देंगे।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

उत्तर प्रदेश में सरकारी और गैरसरकारी अर्थात् एडेड इंस्टीट्यूशन की आमदनी में कितना अन्तर है ?

डाक्टर रामनायायण पांडेय--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

गैर सरकारी विद्यालय यदि अपनी आय से वेतन बढ़ा दें इसमें सरकार को आपत्ति नहीं है, जैसा अभी कहा गया है। तो श्रीमन्, वेतनक्रम का निर्धारण तो सरकार ही करती है और उसी के हिसाब से अनुदान देती है और अगर हम एक पैसा भी वहां फिजूलखर्ची करते हैं तो हमें अपनी जेब से देना पड़ता है। यह मंत्री हैं ऐसा जवाब क्यों देते हैं, उन्हें जरा रोकिये।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मैंने स्पष्ट कहा है कि अनुदान देने में हम असमर्थ हैं। वे अपने पास से कुछ भी दे दें।

श्री केशरीप्रसाद पांडय--

११ तारीख से अध्यापक हड़ताल पर जा रहे हैं तो विद्यार्थियों की पढ़ाई का हर्जा न हो, इसके लिये क्या सरकार ने कोई प्रबन्ध कर रखा है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

जिला उन्नाव के कुछ ग्रामों के किसानों पर कानपुर के लोगों द्वारा आक्रमण के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--श्रीमन्, कानपुर तथा उन्नाव जिलों के बीच की सीमा गंगा नदी की धारा निर्धारित करती है। एक कृत्रिम धारा, उक्त मुख्य धारा से, एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निर्मित की गई है। उन्नाव जिले की कुछ भूमि मुख्य धारा के दूसरी ओर कट कर चली गई है। इस कटी हुई भूमि की व्यवस्था हेतु दोनों जिलों के अधिकारियों के बीच परामर्श होरहा है।

२--नियम ५२ के प्रस्ताव में २७ तथा ३० नवम्बर, १९६६ की जिन घटनाओं का उल्लेख है उनके बारे में कोई सूचना संबंधित थानों या अन्य अधिकारियों को नहीं मिली है। कुछ शिकायतें पहले जिलाधीश, उन्नाव के पास इस बात की आई थीं कि कानपुर जिले के कुछ व्यक्ति अनिधिकृत रूप से कटी हुई भूमि पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं तथा उन्नाव जिले के काश्तकारों के कब्जे में विघ्न डाल रहे हैं। यह शिकायतें कानपुर के अधिकारियों को भेजी गईं तथा उन्हीं ने पुलिस को सतर्क कर दिया है एवं गश्त का प्रबन्ध, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने क लिये, किया है।

श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला कानपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन, एजेंडे पर लिखा हुआ है और पिछली बार आपने स्वीकार भी किया था कि राजस्व मंत्री जी वक्तव्य देंगे लेकिन आज माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। स्थिति से स्पष्ट रूप से राजस्व मंत्री जी संबंधित हैं।

श्री अध्यक्ष---

दीक्षित जी, यह उत्तर सरकार की तरफ से आया है। मैंने यहां से उन्हीं के पास भेजा था लेकिन सरकार ने समझा कि गृह मंत्री के द्वारा ही व्यवस्था हो सकती है तो उन्होंने उनको भेज दिया।

शाहजहांपुर जिले के नलकूपों को बिजली न मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का सुनासर सघन कृषि क्षेत्र, जिला शाहजहांपुर में नलकूपों के लिये कनेक्शन देने के विषय में स्थिति यह है कि इस कार्य के लिये करीब २१ से २५ मील लम्बी लाइन बनानी पड़ेगी जिसका व्यय प्रस्तावित लोड की मांग से पूरा नहीं पड़ता। अतः यदि कुछ मांगें और इस क्षेत्र से प्राप्त हो जायें तभी कनेक्शन देना संभव होगा।

शारदा नहर में पानी की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य

*विद्युत् उप मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---

लखनऊ ब्रान्च, जिससे हैदरगढ़ तथा जौनपुर शाखायें निकलती हैं, प्रस्तावित रोस्टर के अनुसार १ दिसम्बर वाले सप्ताह से दो सप्ताह के लिये बन्द कर दी गई थीं। और उसे १५ दिसम्बर के सप्ताह से दोबारा चलाने की योजना थी किन्तु पानी की मांग की नवीनतम स्थिति के अनुसार इस रोस्टर में रद्दोबदल कर दिया गया है और अब लखनऊ ब्रांच को ८ दिसम्बर वाले सप्ताह से चलाने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

यह कहा गया है कि जौनपुर ब्रान्च को पूरा पानी देकर हैदरगढ़ शाखा को बैलेन्स में चलाया जाता है और उसे २०० कुयूसेक्स पानी कम दिया जाता है। यह सही नहीं है, क्योंकि इन दोनों नहरों म उपलब्ध पानी नियमानुसार ही वितरित किया जाता है। प्राप्त सूचना के अनुसार चालू रबी में लखनऊ डिवीजन की कबूलपुर, बहरोली और हरदोई मायनरें चलाई जा चुकी हैं। अब पुनः लखनऊ ब्रान्च से चालू होने पर प्रश्न में वर्णित सभी नहरों को चलाने का विशेष रूप से प्रयत्न किया जा रहा है। मझगवां तथा सफीपुर की झीलों के लेविल की जांच करन के लिये आदेश दे दिये गये हैं। गोमती नदी पर एक पम्प कैनाल योजना शासन के विचाराधीन है।

*श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि हैदरगढ़ शाखा और जौनपुर शाखा का बटवारा इस प्रकार से होना चाहिये कि एक सप्ताह वह चलाई जाय और एक सप्ताह दूसरी चलाई जाय।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६ पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके उद्देश्य और कारणों में इस विधेयक को लाने का तफसील के साथ ब्योरा दिया गया है किन्तु थोड़ी सी जानकारी के लिये मैं माननीय सदस्यों के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह एक छोटा सा विधेयक है जिसके द्वारा प्रदेश के लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ७ और ८ में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन से राजस्व परिषद् द्वारा संचालित विधेयक के संबंध में प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। इस समय प्रचलित रीति यह है कि लैंड रेवेन्यू के मामलों की सुनवाई केवल परिषद् एक बार करती हैं। वह नीचे की अदालत के मत से सहमत होते हैं तो स्वतः अन्तिम आदेश देते हैं परन्तु जहां उसके विचार में नीचे की अदालत का आदेश रद्द करने और संशोधित करने की जरूरत होती है वह अपने मत को लिखकर परिषद् के दूसरे सदस्यों के समर्थन के लिये भेजा जाता है। परिषद् का दूसरा सदस्य यदि पहल सदस्य से सहमत होता है और उसके आदेश का समर्थन करता है तभी नीचे की अदालत के आदेश को रद्द या संशोधित किया जा सकता है। वर्तमान प्रणाली में यह आवश्यक नहीं है कि समर्थन करने वाला सदस्य मामले की सुनवाई करे। अभी हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि किसी सदस्य का अपने सहयोगी द्वारा अभिलिखित निर्णय पर वास्तव में पक्षों की सुनवाई किये बिना सहमति देना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। अतएव यह प्रस्ताव किया जाता है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९५३ निरस्त किया जाय। साथ ही यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ की धारा ७ को संशोधित किया जाय जिससे कि परिषद् को स्पष्ट रूप से यह अधिकार दिया जाय कि वह अकेले या डिवीजन बेंचों में बैठने वाले अपने सदस्यों द्वारा कार्य के निस्तारण को विनियमित कर सकें।

यह जो संशोधन पेश किया गया है यह हाईकोर्ट के प्रचलित नियमों के अनुकूल है। मैं समझता हूं कि इससे इस बिल को लाने का अभिप्राय स्पष्ट हो गया और मान्यवर, अधिनियम में जो उद्देश्य और कारण हैं उनको भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये, यदि आज्ञा हो तो बता दूं। वह इस प्रकार है कि—"उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) अधिनियम १९५३ की धारा ३ के साथ पठित यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की वर्तमान धारा ८ के अधीन यह आवश्यक नहीं है कि राजस्व परिषद् के सभी सदस्य, जो उसके विचारार्थ आई हुई किसी न्यायिक कार्य वाही के निर्णय में भाग लेते हैं, वास्तव में पक्षों की सुनवाई करें और यह पर्याप्त समझा जाता है कि केवल एक ऐसा सदस्य पक्षों की सुनवाई कर ले और दूसरा उसके निर्णय से सहमत हो। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि किसी सदस्य का अपने सहयोगी द्वारा अभिलिखित निर्णय पर वास्तव में पक्षों की सुनवाई किये बिना सहमति देना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। अतएव, यह प्रस्ताव किया जाता है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९५३ निरस्त किया जाय। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ७ को संशोधित किया जाय जिससे कि परिषद् को स्पष्ट रूप से यह प्राधिकार दिया जाय कि वह अकेले या डिवीजन बेचों में बैठने वाले अपने सदस्यों द्वारा कार्य के निस्तारण को विनियमित कर सकें"।

यही सारांश है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस अभिप्राय को समझ गये होंगे। यह छोटा सा बिल है और मैं प्रार्थना करूंगा माननीय सदस्यों से कि वे बिना किसी बहस के इस बिल को पास कर दें।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है उसमें मैं संशोधन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वह संशोधन इस प्रकार है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६ को सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जिससे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के भीतर दे दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो एडवोकेट हैं और न्याय की जो बातें हैं वे अच्छी तरह समझते हैं। हमारे माननीय सदस्य ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध यह राज्य सरकार अपना कार्य चलाती थी। इतना समझते हुये भी कहा गया नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। होता क्या था कि बोर्ड में जो मामला पेश होता था उसमें एक मेम्बर सुनता था दूसरे मेम्बर्स चाहे सुने या न सुनें। वह अपनी कानकरेन्स दे देता था। न्याय यह कहता था कि न्याय जो करे वह सुने और फिर उसी लीगेलिटी को इल्लीगल करने जा रहे हैं। पहिला विषय जो आपत्तिजनक है वह है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियन) आपने इनके नियम क्यों रखे हैं। अमैन्डमेन्ट आप कर रहे हैं लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट का और उसमें ७–८ सैक्शन को अमैन्ड किया है। आपका इस तरह से किया हुआ अमैन्डमेन्ट फिर इल्लीगल हो जायगा। इसी कारण हम चाहते हैं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिससे इसमें जो गलतियां हैं वह निकल जायं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सन् ६२ के हैं। ५ बरस से आप उसी तरह काम कर रहे हैं। अब ५ बरस के बाद लाये भी हैं तो गलत लाये हैं। यह अमेंडमेंट उचित नहीं है, इसलिये इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

(इस समय १२ बजकर ५१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये।)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरी तो सूचना यह है कि यह राजस्व परिषद् केवल कुछ लोगों को पेंशन देने का मुहकमा है, इनके पास कोई काम नहीं है, नाममात्र को काम है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है माल विभाग में यह सबसे बेकार विभाग है। मैं समझता हूं कि इसको समाप्त ही कर दिया जाय। अतः माननीय मंत्री जी इस बिल को वापस ले लें।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

माननीय मंत्रीजी ने अभी विचार व्यक्त किये। इसमें जो संशोधन लाया गया है उसमें यह बात है कि १५ दिन के लिये इसको घुमा दिया जाय। प्रवर समिति में बैठ कर इस पर विचार हो जाय और सही चीज हमारे सामने आ जाय। अभी तक आप गलत तरह पर विचार कर रहे थे और जब सर्वोच्च न्यायालय का डंडा पड़ा तो गलत-सलत अमेंडमेंट ले आये। बहुत से सवाल इस हाउस में आये और जल्दी में आपने उनको तय कर दिया, लेकिन १ साल भी नहीं हुआ कि आपको फिर से अमेंडमेंट लाना पड़ा। इसलिये हम कहते हैं कि १५ दिन के लिये प्रवर समिति में भेज दिया जाय। इसमें मंत्री जी को क्या एतराज है? १५ दिन में जो भी बात तय हो जायगी वह इस सदन से पास हो सकती है। लेकिन उसमें गलती न होगी, आज जो है उससे अच्छी होगी।

श्री रामकुमार शास्त्री—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय तिवारी जी एडवोकेट हैं और कानून और कायदे से मुझ से ज्यादा परिचित हैं। लेकिन कुछ व्यावहारिक बातें भी हैं। उनको भी देखना पड़ता है। उच्च न्यायालय ने एक इशारा किया है और उसी को व्यवहारिक रूप देने के लिये इसको लाया गया है। और खामियों को जहां तक सुधारने की बात है वह डंडे से नहीं बल्कि विवेक से सुधारा जा सकता है और वह जनहित में और कल्याणकारी हो सकता है और नियमों के अनुकूल ही जो हाईकोर्ट की प्रचलित प्रणाली थी उसके अनुकूल ही हमने यह रखा है। हमारा सीधा सादा संशोधन है और उसे १५ दिन के लिये घुमाना उचित और जनहित में न होगा और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हाईकोर्ट और नियमों के आधार ही यह किया गया है तो कोई कारण नहीं है कि जनता की राय के लिये यह घुमाया जाय। हमारी प्रार्थना है कि जिस रूप में यह है इसी को तिवारी जी मान लें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

जो आपत्ति हमने उठाई थी उस पर तो मंत्री महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा। पहली आपत्ति तो हमारी यह थी कि लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में जो धारा ८ को संशोधित कर रहे हैं, तो संशोधन भी लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट का ही करना था उसको इस रूप में कि राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६ नहीं रखना था। इस का आपने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे आपने कहा कि हाईकोर्ट के रूल्स के मातहत इसको रखा है तो वह तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक चीज रखी थी और कहा था कि यह चीज बड़ी नाजायज है और आप ऐसे मेम्बर बोर्ड आफ रेवन्यू की राय लेना चाहते हैं तो उनसे कहें कि सुनें और आदेश जो दिये वह गलत बताये। अब आप फिर उन को लीगलाइज करना चाहते हैं इस बिल के द्वारा। मेरी प्रार्थना है कि आपने इस को गलत नाम दे दिया और दूसरे आपने गलती को इस तरह से लीगलाइज कर दिया। जो सुने वही फैसला करे यह हमारी राय है, यह मुनासिब न होगा कि बिना सुने ही फैसला कोई दे दे। इसलिये इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री रामसुन्दर शास्त्री----

अधिष्ठाता महोदय, हमारी जरा सी बात सुन लें.....

श्री अधिष्ठाता---

आप तो तमाम भाषण दे चुके हैं इस पर।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६ को सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने और उत्तर प्रदश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९५३ का निरसन करने के लिये

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९५३

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, १९६६ कहलायगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ की धारा ७ और ८ के स्थान पर नयी धाराओं का प्रतिस्थापन

२—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ७ और ८ के स्थान पर निम्न लिखित धारायें रख दी जायें, अर्थात्—

कार्य का वितरण करने का अधिकार

"७ (१) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों और धारा ८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, परिषद् अपने सदस्यों के बीच कार्य का वितरण इस प्रकार कर सकती है और अपने क्षेत्राधिकार का ऐसा क्षेत्रीय विभाजन कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे।

(२) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् विशेषतः और उपर्युक्त के अधीन रहते हुय, अपने सदस्यों द्वारा अकेले या डिवीजन बेंचों में बैठकर न्यायिक कार्य के निस्तारण को विनियमित कर सकती है।

निर्णय, जब डिवीजन बेंच द्वारा वाद की सुनवाई की जाय

८ (१) जब कोई ऐसी न्यायिक कार्यवाही, जो अपील या अभिदेश अथवा पुनरीक्षण में परिषद् द्वारा विचार किये जाने के लिये आये, दो या अधिक सदस्यों से संघटित किसी डिवीजन बेंच द्वारा सुनी जाय, तो मामला ऐसे सदस्यों की राय अथवा उनमें से अधिकांश की राय, यदि कोई हो, के अनुसार निर्णीत किया जायगा।

(२) यदि संघटित बेंच के सदस्यों में किसी प्रश्न पर दिये जाने वाले निर्णय के संबंध में बराबर-बराबर सख्या में मतभेद हो तो मामले की सुनवाई ऐसे प्रश्न पर एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा की जायगी और मामला ऐसे प्रश्न पर उन सदस्यों में से अधिकांश की राय के अनुसार निर्णीत किया जायगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की हो और उनक अन्तगत व सदस्य भी होंगे जिन्होंने उसे पहले सुना हो।"

निरसन तथा अपवाद

३—(१) उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९५३ जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९५३ ई०

(२) यू० पी० जनरल क्लाजज एक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त अधिनियम के निरसन का उक्त अधिनियम की धारा ३ में अभिदिष्ट किसी निर्णय की, जो दिया गया हो, सुनाया गया हो अथवा जिसमें सहमति दी गई हो, अथवा उसके अनुसरण म किये किसी कार्य की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खं० १, प्रस्तावना...

*श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

अभी तो मंत्री जी ने प्रस्ताव भी नहीं रखा है...

श्री अधिष्ठाता--

वह हो चुका है, दूसरी रीडिंग चल रही है।

प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामकुमार शास्त्री--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

*श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज राजस्व परिषद् और उनका विभाग जिस कदर इस प्रदेश में सरकार के पूरी तरह से फेल्योर के लिये जिम्मेदार है उतना कदाचित् कोई नहीं है। आप देखेंगे कि माल विभाग इतना भ्रष्ट विभाग है जितना कि इस प्रदेश में और कोई विभाग नहीं है। हालत यह है कि यद्यपि आज प्रदेश की जनता पूरी तरह से परेशान है और उसके साथ ही साथ यही नहीं कि परेशान है बल्कि वह भुखमरी और भूख से पीड़ित है जिसके लिये पूरी तरह से माल विभाग जिम्मेदार है।

अधिष्ठाता महोदय, आप यह समझें कि सारी हमारी जो योजनायें हैं--कृषि विभाग तो एक बहुत छोटा सा विभाग है लेकिन रेवेन्यू विभाग ऐसा है जिसकी तरफ देखना भी दूभर है। वहां कुछ करने को कौन कहे, सारा का सारा अनुदान जो जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक वह माल विभाग की पाचन शक्ति का शिकार हो जाता है। इसलिये आज के दिन ऊपर से नीचे तक जब तक समूल परिवर्तन माल विभाग की करनी में न किया जायगा, तब तक कदाचित् यह आशा करना कि विभाग सुधर जायगा, यह दुराशा मात्र ही होगा। जैसा कि आपने कहा-सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आधार पर आप यह संशोधन कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जो चीज होती है राजस्व परिषद् में, अगर उसकी ओर आप देखें तो पता चलेगा कि वहां एक भी काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। इस समय केवल दो तीन भाग माल विभाग के सुपुर्द हैं। लगान वसूली स्थगित है तो माल विभाग के पास कोई काम करने को रह ही नहीं गया है। माल विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी जब सूखे की हालत देखने जाते हैं तो वहां से सराबोर होकर लड़खड़ाते हुए आते हैं। वे बजाय सूखे की हालत देखते वे शेर, शायरी और शिकार में मुब्तिला रहते हैं। आज माल विभाग की हालत यह है कि वे गलत सर्टिफिकेट ईश्यू करते हैं। और इस वक्त माल मंत्री भी इस कदर लापरवाही से बोलते हैं कि उनको यह भी (* * *) कि कैसे प्रस्ताव पेश करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

श्री टम्बेश्वर प्रसाद जी, इस प्रकार के शब्द शोभनीय नहीं हैं। ऐसा आपको नहीं कहना चाहिये। इसे प्रोसीडिंग से निकाल दिया जायगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(* * *) माननीय अधिष्ठाता की आज्ञानुसार हटा दिया गया।

श्री रामकुमार शास्त्री--

मैं कहता हूं कि ये इन्सान भी नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

"ये इन्सान भी नहीं हैं" इन शब्दों को उनसे वापस लेने को कहें।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया बैठें। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सही बात तो यह है कि यह परिषद् ही एबौलिश हो जानी चाहिए क्योंकि इसकी जो नीचे की कड़ियां हैं, उनमें इस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज माल विभाग बिलकुल फ्री है कि जो चाहे करे। यदि प्रदेश की भुखमरी को दूर करना है तो एक या चार के बैठने से हल नहीं हो सकती है। यह तो उसी समय दूर हो सकती है जब कि आप किसानों की तरफ ध्यान दें, उनका लगान माफ करें और उनकी दशा को सुधारें, अन्यथा नहीं।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं इसलिए कि माननीय मंत्री जी ने, प्रस्तावक महोदय ने जो बातें रखी थीं, उनकी एक भी बात का माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि जो वे संशोधन ला रहे हैं, ऐक्ट में संशोधन ला रहे हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि सन् १९६२ में हाई कोर्ट में एक जजमेंट दिया कि राजस्व परिषद् में मनमाने ढंग से फैसला दे दिया जाता है, वे सुनते भी नहीं हैं। यदि अपने देश में न्याय प्रदान न हो रहा हो, तो आपका जो यह तरीका है, यह बिलकुल गलत है। श्रीमन्, मुझे आश्चर्य होता है कि १९६२ में फैसला होने के बाद आज तक यह बात उनकी समझ में नहीं आयी कि हाई कोर्ट क्या चाहती है और अब जब कि एलेक्शन होने के केवल २ माह रह गये तो सरकार चाहती है कि इस बहती गंगा में इसको भी धो लो। इस तरीके से अगर हमारे सभा सचिव द्वारा, जो यहां पर जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं, सदन में समाधान नहीं हो सकता है तो क्या इसी तरीके से आप यहां पर कानून बना कर न्याय प्रदान करेंगे। आपको चाहिए था कि इस विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ कर यहां पर आते और जो प्रश्न उठाये गये थे, उनका उत्तर देते लेकिन आप प्रस्ताव भी पारित नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष पद की ओर से ही यह बताया जाता है कि इस विधेयक को पेश किया जाय। अगर आप इस तरह कानून पास करायेंगे, अपने बहुमत के आधार पर तो मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध होगा। इसको चाहिए कि ये स्पष्ट उत्तर दें और अगर इसको पूरा न पढ़ा हो, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको प्रवर समिति में भेज दें।

श्री अधिष्ठाता---

प्रवर समिति का प्रस्ताव तो गिर चुका है। अब तो थर्ड रीडिंग का प्रश्न है।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि सरकार, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगी, उसके तहत में ये अपने नियमों और कानूनों में संशोधन करेगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला करे और आप उस कानून को ही समाप्त कर दें और सर्वोच्च न्यायालय और न्याय का कोई स्थान ही न रहे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, जो इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा है उनमें दिया हुआ है कि "हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि किसी सदस्य का, अपने सहयोगी द्वारा अभिलिखित निर्णय पर वास्तव में पक्षों की सुनवाई किये बिना सहमति देना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा।" सुप्रीम कोर्ट ने प्रिन्सिपल आफ नैचुरल जस्टिस को अपहोल्ड किया है। होता क्या है एक मेम्बर सुनता है और बाकी उस पर दस्तखत कर देते हैं जिसको बहुमत का फैसला मान लिया जाता है। यह कानून गलत था। अब क्या कर रहे हैं? इस कानून को ही खत्म कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने जा रहे हैं या रद्दी की टोकरी में फेंकने जा रहे हैं? इस विधेयक से यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी प्रक्रिया आप लागू करेंगे। या तो सारे सदस्य सुनवाई करें और तब अपना निर्णय दें, अन्यथा एक की सुनवाई और फैसले पर सब मेम्बर्स का दस्तखत करना गलत है, यही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। आप इस विधेयक से सारे कानून को रद्द करने जा रहे हैं। बोर्ड आफ रेवेन्यू को हटाने जा रहे हैं। इस विधेयक से उसकी जगह क्या व्यवस्था होगी यह समझ में नहीं आता। हमारी तरफ से व्यापक विधेयक बनाने का सुझाव रखा जाता है तो आप नहीं मानते। न्याय की बोर्ड आफ रेवेन्यू में कौन सी प्रक्रिया प्रचलित होगी यह मैं जानना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी आप को कुछ कहना है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मुझे कुछ नहीं कहना है।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के संशोधन से प्रदेश का कोई हित होने वाला नहीं है। मेरी राय में राजस्व परिषद् एक व्यर्थ की संस्था है और प्रदेश की गरीब जनता पर यह बोझ सा है। कांग्रेस ने समाजवादी समाज की रचना का संकल्प किया तो चाहिये था कि जो पुराना प्रशासनिक ढांचा था उसमें आमूल परिवर्तन किया जाता। किन्तु नौकरशाही का जो पुराना ढांचा अंग्रेजो राज्य में था वह किसी न किसी रूप में बरकरार है। मैं समझता हूं कि माल विभाग और राजस्व परिषद् नौकरशाही का मेरुदण्ड है और राजस्व परिषद् उस नौकरशाही की खुराफात का मस्तिष्क है। सरकार को परिषद् तथा माल विभाग को समाप्त कर देना चाहिये। जब एक सेक्रेटरी के अन्दर सहकारिता, पशुपालन, कृषि विभाग दिये हुए हैं, तो क्या सम्भव नहीं है कि उसी सचिव के मातहत इसको भी कर दिया जाय ताकि विकास का काम आगे चले। आज सिंचाई की योजनाओं के लिये आये दिन किसानों को परेशान होना पड़ता है, लेखपाल और तहसीलदार के यहां रिश्वत देनी पड़ती है। सूखे के समय भी माल विभाग बिलकुल उदासीन है। मैं समझता हूं कि तहसील का जो पुराना ढांचा है वह टूटना चाहिये और माल विभाग का काम ब्लाक स्तर पर बांट देना चाहिये। जिस प्रकार कृषि और पशुपालन के सहायक विकास अधिकारी ब्लाक में हैं वैसे ही माल का भी एक सहायक विकास अधिकारी मुकर्रर हो। वसूली का ढांचा, तथा प्रशासन का ढांचा ब्लाक स्तर पर बनाया जाय। तहसील के लोग यमदूत की तरह से किसानों से पैसा लेते हैं और फिर रसीद पर लिख देते हैं दस रुपये जब कि मिलेंगे सौ रुपये। किसान भागा भागा दफ्तर में आता है। वहां कोई हिसाब नहीं मिलता है। (श्री हुकुमसिंह विसेन के सदन में आने पर) मैं ठाकुर साहब के बिल की तारीफ कर रहा हूं कि इस बिल के जरिये जनता का कोई भला नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि राजस्व परिषद् समाप्त कीजिये और ऐसा कोई विधेयक प्रस्तुत करें जिससे माल विभाग का जो बहुत बड़ा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजर सिंह]

बोझ इस प्रदेश की जनता पर है वह समाप्त हो जाय। अभी आपके राजस्व परिषद् से एक अफसर गये थे हमारे यहां। हमारे यहां बिहार और यू० पी० में झगड़ा चल रहा है। हमारे काश्तकारों की जमीन छीनी जा रही है। हमारे यहां के सर्वे कर्मचारी किसानों से रिश्वत लेते हैं और रिश्वत न देने पर उनको परेशान करते हैं। एक एक गांव का नक्शा गलत बनाया गया है। मैंने उसकी शिकायत की तो हमारे सेटिलमेंट अफसर ने कलेक्टर के सामने माना कि रिश्वतें ली गयी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह थर्ड रीडिंग है, इसका जरा खयाल कीजिये।

श्री मैनेजर सिंह—

× × ×

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने राजस्व सचिव से कहा तो उन्होंने बहुत कृपा करके कोई रामरतन जी हैं राजस्व परिषद् के सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी उनको वहां भेजा। वे वहां गये, उन्होंने गांव का निरीक्षण भी नहीं किया। उन्होंने रसड़ा के तहसीलदार के यहां दावत खाई, न हमसे मिले, न किसी गांव का सर्वे किया बल्कि दावत खाई और घर चले आये। और मुझे निजी तौर तर मालूम हुआ कि रसड़ा के तहसीलदार के यहां खबर दी गयी कि दो अफसर आयेंगे। उस बेचारे ने चार का इन्तजाम कर लिया।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चरण सिंह)—

मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं। वह यह कि किसी कर्मचारी का आप यहां नाम लें जब कि वह बेचारा अपनी सफाई नहीं दे सकता तो मैं समझता हूं कि यह हमारे यहां की मर्यादा के विरुद्ध बात है। जिस कर्मचारी का आप नाम ले रहे हैं मैं उसे जानता हूं और मेरा अपना यह विचार है कि वह निहायत ईमानदार कर्मचारी है, एस० ओ० सी० वह रह चुका है। तो उनका नाम लेकर कि उन्होंने दावतें खाईं कहना बहुत शोभनीय नहीं है, कर्मचारियों के लिये तो है ही नहीं लेकिन हमारे किसी मेम्बर के लिये भी शोभनीय नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं नाम वापस लेता हूं। माननीय चौधरी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। मैं पूरे चार साल तक विरोध पक्ष में बैठा हूं और बराबर उनकी ईमानदारी और नेकनीयती की तारीफ इस सदन में की है। मैं कहना चाहता हूं कि आप मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं इसलिये पता लगाया जाय कि जो राजस्व परिषद् के पदाधिकारी बलिया गये थे उन्होंने हमारे गांव को देखा तो क्या उन्होंने तहसीलदार के यहां दावत खाई या नहीं? वहां गड़बड़ी हुई या नहीं, आप इसकी जांच कराइये। मैं समझता हूं कि कि ऐसा बड़ा अधिकारी जो यात्रा भत्ता लेता है वह अपने नीचे के अधिकारी के यहां दावतें खायेगा तो उसका बुरा परिणाम निकलेगा। तहसीलदार दावत का इन्तजाम करते हैं और वह लेखपाल से वसूल करते हैं और लेखपाल किसानों से लेता है। इस तरह से किसान पर ही भार पड़ता है। यह बहुत बुरी परम्परा है। मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। इस तरह से गरीब जनता का शोषण होता है और शासन का नैतिक पतन होता है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मैनेजर सिंह जी, आप जानते हैं कि तीसरी रीडिंग में २, ४ मुख्य बातें कह दी जाती हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी।

[× × ×] माननीय अधिष्ठाता की आज्ञानुसार हटा दिया गया।

श्री मैनेजर सिंह—

राजस्व परिषद् सरकारी नीति के खिलाफ काम करता है इसलिये इसको समाप्त होना चाहिये। इस साल सूखा की स्थिति के कारण तत्काल लगान वसूली मुल्तवी के आदेश दिये हैं। इसके बावजूद अधिकारियों के षडयंत्र से वसूली जिलों में हुई है, बलिया में हुई है, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हुई है। मैं समझता हूं कि राजस्व परिषद् सरकार से अलग रूप धारण किये हुये है। इसलिये उसको समाप्त करना चाहिये। लगान वसूली में और किस्तों के बांटने में धांधली होती है। कहीं १२ आने नुकसान दिखाया जाता है तो कहीं ८ आने दिखाया जाता है, इस तरह से गड़गड़ी होती है।

दूसरी बात यह है कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलापति त्रिपाठी जी वहां गये थे और उन्होंने कहा था कि जिले की भयावह स्थिति है और ९० परसेंट नुकसान हुआ है और कमिश्नर बनारस की सूचना है कि ९० से ९५ परसेंट नुकसान हुआ है। मुझे खेद है कि हमारे अध्यक्ष को उस सभा में बोलने नहीं दिया गया। जिलाधीश को उनका प्रोग्राम मालूम था लेकिन वहां पर कोई डिप्टी कलेक्टर, सुपरिन्टेन्डेन्ट या डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का मौजूद नहीं था। यह हमारे लिये बड़े अपमान की बात है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि बलिया जाने का कार्यक्रम जिलाधीश ने ही प्रसारित किया था।

श्री मैनेजर सिंह—

मुझे शुबहा है कि जिला अधिकारियों ने जान बूझ कर हुड़दंग होने दिया। इसलिये कि कहीं वह यह बात न कह दें कि ९० परसेंट नुकसान हुआ है ताकि राजस्व परिषद् के इशारे पर जो उन्होंने आंकड़े पेश किये थे उनकी पोल न खुल जाय। राजस्व मंत्री इसकी जांच कराने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—

यह थर्ड रीडिंग है इस पर ऐसी बातें नहीं कहना चाहिये। सदस्यों का आदर करना पड़ता है। यहां इस पर भी लोग नाराज हो जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। राजस्व मंत्री ने राजस्व परिषद् में यह संशोधन प्रस्तुत किया। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक कानून माल का संबंध है उसमें बहुत सी अनियमिततायें हैं। जमींदारी समाप्त होने के बाद हमारे प्रदेश का माल का ढांचा बदल गया है लेकिन कानून पुराने चले आ रहे हैं। हालत यह है कि अगर माल का मुकदमा शुरू हो गया तो दस पंदरह साल की भी अवधि कम है। माननीय माल मंत्री को बड़ा अनुभव है। वह इन सब कानूनों को समझते हैं दस पंदरह कानून हैं माल संबंधित उनका समन्वय करें और एक सीधा सा कानून बना दें जिसमें कम से कम मुकदमेबाजी हो।

श्री अधिष्ठाता—

आप विधेयक का समर्थन करते हैं या विरोध ?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

समर्थन कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह अवसर उपयुक्त नहीं है। लेकिन अवसर मिल गया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन सब कानूनों का समन्वय करके एक नया कानून बनायें।

*श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने इधर और उधर दोनों तरफ के सदस्यों की बातें सुनी। पालीवाल जी बहुत बुजुर्ग सदस्य हैं। उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि आप जो संशोधन ला रहे हैं इससे काम चलने वाला नहीं है। उन्होंने इनडाइरेक्ट तरीके से कहा कि इसको ड्राप किया जाय और दूसरा विधेयक लाइए जो पूरे माहौल को देख कर हो। यही बात शुरू-शुरू में मैंने कही थी, जो संशोधन इसमे प्रवर समिति में जाने और परिधि बढ़ाने का किया गया था वह इसलिए कि एक चीज आज कर रहे हैं, दूसरी चीज कल कर रहे हैं। आपको जब मर्जी आयी एक संशोधन ले आये। इसीलिए बुजुर्ग माल मंत्री जी से दरख्वास्त की गयी थी कि इसको ड्राप कीजिए, पूरे माहौल में जो गड़बड़ियां हों उनके सिलसिले में एक नया विधेयक लाया जाय जो कि जनता की ख्वाहिशों की पूर्ति कर सके। माल विभाग और राजस्व परिषद् के संबंध में सबको मालूम है ऐसे ऐसे लोग हमारे सर पर हैं जो काम नहीं करते, अडंगे-बाजी करते हैं। जनता का नाजायज तरीके से पैसा खाते हैं। समाजवादी भावनाओं से प्रेरित हो कर जो बात कही जाती है वह फैक्ट है। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि कोई भी अधिकारी जो हाउस में सफाई नहीं दे सकता उसके संबंध में नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब नाक के ऊपर पानी हो जाता है तो हाउस में कहना पड़ता है। माननीय माल मंत्री बुजुर्ग आदमी हैं और गाजीपुर जिले के रिश्तेदार भी हैं उनसे दरख्वास्त है कि इन सब भावनाओं की कद्र करें।

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—

जहां तक संशोधन का ताल्लुक है किसी ने उसकी न ताईद की न मुखालिफत की। मैं मुखालिफत करने जा रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत रहने का) विधेयक, १९६६

*समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रहने का) विधेयक, १९६६ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है पर विचार किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के सम्मानित सदस्य इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों से परिचित होंगे। उसके देखने के पश्चात् मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि मैं इस पर कहूं क्योंकि उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है कि १९६५ में यह विधेयक पारित हुआ फिर उसके बाद २ साल की अवधि बढ़ा गई। १९६४ के बाद फिर २ वर्ष की अवधि बढ़ाई १९६६ तक। यह विधेयक १९६६ के १४ या १५ दिसम्बर को खत्म हो रहा है। हिन्दू धार्मिक संस्था जिसमें संपत्तियों के अपव्यय को रोकने के लिए केंद्रीय सरकार भी यह विचार कर रही है कि यह एक व्यापक विधेयक पार्लियामेंट के सामने लाये और वह विधेयक दूरे हिन्दुस्तान में लागू होगा। ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने महसूस किया कि जब केंद्रीय सरकार इस प्रकार का बिधेयक ला रही है तो उसको देखने के पश्चात्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रदेश में भी उसी विधेयक को अडाप्ट कर ले या उससे मिलता जुलता हम अपना विधेयक बनायें। लेकिन चूंकि केंद्रीय सरकार की ओर से पार्लियामेंट में यह विधेयक नहीं आया है और हमारे यहां चूंकि सब नियम बन चुके हैं, १९६४ में इस हाउस ने टर्म को बढ़ाया था, इस बीच में हमारे यहां काफी काम हो चुके हैं, १० डिगीजनों में १० कमिश्नर मुकर्रर हो गए हैं साथ ही इन्वेस्टीगेटर मुकर्रर हो गये हैं और काफी काम आगे बढ़ चुका है, ऐसी परिस्थिति में मैं इस हाउस से निवेदन करता हूं कि २ साल का टर्म और बढ़ाया जाय अगर हम नहीं बढ़ाते तो यह १५ दिसम्बर को समाप्त हो जायगा। ऐसी परिस्थिति में जो अब तक काम हुआ है उसका ह्रास होगा इन चन्द शब्दों के साथ मैं हाउस से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करे।

(श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

माननीय मंत्री ने कहा कि ४ वर्ष तक हमने काफी काम किए हैं कृपया वह बतायें कि उन्होंने कौन-कौन से काम किए हैं जिनके बारे में वह कह रहे हैं कि उनका ह्रास हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

इसका बाद में उत्तर दे दिया जायगा।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्ति रहने का) विधेयक, १९६६ को सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो तथा अपनी रिपोर्ट १५ दिन के भीतर दे दे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार दो एक्सटेंशंस ले चुकी है। आपने ओरीजिनल बिल में यह कहा था कि हम इसको न बढ़ा करके व्यापक बिल लावेंगे। आज अब बहानाबाजी करके यह कह रहे हैं कि केंद्र विधेयक बनाने जा रही है इस कारण से समय ले रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपका विभाग पहले के आश्वासन के हिसाब से व्यापक कानून क्यों नहीं बनाता और जब केंद्र से कानून बनेगा तब उसी हिसाब से संशोधन कर लेगा। लेकिन समय समय पर ऐसे एक्सटेंशन लेना, दो बार हो चुका और व्यापक विधेयक न रखना और न विचार ही व्यक्त करना कि आप क्या करने जा रहे हैं और कौन सी चीजें संशोधित करने जा रहे हैं तब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप ऐड इनफिनिटम कितने एक्सटेंशंस चाहते हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि अगर केंद्र ने विधेयक न बनाया तो आप उस दशा में क्या करने जा रहे हैं। यह सब न होने से और बहानेबाजी बनाकर एक्सटेंशंस लेने से हमारी जो शंका है आप सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने स्थान पर ठीक बैठता है। मैं समझता हूं कि आपके पास जब पूरा हिसाब नहीं है तब आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए और हमारे संशोधन को मान करके मंत्री जी व्यापक बिल लावें।

*श्री रामसुन्दर शास्त्री—

मंत्री जी ने यह बिल पेश किया है मैं चाहता था कि सरकार इस बात को साफ कर देती कि इसमें जो लिखा हुआ है कि प्रचलित होने के दिनांक से ४ वर्ष समाप्त होने पर यह प्रभावी नहीं रहेगा सिवाय ऐसी बातों के संबंध में जिन पर उक्त समाप्ति के पूर्व कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी हो। तो किन पर अमल हो रहा है? उन पर लागू होगा या नहीं यह आपने नहीं बताया। जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

आप वह न बतावें तब तक माननीय हरिनाथ जी तिवारी जैसे साथियों के दिलों में शंका होना स्वाभाविक है कि आप दो-दो बार टाइम लेते हैं ।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो विधेयक सामने है इस पर धन का व्यय होगा । इस विधेयक के अधीन कुछ नौकर रखे गए होंगे, कुछ प्रक्रिया अपनायी गयी होगी जिन पर धन व्यय होता होगा और इस विधेयक का समय बढ़ाने से उस पर और अधिक व्यय की संभावना है । तो उस स्थिति में वित्तीय ज्ञापन मिलना चाहिए था और इस पर महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति मिलनी चाहिए थी । आप अब व्यवस्था दें कि यह धन विधेयक है या नहीं है और अगर है तो वह चीजें हमें प्राप्त होनी चाहिए, वह कहां हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

धन विधेयक वह होता है जिसमें कंसालिडेटेड फण्ड से कोई रुपया यह जो सरकार की मशीनरी चल रही है उस पर खर्च होता होगा । यह धन विधेयक नहीं है ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री---

तो मैं यह कह रहा था कि प्रवर समिति में भेजने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए । वहां उक्त बातों पर अच्छी तरह से गौर किया जा सकता है और आपके कामों का और आगे जो करने वाले हैं उन कामों का मूल्यांकन होगा और और भी सुझाव दे सकते हैं । इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इसको प्रवर समिति में जाने दीजिए जिससे मसले पर गौर हो सके । आपने-अपने बोलने के दौरान हमसे समय मांगा है कि इसका समय बढ़ा दिया जाय । हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस बात को साफ किया जाय कि आपने इस विषय में क्या-क्या उपाय किए हैं और क्या-क्या उपाय करने वाले हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम दो वर्ष के लिए इसकी अवधि बढ़ा दें । मैं समझता हूं माननीय कल्पनाथ सिंह जी कुछ कह रहे हैं । अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि वह मेरे प्रश्नों का उत्तर न देकर कल्पनाथ सिंह जी से ही दिला दें कि इस विधेयक के द्वारा कितना काम हुआ है और कितना काम आगे होने वाला है ।

(श्री रामप्यारे का नाम पुकारा गया और जब तुरन्त वह खड़े नहीं हुए तो श्री टम्बेश्वर प्रसाद का नाम पुकारा गया ।)

*श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि...

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह है कि जब मैं उठ रहा था और आपने समय दिया तो माननीय शास्त्री जी कल्पनाथ सिंह जी से कुछ बात कह रहे थे । उस समय हमारा ध्यान उधर चला गया और मैं तुरन्त उठ नहीं पाया । इसलिए आप मुझे समय दें क्योंकि मैं उस समय ऐसी स्थिति में नहीं था । अतः आप मुझे मेरे विचार प्रकट करने का अवसर दें ।

श्री अधिष्ठाता---

आपको भी इसके ऊपर विचार प्रकट करने का मौका मिलेगा । जैसे ही आपका नाम पुकारा जाय तो आपको खड़े होना था । अगर तुरन्त खड़े नहीं होंगे तो आप बोल नहीं पायेंगे ।

---

*वक्ता ने आपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

अधिष्ठाता महोदय, कदाचित् पहले जिस समय इस विधेयक को यहां पर समाज कल्याण मंत्री ने प्रस्तुत किया था उस समय भी मैं इस सदन का सदस्य था। आज यह सरकार जिस प्रकार से छोटी-छोटी बातों में भी हिन्दुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रही है इस प्रदेश म वह चिन्ता का विषय है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को केवल उल्टी तरफ देखती है। दूसरे प्रदेशों में भी मुझे जाने का अवसर मिला है वह केवल मंदिरों की रकम को नहीं देखती है बल्कि मंदिरों का सुधार भी वहां सरकारों के द्वारा हुआ करता है। मैंने राजस्थान के मन्दिर देखे हैं, पंजाब के मन्दिरों को भी मैंने देखा है और यही नहीं सरकार लाखों रुपया उन मन्दिरों को अनुदान के रूप में देती है। साथ ही साथ में सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई कमेटी में भी एक सदस्य के रूप में कार्य किया है। मैंने इन मन्दिरों के प्रति सरकार के अधिकारियों का नेगेटिव अप्रोच ही पाया है और वह यह है कि इन्हें क्या न करने दिया जाय और क्या अड़ंगे डाले जायं। यही सरकार का रवैया हो गया है। मैं वह सदस्य हू जो कदाचित् समझता था कि इस विधेयक में अच्छी बात होगी। लेकिन आज छः वर्ष बाद समझा हूं कि मन्दिर में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की गिरफ्तारी के समय कई सरकारी अधिकारियों ने जूता पहनकर प्रवेश किया। (शर्म शर्म की ध्वनि) और यही नहीं इस सरकार का यह भी काम है कि किसी सरकारी अधिकारी को मदिरापान कराना हो तो जगह मन्दिरों में मिलती है। धार्मिक संस्थाओं और मन्दिरों का तात्पर्य इस प्रकार है---हिन्दू धर्म का तात्पर्य---वीर शैव लिंगायत, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, बौद्ध, जैन, सिक्ख, इतने धर्मों की समिति यह बिल बना रही है। (व्यवधान) यह समिति भी इस काम के लिए है कि वह किस प्रकार वहां की जमा रकम पर अपनी गिद्ध दृष्टि रक्खे। सरकार के कर्मचारियों का एकमात्र काम रह गया है उन संस्थाओं को हर तरह से डिमारेलाइज करना, सरकारी साधनों से किस प्रकार व्यक्तिगत रूप में पूंजी देकर दुरुपयोग करना। जो सार्वजनिक संस्थायें हैं उनको किस तरह व्यक्तिगत महन्तों में दिया जाय यही किया गया है।

अधिष्ठाता महोदय, यह मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने देखा है और उसकी दो-चार मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। बद्रीनाथ समिति को कई कामों के लिए रुपया नहीं दिया। हमारा जो समाज कल्याण विभाग है वह रुपया देता है। अगर पचास लाख रुपया सैक्न्शन करता है तो पहले यह कहता है कि हमारे लिए वहां रेस्ट रूम बनवाओ तुम्हारा रुपया हमारे पास जमा है परन्तु वहां कुछ नहीं करता है। केवल इस बात पर कि हमारे अधिकारियों ने वहां सब किया है हजारों रुपयों का खर्च दिखा दिया जाता है।

यह दृष्टिकोण प्रांतीय सरकार का मन्दिरों के प्रति है। छांट छांट कर वहां पर ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनका उन मन्दिरों के प्रति कोई विश्वास नहीं होता और उसका नतीजा यह होता है कि जो दृष्टिकोण उस कार्य का होता है वह पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। मैं कोई आक्षेप की बात नहीं कहता लेकिन इस प्रकार का अपव्यय कहां नहीं होता ? मैं ऐसी बहुत सी संस्थाओं को जानता हूं जो विद्यालय और अस्पतालों के नाम पर चल रही हैं और जिनको नजूल की तथा अन्य प्रकार की लाखों रुपये की भूमि दी जा चुकी है। अगर आप उनके कार्यों को देखें तो वह इसी देश और राष्ट्र का विरोध करती हैं, उसके विरुद्ध प्रचार करती हैं। क्या उन सस्थाओं का अपव्यय रोकना सरकार का काम नहीं है जो धार्मिक संस्थाओं के नाम पर शिक्षा सस्थाओं का काम कर रही है ? जहां की किताबों में यह लिखा है कि हिन्दुस्तान के लोग गन्दे हैं, चीन के लोग बहादुर हैं। इन धार्मिक संस्थानों के बारे में मैंने माननीय चन्द्रभानु गुप्त और माननीया मुख्य मंत्री जी को भी बताया लेकिन उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि एक ही देश में यह दो तीन प्रकार के नियम क्यों बनाए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसमें से "हिन्दू" शब्द को हटा दें और जितनी भी संस्थायें धार्मिक संस्थाओं के रूप में कार्य करती है, उन पर यह अधिनियम लागू हो और समान रूप से लागू हो। अगर आप

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

निश्चित रूप से ईमानदार हैं तो। या आप खाली हिन्दूओं के मन्दिरों में जो, काम होता है उसको रोकने का ही कार्य करते रहेंगे अथवा कोई सहायता भी देंगे ? बद्रीनाथपुरी १२ हजार फुट पर एक खुला स्थान है और उसकी आधी से अधिक बस्ती ध्वस्त हो चुकी है। क्या गवर्नमेंट ने उसके लिए एक भी रुपया दिया है। जब कि सरकार के जवान जब चीन वालों का मुकाबला करने जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने वहीं विश्राम किया था। जब सरकार की विशेषकर हिन्दू धर्म के प्रति ऐसी नीति है तो फिर उसको इन संस्थाओं को लेने का क्या हक है। आप उनसे धन लेते हैं, वह भी केवल इसलिए कि सरकारी कर्मचारियों का व्यय उससे निकालें। बहुत से मंत्री भी वहां गए हैं लेकिन उन्होंने वहां जाकर शोश नवाया है। परन्तु जब कोई सरकारी कर्मचारी जाता है तो ५-५ सौ रुपये मन्दिर का खर्च आता है। दोनों तरफ उनके लोग होते हैं और वे दोनों ओर से बांट लेते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। शाल दुशाले प्रेजेन्ट होते हैं और सरकार के अधिकारी और मंत्रिगण उनको कन्धों पर डाल कर चले आते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो जो मन्दिर बेकार पड़े हैं, १८-२० हजार फीट की चोटी पर हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि उन चोटियों पर हमारा अधिकार रह चुका है, क्या उनकी रक्षा के लिए आपने भी एक पाई कभी खर्च की ? और अगर सरकार उन पुराने मन्दिरों की जिम्मेदारी न ले तो मैं समझता हूं कि सरकार ने यह विधेयक बदनियती से बनाया है और मंत्री जी ने इसको लाकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि प्रदेश की सरकार ने हमारे इन मन्दिरों के कर्मचारियों के वेतन का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया। वह भी अपने पास से देते हैं। जहां आज भीषण महंगाई है और जहां तीन चार रुपया किलो चावल बिक रहा है वहां पर सरकार इनकी चिन्ता क्यों नहीं करती। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि यह बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी की पुरी स्थापित हैं उनको एक पैसा भी सरकार नहीं देती। गंगोत्री का मन्दिर है, इनके पुनरुद्धार का सरकार को प्रबंध करना चाहिए, उनका नवनिर्माण होना चाहिए लेकिन एक पाई भी कोई खर्च नहीं करने को तैयार है। माननीय मंत्री जी घोषणा करें कि इन दोनों मन्दिरों के लिए प्रबंध करेंगे इससे हमारी धार्मिक भावनायें भी शांत होंगी और मन्दिरों के संरक्षण का उद्देश्य भी पूरा होगा। आप केवल हिन्दुओं की ही धार्मिक संस्थाओं को क्यों लेते हैं आप को सभी भारतीय धर्मों की संस्थाओं के अपव्यय को रोकने का कानून लाना चाहिए। वह संस्थायें जो इस देश के विरुद्ध खुलकर, प्रचार कर रही हैं और जो आज हमारे बार्डर पर कार्य करती हैं, जो देश के लिए घातक और निकम्मी हैं और जिनका काम देश के विरुद्ध वायरलेस मेसेज विदेशों को भेजना है, जिनके पास लाखों रुपये का फण्ड है उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जहां पर अगर इंसपेक्टर आफ स्कूल्स जांच करने जाते हैं तो वह निकाले जाते हैं, जिनका कोई हिसाब-किताब आडिट नहीं होता उनकी तरफ कोई निगाह भी नहीं करता। सीतापुर में ही एक संस्था बन रही है और यह सरकार उसको डिफेंस एरिया की बगल में ही २४ एकड़ भूमि दे रही है, ऐसी चीजें डिफेंस क्षेत्र से दूर रखी जाती है, दूसरे देशों में सीक्योर्ड जोन इसीलिए होता है कि उसमें ऐसे लोग रख जायं वहां पर कि जिन से कोई खतरा न हो, जिन्हें देश से प्रेम हो चाहे वह किसी भी धर्म से संबंध रखते हों हम उन को अपने से भी अधिक ईमानदार मानते हैं लेकिन सरकार तो विदेशी राजनैतिक संस्थाओं को बल दे रही है। विदेशों मिशनरियों को अपने प्रचार की हर तरह से छूट है और वह उनकी एकटिविटीज का कुछ पता नहीं लगा पाती है। उनका क्या लगायेगी अभी परसों ही पी० एन० शुक्ल जीप से उतर कर घंटा भर तक लखनऊ के सरोजनी नायडू पार्क में स्पीच देकर इनकी पुलिस के बीच से निकल गया और यह देखते रह गए। ऐसी संस्थायें यहां काम कर रही हैं पुराने माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह ने बताया और हम खुद देखे हैं लेकिन सरकार के पास विदेशी संस्थाओं और उनके फण्ड को देखने की कोई योजना नहीं है जिससे कि अहित रुके और देश की हानि न हो। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक एक पाई जो विशेष

रूप से अपने प्रचार पर विदेशी मिशनरियों द्वारा खर्च हो रही है उसको देखा जाय, इससे देश का हित होगा ।

इसके अतिरिक्त हिन्दू संस्थाओं को देखने के लिए केवल हिन्दू धार्मिक भावनाओं वाले लोगों का ही हाथ होना चाहिए, यह नहीं कि दस कोई भी आदमी लिए जायं । जो अच्छे सुझाव दे सकें और जो मन्दिरों और धार्मिक भावनाओं को इज्जत करने वाले हों वही इस कार्य को ठीक से कर सकेंगे । जो इन धार्मिक संस्थाओं में अपव्यय कर रहे हैं । खादी बोर्ड चलता है लोगों को देने के लिए । यह लेने वाली संस्था है । जिन लोगों का उन धर्मों में ज्ञान है उनको लेकर सुपीरियर किस्म की एक कमेटी बनावें, न कि सरकारी अधिकारियों से काम चलावें जिनके भाग्य से मछली हाथ लग जाती है जिसे वे हड़प कर जाते हैं । इससे करप्शन बढ़ता है । मैं चाहता हूं कि हिन्दू शब्द इससे निकाल दिया जाय और धार्मिक लोग ही इसकी व्यवस्था करें, इन बातों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की प्रार्थना करता हूं ।

*श्री रामप्यारे—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

यह बिल हमारी सरकार की दूरदर्शिता का फल है । जिस प्रकार से धार्मिक संस्थाओं के रुपये का अपव्यय होता है वह बड़ा ही शोचनीय है । इसकी मंशा यही है कि अपव्यय को रोका जाय । इसकी अवधि ६२ में बढ़ी, ६४ में बढ़ी और जब ६६ में बढ़ाने की बात है । केंद्रीय सरकार, यह जरूर है, एक व्यापक बिल लाना चाहती है और जब तक इसके एक्सटेंशन होने की आवश्यकता है । धार्मिक संस्थाओं में यद्यपि धन बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा और बड़े बड़े आदमियों द्वारा ही ज्यादातर दिया जाता है, वह होता है गरीब किसानों का और मजदूरों का ही जिनका शोषण करके पूंजीपति धन इकट्ठा करते हैं । इन्नकम टैक्स इत्यादि से बचने के लिए वे धार्मिक संस्थाओं में धन देते हैं । एक तरफ वे गरीबों का शोषण करके वे पाप करते हैं और दूसरी ओर धार्मिक संस्थाओं को कुछ रुपया देकर समझते हैं कि वह पाप दूर हो गया । शास्त्री जी का तो धर्म से कोई संबंध नहीं है । वे कम्यूनिस्ट हैं ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

कम्यूनिस्ट मुल्कों में सभी धर्म बराबर होते हैं ।

श्री रामप्यारे—

गरीबों की गाढ़ी कमाई के धन के रख-रखाव के लिए सरकार प्रबंध करना चाहती है । मैं चाहता हूं कि तिवारी जी इस संशोधन को वापस ले लें । जो सुझाव टम्बश्वर प्रसाद जी ने दिये उन्हीं के लिए तो यह बिल है । इसलिए इसे जल्दी पास करना चाहिए ।

*श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) विधेयक रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

इसमें केवल समय बढ़ाने की बात है । इसके पीछे जो महत्व है वह मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं । अभी माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी चले गये जो अपने को हिन्दू समाज का एक मात्र मठाधीश समझते हैं । मुझे उनसे कहना है कि बद्रीनाथ टैंपिल कमेटी हमारे हिन्दू धर्म की एक बहुत बड़ी संस्था है । बद्रीनाथ जी में जो हिन्दू जाता है उसका जीवन निर्वाण हो जाता

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गंगा प्रसाद]

है । आज समाज ऐसी संस्थाओं के पैसे का अपव्यय कर रहा है और उसे रोकने के लिये यह बिल लाया गया है । यह छोटा सा विधेयक है । इसमें कोई बात नहीं है जिससे किसी माननीय सदस्य को विरोध हो । एक मोटी सी बात है कि जो मन्दिरों में अपव्यय हो रहा है या मूर्तियां बेची जा रही हैं उनके बचाव के लिये यह विधेयक है । जो मन्दिर पैसा होते हुए भी बरबाद हो रहे हैं यह उनकी रक्षा के लिये विधेयक है । सोमनाथ का मन्दिर नष्ट हो रहा था उसे पटेल ने बनवाया । मेरी राय में शीघ्र से शीघ्र इस विधेयक को मान लेना चाहिये । किसी को भी इसका विरोध करके सदन का समय नहीं लेना चाहिये । एक चीज टम्बेश्वर प्रसाद जी भूल गये । हमारी सरकार ने काशी में और मथुरा में जो घाटों का निर्माण कराया है वह बहुत ही सराहनीय कार्य है ।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, यह घाटों का बिल नहीं है जिस पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री गंगा प्रसाद—

इस छोटे से बिल को जल्दी पास करना चाहिये । जो हमारे यहां की खराब व्यवस्था है जिससे रुपया बरबाद हो रहा है उसे ठीक करना चाहिये ।

श्री गिरधारी लाल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, आज सदन में हिन्दू धार्मिक संस्थाओं में अपव्यय सम्बन्धी जो बिल उपस्थित है उसपर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, अभी कुछ समय पूर्व माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने बद्री नारायण मन्दिर सम्बन्धी कमेटी का जिक्र किया और उन्होंने यह भी कह दिया कि उसका बहुत सा धन इधर उधर हुआ । मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूं । उन्हें यह भी मालूम है कि इसके पूर्व जब कि उसका प्रबन्ध सरकार के अधीन नहीं था, रावल लोगों के अधीन था—उस समय जब सरकार ने इस मन्दिर को अपने अधिकार में लिया, कितना एजिटेशन रावल के विरुद्ध था और उस समय उस एजिटेशन को देखते हुए यह जरूर महसूस किया गया कि इस मन्दिर को संरक्षण में लिया जाय । और इस मन्दिर को संरक्षण में लेने के बाद कितनी उन्नति हुई—यह हमसे आपसे छिपा नहीं है । वहां का चांदी और सोना अब माननीय सदस्यों की उपस्थिति में नीलाम होता है, बेचा जाता है और कितनी कड़ाई व देखरेख की जाती है, इसको माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी जानते हैं । वे कई बार बद्रीनाथ कमेटी के कार्य के सम्बन्ध में वहां गये । यह सही है कि मन्दिर बना था पूर्वजों के हाथ से और उसमें एक धार्मिक भावना सन्निहित है । कोई भी नया प्रबन्ध आप कीजियेगा तो उसमें कुछ अच्छाई और कुछ बुराई दोनों सन्निहित रहेगी । लेकिन हमें तो इस भावना से देखना है कि ज्यादा अधिक अच्छाई किसमें प्राप्त होती है । बद्रीनाथ कमेटी के मेम्बर की हैसियत से अनुभव प्राप्त करते हुए यह मालूम होता है कि जो बड़े बड़े मन्दिर हैं जिनमें सरकार ने भी धन लगाया है और जनता की तरफ से मांग भी है, और उसका फल भी अच्छा हुआ है ।

दक्षिण में तिरुपत्ति बाला मन्दिर है । जैसे हम लोग अपने यहां बद्रीनाथ मन्दिर को आय और श्रद्धा की दृष्टि से शिरमौर मानते हैं—वैसे उस मन्दिर को भारतवर्ष की जितनी धार्मिक संस्थायें हैं, उन सब से इतनी अधिक आय है कि वह वार्षिक करीब २ करोड़ रुपये में है । और वहां का कितना सुन्दर प्रबन्ध है। अगर आप तिरुपत्ति चले जांय तो वहां पहाड़ करीब ६ हजार फीट की ऊंचाई पर है और जो १४ मील की सड़क है वह मन्दिर के ट्रस्ट के खर्च से निर्मित की गयी है । यातायात के जितने भी साधन हैं सब मन्दिर की तरफ से उपलब्ध हैं । जितनी भी धर्म शालाए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं वे उनकी निजी हैं, बड़े बड़े कालेज---यहां तक कि इंजीनियरिंग कालेज भी उसके खर्चे से चलाया जाता है । क्या आप समझते हैं कि यदि वह सरकार के नियंत्रण में नहीं होता, पंडे पुजारियों के हाथ में होता तो इतना अच्छा प्रबन्ध होता ? वैसी हालत में जो धन सार्वजनिक हित में लगा हुआ है वह भी नहीं होता । बहुत से मन्दिर इस किस्म के हैं, हमारे वाराणसी में भी इस किस्म के मन्दिर हैं जिन्हें पंडे लोग चलाते हैं और वे अपनी तरफ से संस्कृत पाठशालायें चलाते हैं । तो दोनों दृष्टिकोणों से आपको विचार करना है कि आय के जितने बड़े-बड़े स्थान हैं, सरकार को यह समझ लेना चाहिये कि जब बहुत बड़े मन्दिर लिये जाते हैं तो मेरा निवेदन है कि जो मन्दिर टूटे हुए हैं और जिनकी कोई आय नहीं है उन्हें भी सरकार को देखना पड़ेगा । यह नहीं कि आमदनी वाला हिस्सा तो आप ले लें और कम या बिना आय वाले मन्दिर का प्रबन्ध छोड़ दें ।

हमारे यहां पंचक्रोशी में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है जिसकी तरफ किसी की भी निगाह नहीं गयी है । पंचकोशी की २५ मील की यात्रा के लिये सड़क का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है कितनी बार सदन में चर्चा की गयी कि उस सड़क को निर्मित कर दिया जाय लेकिन कोई आवाज नहीं सुन पड़ी और आज तक वह सड़क निर्मित नहीं हुई । इतनी धर्मशालायें हैं, करोड़ों रूपया उनकी मरम्मत में खर्च होकर भी उनकी पूरी मरम्मत नहीं हो सकती है । आपकी इसमें दूसरी जिम्मेवारी भी है, जिसकी ओर भी आपको खयाल करना होगा । यह बिल १९६२ में पास हुआ । अब १९६६ है लेकिन इस चार साल की अवधि में भी क्या कार्य आपने किया ? कोई भी ठोस कार्य आपने नहीं करके दिखाया है । चार साल का समय कोई कम नहीं होता है और अगर इस समय के अन्दर कोई भी प्रगति हुयी होती तो हम इस बिल का स्वागत करते ।

एक बात और मुझे कहनी है । और वह यह है कि इस तरह की संस्थाओं के बनाने वाले जो लोग थे, जिन्होंने अपने दान पात्र से या अपने धन से इन संस्थाओं का निर्माण किया था, उनकी जो भावना थी, उनकी भी आपको कद्र करनी पड़ेगी । आप इन संस्थाओं को ले लें लेकिन दाताओं की भावनाओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा । यह देश की और धर्म की आवश्यकता है । आप उनका नियंत्रण ले लें लेकिन उनका संचालन भी आप उसी प्रकार से करें जैसा कि दक्षिण में तिरुपत्ति मंदिर में होता है । अंग्रेजों के शासन काल में तारकेश्वर मंदिर के बारे में शिकायत आयी कि वहां का प्रबन्ध ठीक नहीं है । उन्होंने उसकी ओर तत्काल ध्यान दिया । मैं मानता हूं कि यह जरूरी कानून है लेकिन जितनी बातों को मैंने कहा है या जिनके बारे में मैंने सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देगें और उन्हें कार्यन्वित करने का कष्ट करेंगे ।

*श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, हमारे सामने यह बात नहीं आ रही है कि क्या वजह है कि यह बिल लाया जा रहा है ? क्या सरकार के मष्तिष्क में विकृति उत्पन्न हुई है। इस सरकार की कोई भी योजना, जो पैसे की है, या जो खर्चे की है, जब तक वे कर्तव्य पालन कर्ता के हाथ में नहीं पहुंचेगी, उसके परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे। १९ साल की इस कांग्रेसी हकूमत ने प्रदेश में इस प्रकार की अनेकों योजनायें बनायी हैं, जिनमें लाखों और करोड़ों रुपयों का अपव्यय हुआ है । अब अगर ये माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितने हिन्दू धर्म की संस्थाएं हैं, उनमें रुपयों का अपव्यय हो रहा है तो मुनासिब बात नहीं है। इसलिए हम उनका नियन्त्रण करेंगे । वहां पर जो धन है, चांदी है, सोना है, उसको कन्ट्रोल करें। यह कार्य इनके द्वारा ४ वर्ष में तो पूरा नहीं हुआ लेकिन अब चाहते हैं कि २ वर्ष का समय और बढ़ा दें। आपकी जो गिद्ध की दृष्टि है, वह दूसरों की सम्पत्ति पर पड़ती जा रही है। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बिपिन बिहारी तिवारी]

की जो योजनाएं हैं, जिनसे जन कल्याण होने की सम्भावना है, उनको आप क्यों नहीं लेते हैं। अभी यहां पर कुछ दिन हुए छितौनी बांध की चर्चा हुई कि जिस पर १४ हजार रुपए लगने थे लाखों रुपया उस पर लगा और इंजीनियरों ने कह दिया है कि अब वहां पर कोई बांध बन ही नहीं सकता है। तो कितना अपव्यय वहां पर हुआ। आपकी सरकार की जो मशीनरी है, और सरकारी कर्मचारी हैं, क्या आपका विश्वास है कि जिन कर्मचारियों के ऊपर उत्तरदायित्व है वे रुपए का अपव्यय रोक सकेंगे, उनके इस प्रकार के चरित्र हैं। मैं समझता हूं कि जब तक चरित्र की भावना देश के अन्दर उत्पन्न नहीं होती तब तक न तो कोई योजना सफल हुई है और कोई सफल होगी। इसलिए जितने भी विधेयक लाए हैं वे सब इसी कसौटी पर फेल होते जा रहे हैं। दो वर्ष में भी आप इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं हैं ४ वर्ष में आप ने क्या प्रगति की कितना अपव्यय रोका और क्या रचनात्मक कार्य किए हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप दो वर्ष लेने के बाद भी जो उपलब्धियां तमाम खर्चा करने के बाद आप प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त नहीं होंगी और ४ वर्ष के अन्दर भी वह प्राप्त नहीं हुई हैं। यह ठीक है कि मन्दिरों के ऊपर अगर आप जानते हैं कि अपव्यय हो रहा है, रोक लगनी चाहिए। लेकिन रोकने की जो निगेटिव साइड है उस के अलावा पोजिटिव साइड भी तो विधेयक के अन्दर आनी चाहिए। जैसा माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कहा और जिस पर कई सदस्य बिदक गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन को उस बात के महत्व को देखना चाहिए। आखिर इस देश के अन्दर हिन्दू धर्म के अलावा भी बहुत से मुसलमानों, ईसाइयों की धार्मिक संस्थाएं हैं और विदेशी धर्मावलम्बी लाखों, करोड़ रुपया खर्च कर के और पैसे से सिर्फ शिक्षा और धर्म का ही काम नहीं करते हैं बल्कि राष्ट्रद्रोहिता का काम भी करते हैं, तो उन के ऊपर भी तो नियन्त्रण करने की आवश्यकता है। जब हमने संविधान में उनको सब अधिकार दिए हैं तो जो मिशनरी संस्थाएं हैं क्या उनकी गतिविधियों पर हम को नियन्त्रण नहीं करना चाहिए ? उनके लिए भी कानून उतना ही आवश्यक है जितना कि हिन्दुओं के लिए यह कानून आप बनाए हैं।

जैसा कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि पुराने जमाने में हमारे पूर्वजों ने जो जगह-जगह धार्मिक स्थान बनाए थे वे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बनाए थे ताकि भारतवर्ष का चित्र लोग देखें, एक राष्ट्रीय चेतना जो जाग्रत करने के लिए ही ऐसा उन्होंने किया था और धर्म हम को इस बात की प्रेरणा देता था कि हम इस भूमि के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दें। इसी-लिए लोग बद्रीनाथ जाते थे, अब तो काफी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन पहले लोग जो जाते थे वे सोचते थे कि वहां जा कर नहीं लौटेंगे। तो भावना यह थी कि भारत माता की गोद में जा करके अपने प्राणों को देंगे। हमारी सरकार के दिमाग में अर्थ प्रधान है, पैसा चाहिए, उसके ऊपर नियन्त्रण चाहिए। तो पैसे के आधार पर आप मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकते, वह पैसे के ऊपर है। उस में जीवन और त्याग है। और जिन ऋषियों ने इस प्रकार की पुरियों का निर्माण किया जो १२ हजार फीट के ऊपर गरुड़ का मन्दिर बनाया ऐसे स्थानों को सरकार को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्या सरकार उन मन्दिरों में लगे हुए धन का नियन्त्रण करेगी या उन मन्दिरों की अवस्था का भी ध्यान रखेगी जो उपेक्षित पड़े हुए हैं ?

एक और दूसरा पहलू है। बार-बार आप समय क्यों लेना चाहते हैं। आप की बात में भी विरोधाभास है। आप कहते हैं कि केन्द्र के द्वारा सारे भारत में फैले हुए हिन्दू मन्दिरों के सम्बन्ध में बिल आ रहा है। जब ऐसा है, और आप कहते हैं कि चूंकि वह अभी चुप हैं और हम जागरुक हैं इस लिए बिल ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर और चीजें तो अलग हो गयीं लेकिन यह बिल बहुत आवश्यक हो गया। इसलिए कि आपको भी मन्त्री होने के नाते कोई न कोई काम करना चाहिए। दिल्ली के लोग तो खामोश बैठे हैं लेकिन आपको आवश्यकता पड़ गयी कि पूरा कन्ट्रोल कर लें। इसलिए अगर केन्द्र की तरफ से कोई बिल आने वाला है तो आप उसका रास्ता देखिए, या अगर आपको यह सन्तोष हो कि चार वर्ष के अन्दर जिस तरीके से आपने इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य किया है और उसके ऊपर जितना खर्चा किया है और

जो उपलब्धियां आपको प्राप्त हुई हैं वह उचित हैं तो ठीक है, आप दो वर्ष और ले लीजिए। लेकिन अगर उसके अन्दर कोई प्रगति नहीं है, केवल अपव्यय है क्योंकि मैं समझता हूं कि एक छोटी सी दरख्वास्त में तो सालों लग जाते हैं, मैंने अपने क्षेत्र में एक काम के लिए दरख्वास्त दी थी तो चार, पांच साल में जा कर वह काम पूरा हुआ, तो मैं समझता हूं कि आप चार साल के अन्दर वाकई वह काम पूरा नहीं कर पाए होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रवर समिति में भेजिए, वहां इसकी आवश्यकता को देखा जाय, इसके जो नकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण हैं उन सब को देख कर एक ठीक बिल लाया जाय और तब आप समय मांगिए तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं और इसलिए नहीं करता कि मैं एक हिन्दू हूं। मैं इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि मैं एक आजाद राष्ट्र का नागरिक हूं और एक आजाद राष्ट्र के नागरिक के कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई, जो माननीय सदस्य उधर बैठे हैं वह एक वकील हैं और कानूनदां हैं। जिन्होंने कानून पढ़ा है और जिन्होंने मठ और मन्दिरों के लिटिगेशन को जो प्रीवी कौंसिल तक गया था देखा है उन्होंने समझा होगा कि मन्दिर और मठ क्या काम करते हैं। कानून की निगाह में जो मठ और मन्दिरों में मूर्ति होती है वह नाबालिग है और लीगर परसोना है। यानी कानून में जो एक इन्सान का अधिकार होता है वही उस मूर्ति का अधिकार होता है। जिस प्रकार से हर देश की सरकार अपने नाबालिगों की ट्रस्टी होती है उसी तरह से मठ, मन्दिर और धार्मिक संस्थाएं जो हमारे यहां हैं दे आर एंटाइटिल्ड टु दि प्रोटेक्शन आफ दि ला आफ दि लैंड। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से जो प्रयास है वह बिल्कुल कानून जायज है, सही दिशा में है। हो सकता है कि उसमें कमियां और खामियां हों, जो हमेशा इन्सान के काम में हुआ करती हैं, लेकिन वह दूर की जा सकती हैं भविष्य में। पहले बच्चा पैदा होता है फिर बढ़ता है। इसी तरह से कानून की भी बढ़वार हुआ करती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारे विरोधी भाई कानूनन इसका विरोध करेंगे, चाहे वे और जो कुछ कहें। वे कानूनदां हैं, वे जानते हैं कि गवर्नमेंट का उस आइडल के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। इसलिए नाबालिग को कानून के संरक्षण के अधिकार होते हुए भी जो उसकी सम्पत्ति होती है वह ट्रस्टी के हाथ में होती है। वह ईमानदारी से काम करता है या नहीं, इसको देखने का सरकार का कर्तव्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का काम मन्दिर और मठों के ऊपर देखरेख करने का आ जाता है। इसलिए इसके मुताबिक सरकार का जागरूक होना स्वाभाविक है और कर्तव्यपराणता की ओर एक कदम है और वह होना चाहिए। अब क्या प्राबीजन होंगे और सरकार क्या संरक्षण देगी, कौन-से प्राबीजन ऐक्ट में होंगे जिससे उनकी लायबिलिटी और राष्ट्र का सही दिग्दर्शन होकर सही कार्य किया जा सके। यह सब चीजें ऐक्ट बतलाएगा।

अब मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य सही बात को समझते हैं वह यह धृष्टता नहीं कर सकते हैं कि जो चीज सही दिशा में हो रही है, उसका विरोध करें। आप लोग जानते होंगे कि दक्षिण के बड़े-बड़े मन्दिरों के मामले कोर्टस् में गए हैं और बड़ा लिटिगेशन हुआ है। उसको देखकर भी अगर कोई इसके खिलाफ कुछ कहे तो बड़ी हिमाकत की बात होगी। मैं समझता हूं कि यह बात जानकर इन्सान को नहीं करना चाहिए। बेजानकार इन्सान जो चाहे कह सकता है। हमारे हजारों भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके कर्तव्य परायणता का दायित्व राज्य के ऊपर है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है।

*श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, जो बिल माननीय समाज कल्याण मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है और इसके ऊपर जो संशोधन उपस्थित हुआ है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुकदेव प्रसाद]

बहुत से सदस्यों के विचार सुनने का मौका मिला। यह भी सुनने को मिला कि वह अपने को हिन्दू नहीं कहते हैं पता नहीं वह क्या हैं और वह किस के विरुद्ध और किस के समर्थक हैं। मुझे तो उनकी बात ऐसी लगी। मैं हिन्दू हूं और मैं कह सकता हूं कि यह बिल केवल हिन्दुओं के ऊपर ही लागू होता है। अगर मन्त्री जी हिन्दुओं के मन्दिर और मठों इत्यादि के अतिरिक्त जो देश और प्रदेश में अन्य धर्मों को मानने वाले हैं और अन्य संस्थायें हैं उनको भी इसमें समावेश किए होते तो मैं मान लेता कि यह सुधार के लिए है। चार साल पहले यह बिल पास हुआ था। दो साल के बाद इसका समय खत्म होने जा रहा है और केन्द्रीय सरकार भी एक ऐसा बिल लाना चाहती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं लाई, इस लिए इसकी मियाद को बढ़ाना चाहते हैं।

(इस समय २ बजकर ३६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए।)

मुझे दुख होता है कि यह सरकार और जो सदस्य हैं वह गवाही देते हैं कि हम हिन्दू हैं और हिन्दुओं के पोषक हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक कांग्रेस सरकार ने हिन्दू धर्म, हिन्दू या हिन्दू संस्कृति को खत्म करने की ही कोशिश की है। मुझे याद है कि हिन्दू विश्वविद्यालय को पंडित मदनमोहन मालवीय ने एक-एक पैसा इकट्ठा करके बनवाया था, कांग्रेस सरकार ने हिन्दू शब्द निकालने के लिये काला कानून बनाया लेकिन वह अपनी कोशिश में असफल रही। इसी तरह से कांग्रेस सरकार ने हिन्दू कोड बिल बनाया। सरकार के ऊपर मैं लांछन लगाता हूं कि उसने और भी जो संस्थायें हैं तथा अन्य जो धर्मावलम्बी रहते हैं उनके लिये कोई कोड क्यों नहीं बनाया ?

इसके अतिरिक्त मंदिरों के ऊपर उनका कहना यह है कि अपव्यय हो रहा है उसको रोकने के लिये उन्होंने प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश की। लेकिन मुझे दुख है कि मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने इन चार सालों के अन्दर क्या प्रगति की ? यह बात जरूर है कि हमारी कांग्रेस सरकार की नीयत यह है कि किसी तरह से आर्थिक प्रगति करें। आर्थिक समस्या इनके निकम्मेपन के कारण उलझी हुई है। जब पानी बरसा तो इन्होंने कहा कि हमारी योजनायें सफल हुई और जब नहीं बरसा तो उनकी योजनायें धरी की धरी रह गईं। इसलिये मुझे कहना पड़ेगा कि यह सरकार आर्थिक दृष्टि को लेकर आगे बढना चाहती है जिससे इसकी अकुशलता का परिणाम मिलता है। यह डंडे के बल पर पुलिस के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को तथा अध्यापकों को अपने हाथ में रखना चाहती है। पंचायत मंत्रियों को उनकी मांग न मानकर कुचलना चाहती है। मंत्री जी ने बताया है कि दस डिवीजनों में कमिश्नर नियुक्त कर दिये हैं। आप जानते हैं कि आपके यह कमिश्नर कितने भ्रष्ट हैं, कितने गिर चुके हैं, कितनी इनमें स्वार्थपरता भर गई है, इसको देखें तो आपको मालूम होगा कि इन संस्थाओं का यह अपव्यय रोकेंगे नहीं बल्कि बढायेंगे। अभी अखबार में निकला कि एक स्त्री को एक बड़े धार्मिक स्थान में सरकारी अधिकारियों ने रखा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस तरह से अगर इनको मंदिरों तथा मठों में घुसेड़ा गया तो बड़ी गड़बड़ी होगी। आज हर चीज पर आप व्यापार करना चाहते हैं। इसीलिये आज आप हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के साथ भी व्यापार करने का कुचक्र रख रहे हैं।

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वास्तव में कांग्रेसी सरकार हिन्दू संस्कृति सभ्यता और धार्मिक संस्थाओं के विरुद्ध है और वह हिन्दू नाम ही खत्म कर देना चाहती है। इन संस्थाओं में इसके द्वारा सुधार नहीं होगा बल्कि और भी बुराइयां इनमें आवेंगी। मैं बद्री नारायण गया था। मुझे वहां का मन्दिर देखने का सौभाग्य मिला। वहां माननीय महरावल जी की तन्ख्वाह यही कि चढावे में कुछ हिस्सा मिलता है। पुजारी जो वहां जाप करते हैं उनको वेतन मिलता है। जब वेतन पाने वाले ऐसे धार्मिक कार्यों को करेंगे तो उनमें किस तरह से धार्मिक भावनाओं का प्रवेश हो पावेगा और वे कैसे लोगों में धार्मिकता को जाग्रत कर पावेंगे। उनका तो वेतन पाना ही उद्देश्य होगा। उनके अन्दर एक ही भावना होगी, कि किस प्रकार गलत रीति से पैसा पैदा करें। यही नहीं, मुझे पुरी जाने का अवसर

मिला है। मैंने वहां की बातों को देखा। मैं कह सकता हूं कि मंदिरों और मठों में इस तरह से नहीं किया जा सकता है जैसा यहां किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उनमें सुधार हो लेकिन सरकारी डंडे के बल पर पुलिस के द्वारा या डिवीजनल कमिश्नर्स के द्वारा आप उन बुराइयों को दूर नहीं कर सकते। अगर उन बुराइयों को रोकना चाहते हैं तो चाहे उनके दल के लोग हों, चाहे उनके हितैषी हों उनकी ही एक कमेटी बनावें और उसमें रोकने के लिये विचार रखें। आपके ऊंचे दर्जे के कर्मचारी कितने भ्रष्ट हो गये हैं उसका अन्दाज नहीं किया जा सकता है और इस कांग्रेसी शासन में उनको ठीक भी नहीं कर सकते, उनका चरित्र आप सुधार नहीं सकते। इस वास्ते मैं इस बिल का विरोध करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आपका उद्देश्य पवित्र है, आप मंदिरों में सुधार करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेसी राज्य में, चाहे केन्द्र का कांग्रेसी राज्य हो या राज्य का, उन्होंने आपको इतना बांध रखा है कि आप उस दायरे से आगे जा नहीं सकते। मैं तब भी मान लेता अगर सभी प्रकार के मन्दिरों और मठों के लिये होता केवल हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के लिये ऐसा किया जा रहा है। इसलिये माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं इसलिये कि जो कुछ आपने इन दो-चार सालों में इस दिशा में किया है उसको बैठ कर कमेटी में, विचार करें और जो संभव हो आगे के लिये प्रयत्न करें। आप यह बतावें कि आपने अब तक क्या किया है इसके लिये आप अपने भाषण में बतावेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री तेज सिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमान् जी, अभी जो सज्जन बोले हैं और इसके पहले टम्बेश्वर प्रसाद जी ने इस बात पर बल दिया कि इस बिल को इसलिये पास नहीं करना चाहिये या अवधि नहीं बढ़ानी चाहिये कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वह बहुत भ्रष्ट हैं चाहे वह किसी भावना से मन्दिर में जाते हों लेकिन उनको कोई हक नहीं है कि वह मन्दिर का इन्तजाम कर सकें। मैं उन शब्दों को नहीं कह सकता जो उन्होंने कहे। अभी ४ बजे के बाद जब दूसरी बहस आ रही है तो जिन कर्मचारियों को वे बुरा भला कह रहे हैं तो अच्छे हो जायंगे। चूंकि कांग्रेस की तरफ से एक बिल आया है उसका विरोध करना है इसलिये इस वक्त उन अधिकारियों को कोस रहे हैं लेकिन जब अलग बहस होगी तो चूंकि अधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस सरकार है या उनको उनका हक नहीं दे रही है जो कुछ वे चाहते हैं तो ४ बजे के बाद वे ही कर्मचारी बिलकुल श्रेष्ठ हो जायेंगे। और देवता की तरह ये ही सज्जन उनकी पूजा करने के लिये हमको उपदेश देंगे।

दूसरी बात जिस पर बल दिया वह यह है कि यह कानून सारे हिन्दू स्थानों के लिये रखा गया है और बाकी धार्मिक स्थानों के लिये नहीं रखा गया है। जो कुछ मैं समझता हूं वह यह कि यह कानून इसलिये आ रहा है कि जो मठ या मन्दिर ५० हजार रुपये से ज्यादा सालाना आमदनी वाले हैं उनमें पैसे का दुरुपयोग होता है या भ्रष्टाचार है वहां इन्तजाम किया जाय। जहां पर पैसा ज्यादा होता है वहां पर दुरुपयोग हो सकता है। मुझे माफ किया जाय मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप मस्जिद के अन्दर जायं तो देखेंगे कि वहां पर सोना नहीं रखा जाता है। वहां पर कीमती चीजें नहीं होती है। सिर्फ नमाज पढने के लिये बदना और चटाई वहां होती है। वहां पैसा नहींहोता है तो ज्यादा पैसे का दुरुपयोग नहीं होता। हो सकता है कि इस कारण से उसका नाम इस बिल के अन्दर नहीं रखा गया हो। शायद मेरे भाई को यह पता नहीं है कि उनकी अलग-अलग वक्फ बनी हुई है। उनके द्वारा उनकी जो जायदाद होती है उसकी देखरेख होती है। मैं आपकी सूचना के लिये यह कह दूं कि सन्, १९२० में पंजाब में गुरुद्वारों में बड़ी खराबी थी जिसको दूर करने के लिये सिक्खों ने बड़ी जद्दोजहद की थी। सन् २० से २५ तक ५ साल लगातार हजारों आदमी इसके लिये जेल गये। उन गुरुद्वारों को पुजारियों के पंजे से आजाद कराने के लिये कोशिश की और सरकार ने इस बात को माना कि यह जो मन्दिर हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री तेज सिंह---]

गरुद्वारे हैं यह पंचायती हैं और पुजारियों की मिलकियत नहीं हैं कि जहां वह चाहें हजारों रुपया खर्च करें और जिसको चाहें दे दें। यह जो उसूल हैं वहां पर मान लिया गया है। तो अब आपको इसके लिये ज्यादा जद्दोजहद करने की जरुरत नहीं है लेकिन मैं आपको निवेदन करूंगा कि हजारों अकाली जिसमें शहीद हुए और जिसको अकाली मूवमेन्ट कहा जाता है उसके बाद यह बात मान ली गई कि इनके ऊपर पंचायत को अख्तियार होना चाहिये।

मंत्री जी ने कहा कि हम एक बड़ा बिल लाने वाले हैं। तो यह वाकई अफसोस की बात है कि ४ साल से यह बिल क्यों नहीं यहां पर लाये? इस किस्म का बिल पंजाब में सिक्खों के गुरुद्वारों के लिये बना हुआ है। उस कानून के द्वारा बड़े बड़े सिक्खों के गुरुद्वारों का इन्तजाम होता है। उसके लिये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी बनी हुई है। उसका चुनाव भी सरकारी तौर पर होता है। वह उन सब गुरुद्वारों का खुद इन्तजाम करती है। छोटे और बड़े गुरुद्वारों के लिये कमेटी बनी हुई है और उनके द्वारा उन सबका इन्तजाम होता है। आपको मौका मिले तो जाकर देखे बार्डर पर एक सुनहरी टैम्पिल है जिसको लाखों रुपये की आमदनी है लेकिन उसकी आमदनी का पैसे-पैसे का हिसाब होता है। जो मन्दिर, कालेज या धर्मशाला बनी हुई हैं वह सारा पैसा उन पर खर्च होता है और पहले वह सारा पैसा पुजारी की मर्जी पर खर्च होता था। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उस ऐक्ट को अगर आप देखने का कष्ट करें तो उससे आपको काफी मदद मिलेगी। सिक्खों के स्थानों के लिये आज इंडियन पार्लियामेन्ट में भी एक बिल पेश हो चुका है जो राय आम्मा के लिये सरकुलेट किया हुआ है। उसकी एक कापी यहां पर वाचनालय में भी है। उसको भी आप देख लें तो उससे मदद काफी मिलेगी। इस बिल के अन्दर सिक्खों के टैम्पिल भी रखे गये हैं। मेरा खयाल है कि सिक्खों के टैम्पिल के लिये अलग से कानून बना हुआ है और उसके लिये एक आल-इंडिया ऐक्ट बनने जा रहा है तो शायद इसको इससे निकालना पड़े लेकिन यह जरुरी बात है कि---सिक्ख गुरुद्वारा ऐक्ट

(व्यवधान)

बना हुआ है। उनके टैम्पल्स उसके इन्तजाम में आ जाते हैं। मन्दिर पर दो कानून लागू न करें। वैसे मुझे एतराज नहीं है लेकिन मैंने अपना यह सुझाव रख दिया है। पंजाब में गुरुद्वारा ऐक्ट के अधीन जो समिति बनी हुई है उसके वोटर्स वही होते हैं जो सिक्ख धर्म में आस्था रखते हैं। इसमें सब हिन्दू धर्म हैं, समाज है, ब्रह्म समाज है, और जो धर्म हैं जिनमें थोड़ा बहुत आपस में फर्क है अगर वे चाहें तो उनको अपना इन्तजाम करने के लिये अलग-अलग प्रबन्ध करना चाहिये। यह केवल इसलिये किया जा रहा है कि पैसे का दुरुपयोग जो वहां होता है वह न हो पाये। जहां मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं वहां यह भी प्रार्थना करूंगा कि इसमें डिले नहीं करना चाहिये। बल्कि जो व्यापक कानून बनना है उसको बना दिया जाना चाहिये।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक पर माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद मैं ऐसा समझता हूं कि जो मूल अधिनियम का उद्देश्य है जो अब लागू है उससे किसी भी माननीय सदस्य का विरोध नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरा सदन एकमत का है कि अधिनियम जो आज लागू है वह उचित है, न्यायसंगत है और हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिये। सवाल केवल यह है कि वर्तमान अधिनियम का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। १४ दिसम्बर तक उसकी अवधि है। अब ऐसी हालत में क्या इसमें सुधी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई हो, आपका यह तरीका भले बल रखता हो, लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि १४ दिसम्बर के पहिले यदि इस अस्थायी अधिनियम का कार्यकाल नहीं बढाया जायेगा तो यह अव्यवस्था उत्पन्न होगी और जो बीच की अव्थरवस्था की अवधि होगी उसमें जो कुछ सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति है उसके दुपयोग का खतरा उत्पन्न हो जायेगा। मैं समझता हूं कि इस स्थिति से हमारे माननीय तिवारी जी सहमत होंगे कि ऐसी हालत में चाहे वह व्यवस्था की ही स्थिति क्यों न हों, मैं समझता हूं कि हमारे माननीय तिवारी जी प्रस्तुत इस विधेयक का विरोध वापिस करेंगे और पास होने देंगे। व्यापक विधेयक लाने की जो घोषणा पहिले हुई थी, उसके अनुसार कार्य नहीं हुआ है। चाहिये था कि इस समय एक व्यापक विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसी अवधि में ४–६ महीने के अन्दर ही इस आदरणीय सदन के सामने एक व्यापक विधेयक ले आयें। मैं जानता हूं कि हमारे प्रदेश में बहुत सी धार्मिक सार्वजनिक संस्थाओं की संपत्ति बरबाद की जा रही है और जो संपत्ति बची भी है उसका पूरी तरह से रक्षण होना चाहिये। लेकिन मैं इस तर्क को नहीं समझ पाया कि एक ओर तो जन संघ के माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें से हिन्दू शब्द को निकाल दिया जाय लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय में से हिन्दू शब्द निकालने की कोशिश की। मैं भी ऐसा समझता हूं कि हमारे देश में चाहे जिस धर्म से संबंधित कोई संस्था हो उसकी संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिये, और उन सब के लिये कानून बनाया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि फिरकापरस्ती को मिटाने के लिये यह बहुत अच्छा कदम होगा। लेकिन आपका तर्क विरोधाभास रहा। अगर आप उसमें से हिन्दू शब्द निकाल लेने देते तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में से भी मुस्लिम शब्द निकल जाता।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

यह तो आपकी राय है, यह कांग्रेस सरकार की राय नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह—

लेकिन आपके पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया कि दोनों जगह से हिन्दू और मुस्लिम शब्दों को निकाल दिया जाय। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि इस बात को लेकर पार्लियामेन्ट में हंगामा हुआ। और डा० राम मनोहर लोहिया ने गोरखपुर में जाकर यह कहा कि कांग्रेस के नेताओं को बोलने न दो, उनका मुह नोंच लो हिन्दू यूनिवर्सिटी के सिलसिले में अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करे। मैं और किसी संस्था को तो नहीं कहता लेकिन मेरा विश्वास है कि जन संघ की राष्ट्रीयता में कोई शुबहा नहीं है। और देश में अराजकता की स्थिति पैदा करना नहीं चाहती और न तोड़-फोड़ की बात देश में पैदा करना चाहती है लेकिन जन संघ के माननीय सदस्यों को यह भी उचित है कि वे अपने संतुलित बिचारों को प्रकट करें। जहां तक मतभेद की बात है, हमारा और उनका मतभेद हो सकता है और अपनी-अपनी बात कही जा सकती है, इसलिये ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि यहां से हिन्दू शब्द हटाया जाय और वहां से न हटाया जाय। यह मैं समझता हूं उचित नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

बात दूसरी है और वह भाषण दूसरा कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

वह तो मैं केवल सफाई दे रहा था। तो अब मैं बस इतना ही कहकर माननीय तिवारी जी से सादर आग्रह करूंगा कि वह इस विधेयक का अपना विरोध वापस ले लें, इसको पास होने दें क्योंकि १४ दिसम्बर तक बहुत कम समय है, इसी समय के अन्दर इसको पास होने दें ताकि हिन्दू धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं से अपव्यय रुक सके और उनकी रक्षा हो सके।

*श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संबंध में आज अपने बिचार व्यक्त करने वाला नहीं था लेकिन एक विवाद माननीय मैनेजर सिंह जी ने खड़ा कर दिया और उन्होंने उसमें जन संघ को लपटने की कोशिश की। जन संघ हिन्दू मुसलमान और सब के बारे में अपनी एक स्पष्ट नीति रखता है। यहां हिन्दू शब्द जुड़ा रहना आवश्यक है और उसका कहना है कि अगर हिन्दू हट जायगा तो यह देश भारतवर्ष नहीं रहेगा, यह बात सही है। माननीय मैनेजर सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि जन संघ यह नहीं चाहता कि आज जहां हिन्दू शब्द लगा है वह वहां से हटाया जाय लेकिन सरकार जो उनके कार्यकलापों में अतिक्रमण और हस्तक्षेप करना चाहती है वह उचित नहीं है। यह सरकार केवल इन्तजाम की बात ही अपने हाथ में नहीं लेना चाहती है बल्कि वह अपना अधिकार हिन्दुओं के मंदिरों पर स्थापित करना चाहती है। मन्दिरों में प्रवेश कब होगा, वह किस समय खुलेंगे, वहां कौन जायगा यह सब अधिकार सरकार प्राप्त करना चाहती है, यह सरकार हिन्दुओं के मन्दिरों में तो अधिकार प्राप्त कर लेगी लेकिन यहां के अन्य धर्मों के धर्मस्थानों पर वह उन अधिकारों को क्यों नहीं प्राप्त करती, वहां भी उसको प्राप्त करना चाहिये। इस तरह से सरकार को किसी के धार्मिक क्षेत्र में कदम नहीं रखना चाहिये इसीलिये इसका विरोध किया जा रहा है।

कहा गया कि मुसलमानों के यहां कुछ होता ही नहीं इसलिये उनके यहां सम्पत्ति का दुरुपयोग नहीं होता। उनके यहां भी वक्फ में प्रापर्टी लगी हुई हैं और दुरुपयोग होता है। अजमेर की दरगाह में लाखों की संपत्ति लगी है, वहां भी कुछ न कुछ दुरुपयोग होता होगा। जन संघ किसी धर्म का विरोधी नहीं है, वह चाहता है कि सब लोग धार्मिक बनकर अपने धर्म के अनुसार पूजा करें, हमारी सरकार चाहे धर्म विरोधी न हो लेकिन वह हिन्दू विरोधी जरूर है क्योंकि वह केवल उन्हीं के धार्मिक मामलों में हाथ डालती है। मुसलमान कितनी भी शादी कर लें, हिन्दुओं के बारे में वह एक विवाह का कानून बनाये हुए है---

श्री अधिष्ठाता---

वह केन्द्रीय सरकार ने बनाया है।

श्री रक्षपाल सिंह---

केन्द्रीय सरकार की भावनाओं को लेकर ही संभवतः इन्होंने भी यह किया है। जब एक सम्प्रदाय के लोग चार-चार शादियां करेंगे और दूसरे के लोग एक ही करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दस बरस बाद किसकी संख्या अधिक होगी। इस तरह से हिन्दुओं को खत्म करने की योजनायें यह आगे चलकर साबित होंगी। सरकार के सारे कानूनों से हिन्दू विरोध प्रदर्शित होता है, जानबूझकर उनके क्षेत्र में ही हस्तक्षेप किया जाता है। अगर सीकुलरिज्म का मतलब बिधर्मियों को प्रश्रय देना और हिन्दुओं को हानि पहुंचाना कहा जाय तो उचित होगा। मैं समझता हूं कि यह सेकुलरिज्म के सिद्धान्त के विरुद्ध है कि सरकार एक विशेष सम्प्रदाय के धार्मिक कामों में हस्तक्षेप करे; इसके साथ ही मुझे यह कहना है कि कोई भी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट साल दो साल या तीन साल के बाद परमानेन्ट हो जाता है लेकिन यहां हालत यह है कि तीन बार ५ वर्ष के अन्दर इसका टाइम बढ़ाने के बाद भी यह अस्थायी अधिकार की बात ही कहते हैं। अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसकी रोकथाम करनी चाहिये लेकिन यह नहीं कि सदैव के लिये आप साल ब साल बिल को लाते रहें, यह एक विचित्र सी स्थिति है। इन तमाम कारणों से मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

*श्री राम लाल (जिला देवरिया)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार के द्वारा जो बिल पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हिन्दुस्तान में जो कुछ संपत्ति है, मन्दिरों के रूप में, मस्जिदों के रूप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में, नदी व तालाबों के रूप में--उसकी रक्षा करना सरकार का धर्म है। मैं हिन्दू हूं और भारतीय हूं। भारतीय होने के नाते इस देश की जितनी राष्ट्रीय संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करना इस देश की सरकार का काम है। मैं ऐसा समझता हूं कि हजारों धार्मिक संस्थाएं ऐसी हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले लोगों ने उनको दान दी थीं देवताओं की पूजा करने के लिये। देवता का अर्थ है जो कल्याण करे और समाज कल्याण के लिये देवताओं की संपत्ति थी। जिन्हें सौंपा गया वे बड़े अच्छे लोग थे। उनके उत्तराधिकारी बहुत सी जायदादों का उपयोग करते हैं। उस संपत्ति को बजाय देवताओं की पूजा आदि में खर्च करने के वे उस संपत्ति का उपयोग अपने निजी कामों में करते हैं, यहां तक कि रंडियों को देते हैं। इसलिये सरकार के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह ऐसी धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों की रक्षा करें। और वह संपत्ति उन्हीं कामों के लिये खर्च की जाय जिनके लिये दाता ने दी थी। मुझे पता है कि हमारे जिले में सैकड़ों मन्दिर ऐसे हैं जो औरंगजेब के समय के हैं और उनको दान-पत्र मिला है लेकिन आज हालत यह है कि वहां के १० मन्दिरों में से ९ मन्दिर मारपीट, झगड़ा और बदमाशी के घर बने हुए हैं। जो भी संपत्ति आती है उसे पुजारी आपस में बांट लेते हैं और उसे मन्दिर के कार्य में यानी पूजा-पाठ में नहीं खर्च करते हैं। जो पाठशालायें उनसे लगी हुई थीं उनकी भी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ऐसी हालत में सरकार के लिये आवश्यक हो गया कि वह उस संपत्ति की रक्षा करे।

आज जो मन्दिर का पुजारी है, अगर वह मन्दिर में पूजा नहीं करता है और उसे सरकार हटाना भी चाहे तो आज कोई कानून ऐसा नहीं है जिसके अन्तर्गत वह उसे हटा सके। तो कोई तरीका ऐसा निकालना चाहिये, कोई कानून ऐसा बनाना चाहिये कि जो धार्मिक स्थानों पर अधार्मिक बैठे हुए हैं उनको हटाया जा सके। जो शैव मत में विश्वास नहीं करते, वे वहां बैठे हुए हैं और जो संपत्ति उनको मिली हुई है उसका वे दुरुपयोग करते हैं। जो किसी परम्परा में विश्वास नहीं करते वे अपने राजनीतिक कामों में उस संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं। इसलिये कोई भी सरकार हो उसके लिये यह आवश्यक है कि अगर सामाजिक संपत्ति को कोई आदमी नुकसान पहुंचाता है तो वह उसकी रोकथाम करे और इसके लिये सरकार को कोई कानून बनाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सरकार एक बड़ा कानून पेश करने वाली है और इसलिये मैं इस

(इस समय ३ बजकर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

बिल का समर्थन करता हूं। इस बिल के द्वारा यह आवश्यक होना चाहिये कि जो सार्वजनिक संपत्ति हो, धार्मिक संपत्ति हो, गांव की संपत्ति हो उसका इस्तेमाल कोई आदमी निजी फायदे के लिये न करे बल्कि उसका इस्तेमाल उसी काम के लिये किया जाय जिसके लिये वह संपत्ति हो। सरकार का कार्य है कि वह इन देवताओं की संपति की सुरक्षा करे, जो कि लाखों आदमियों के विश्वास-पात्र रहे हैं। इन शब्दों के साथ में इस बिधेयक, का समर्थन करता हूं.

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस समय मूल विधेयक इस सदन के समक्ष आया था, और प्रवर समिति को भेजा गया था तो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं उस समिति का सदस्य था। इसलिये मुझे इसका पूरा इतिहास विदित है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं इसका पोस्टमार्टम कर सकता हूं कि इस बिल की हालत क्या थी और किस उद्देश्य से यह बनाया गया था और उस उद्देश्य की कहां तक पूर्ति हो पायी है। अभी हमारे माननीय दोस्त ने कहा कि हिन्दुओं की संस्थाओं में अपव्यय न हो, इसको रोकने के लिये इसको लाया गया है और उस अपव्यय को कम करने या समाप्त करने के लिये सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने हाथ में ले ले, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे कौन इन्कार कर सकता है कि यदि सार्वजनिक संस्थाओं में सार्वजनिक धन का अपव्यय होता है तो सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इसको रोके लेकिन यहां पर दूसरा ही प्रश्न उपस्थित होता है कि "खुद मियां फजीहत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

दूसरों को नसीहत"। ये स्वयं इतना अपव्यय कर रहे हैं और दूसरों के अपव्यय को रोकने के लिये इस बिल को ला रहे हैं। अब तो यह केवल संशोधन है। जब यह विधेयक था और ५ पेज का था, तो इसके संबंध में बनी प्रवर समिति में कम से कम ५ लाख रुपया खर्च हुआ होगा, अपने सुझाव देने में। जब आप दूसरों की लूट बन्द करने जा रहे हैं और खुद लूट कर रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा, दूसरों के ऊपर ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल पर जो प्रवर समिति बनी थी, उससे शायद ही कोई हिस्सा बचा हो, जहां पर इन्होंने अपनी मीटिंग न रखी हो। इसकी एक मीटिंग रानीखेत में भी लगी थी। वहां पर न कोई मन्दिर है, न कोई मस्जिद और न कोई गिर्जा। वहां पर केवल कुछ रिटायर्ड लोग सेव की बगिया लगाकर सेव खाया करते हैं। तो मैंने कहा कि अपव्यय निवारण के लिये यह विधेयक और शुरुआत से ही अपव्यय। हनुमानगढ़ी में तड़ का पैसा आता है। उसके बन्द करने की बात तो इनके दिमाग में आती है लेकिन अपनी तड़ नहीं कर पाये पहले शुरू में अपनी ही तड़ लेकर चले गये। इस कदर अपव्यय हुआ है सरकारी धन का। तो यह जो कहा गया कि अपव्यय के कारण यह आवश्यक है कि सरकार का हाथ उस में रहे, यह बिल्कुल बेकार है क्योंकि उस सरकार का हाथ इसमें होना चाहिये जो खुद अपव्यय न करती हो।

दूसरा तर्क दिया गया कि मन्दिरों की उन्नति के लिये आवश्यक था कि सरकार उसमें हाथ डाले क्योंकि जिन लोगों ने दान दिये थे उनकी इच्छा के अनुकूल उन मन्दिरों पर या जो धार्मिक संस्थायें हैं उनके ऊपर न उतना खर्च किया जा रहा है और न ऐसे देखा जा रहा है जैसा लोग चाहते थे। इसके लिये हमारे यहां देहात में एक चीज कही गयी है "नदवा की साखी बिलार" जिस नदवा में दही रखी जाती है उसको रखाने के लिये बिल्ली रख दी गई। हिन्दू संस्थाओं को जिन लोगों नें दान किया उस को रखाने के लिये किन को तजवीज कर रहे हैं ? जो स्वयं भारतवर्ष को चाट गये। अभी तक इस देश के ऊपर इस सरकार ने, केन्द्र की तथा प्रान्तों की, क्योंकि सब जगह एक ही दल की सरकार है, १ खरब ४२ अरब और १० करोड़ रु० कर्जा सरकार नें विदेशों का कर दिया है। इसमें अन्दरूनी कर्जा नहीं शरीक है,यह बाहरी है। जो राज्य इतना कर्जा कर सकता है देश के ऊपर। जो इतनी पवित्र धरोहर, जिस के लिये हमारे पूर्वजों ने रक्त दान किया, उस को भी जो कर्जे में बेच सकता है वह कहे कि हिन्दुओं की धार्मिक सस्थाओं में इन्तजाम नहीं हो रहा है उसको रोकने के लिये हमारा हाथ होना आवश्यक है, इसे कोई नहीं स्वीकार करेगा। मैं इसके पक्ष में राय नहीं दे सकता हूं कि ऐसे आदमी के हाथ में इसका इंतजाम दिया जाय। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि वहां पता नहीं साधू बाबा क्या-क्या खा गये। औरंगजेब ने दी थी सम्पत्ति और उसका इन्तजाम बाबा नहीं कर पा रहे हैं। औरंगजेब ने सम्पत्ति दी जो प्रसिद्ध है कि हिन्दुओं का कट्टर विरोधी था, उसने तो दी सम्पत्ति.....

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

काशी में केकरामठ औरंजजेब ने दिया है।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

औरंगजेब ऐसा कट्टर हिन्दुओं का शत्रु जिसे कहा जाता है वह तो धार्मिक संस्थाओं को दान दे और जो हिन्दू के नाम पर बैठे हुए हैं उसको छीन लें, और यह कह कर कि यहां अपव्यय है। खुद २४ घंटे अपव्यय करते हैं और दूसरे के अपव्यय को छीन रहे हैं।

एक आवाज--बैठी नहीं।

श्रीमन्, यह तो वही रही कि जाट रे जाट, तेरे सर पर खाट, तेली रे तेली तेरे सर पर कोल्हू । उसने कहा कि तुक नहीं बैठी । वह कहने लगा कि बोझ से तो मर ही जायगा । तो मैं यहां तुक बैठाने थोड़े ही खड़ा हुआ हूं । मैं तो आप की बखिया उधेड़ने के लिये खड़ा हुआ हूं । अब आप देखिये, ये इन्तजाम करने जा रहे हैं मंदिरों का और मठों में बाबाजी को रोकने जा रहे हैं कि आप खर्चा मत कीजिये और मंदिरों के आदमियों को संभालने जा रहे हैं । यहां घर के आदमी संभाल नहीं पा रहे हैं । आप देख लीजिये यह एजेन्डा मिला है . . .

श्री उपाध्यक्ष--

यह आर्ग्युमेंट हो गया ।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

आर्ग्युमेंट नहीं खत्म हुआ, आप सुनिये तो ।

श्री उपाध्यक्ष--

स्ट्राइक की बात आप इसमें नहीं ला सकते ।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

स्ट्राइक की बात मैं नहीं कहता, वह तो आप ले आये ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह इरेलेवेन्ट है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

यह उन्होंने कहा कि देवरिया के मठ का इन्तजाम नहीं संभल पा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बिल ही है । आप सरकार के अपव्यय की बात कहिये, यह तो रेलेवेन्ट है । आप इसमें सब चीजें सरकार की लाना चाहें तो वह गलत है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

उन्होंने दो तर्क दिये । एक तर्क यह कि धन का अप व्यय है, दूसरा यह कि इन्तजाम सही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इन्तजाम नहीं है, वह बात ठीक है । मगर इसे मैं इरेलेवेन्ट समझता हूं ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

खैर, उसे छोड़िये जब आप कहते हैं तो मैं नहीं कहूंगा । लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा । क्या आप स्वयं अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है ? और यदि है, तो यह (एजेन्डा दिखाते हुये) क्या है ? आज अगर माननीय सीताराम जी को किसी फाइल की जरूरत पड़ जाय तो मजाल नहीं ह कि पा जायं । इनके आदमी जो बैठे हैं वे फाइल नहीं निकाल सकते ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर तो ऐडजर्नमेंट मोशन आया है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

दूसरों के इन्तजाम में दखल वह दे सकता है जिसकी मुन्तजिमी मशहूर हो । आज आपकी जो तमाम प्लानिंग फेल हुई वह किस वजह से फेल हुई ? क्या उसे हिन्दुओं ने बनाया था या उनकी धार्मिक संस्थाओं ने बनाया था ? जब आप अपनी बनायी हुई चीज को नहीं संभाल सकते तो दूसरों की बनायी हुई चीज को संभालने का अधिकार इनके हाथ में दे दिया जाय, कम से कम मैं तो इसके लिये राजी नहीं हूं । अभी तक जो अधिकार इनको था उसको कितना संभाला इन्होंने ? आडिट रिपोर्ट उठा के देखी जाय । न तो वह जन संघ की है न हिन्दुओं की है। वह सरकारी मुलाजिमों की बनायी हुई है । कोई मद ऐसी नहीं है जिसमें जितना रुपया दिया गया हो उतना खर्च किया गया है । और उल्टे टैक्स लगाते हैं । यह अपव्यय नहीं, बुद्धि का दिवालियापन नहीं, कार्यक्षमता की बेहद कमी नहीं तो और क्या कहा जा सकता है ? जिन चीजों के आधार पर हमारे उधर के मित्रों ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के अपव्यय को रोकने के लिये, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि उनका कंट्रोल सरकार के हाथ में आ जाय, तो सरकार अगर उनसे अच्छी हो तब तो कुछ लाभ होगा वरना उल्टे और नुकसान होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं कि यह जो समय बढ़ाते चले जाते हैं यह न बढ़ाया जाय। क्या आवश्यक है समय बढ़ाने की जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं ? तो समय बढ़ाने से कैसे काम चलेगा ? आपने २० साल का समय लिया और उसमें न जाने कहां पहुंचा दिया !

श्री उपाध्यक्ष---

यह आरगुमेंट आप दस बार रिपीट कर चुके हैं । अब आगे कहिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

जो आगे कहता हूं उसे आप कहने नहीं देंगे । लिहाजा अब कुछ नहीं कहना है । केवल इतना कहना है कि नाकाबिल के हाथ में कोई चीज देंगे तो वह उसको और भी बुरा कर देगा। बन्दर को तलवार दे दी जाय तो वह अपनी गरदन ही काट लेगा । यह हमारी हालत हो गई है । अगर वे १०० बार गलती करते हैं तो हम दस बार कहने से भी जायं । इनको कोई रोकने वाला नहीं है। यह दूसरों को नालायक बना दें और खुद लायक बने रहें ! इनको समय नहीं देना चाहिये और यह इस विधेयक को वापस ले लें ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

उपाध्यक्ष महोदय, यहां दो हां हैं और दो नां हैं । यह जो महकमा है हर अच्छे काम में हां करता है और उधर का जो विरोधी महकमा है वह हर अच्छे काम में ना करता है । इसलिये करता है कि सरकार चाहे अच्छा काम करे तब भी ना और बुरा करे तो भी यहां एक लफ्ज याद है ना, ना । इसलिये उनको अपनी समझ को टैक्स करना कठिन है । एक मोटी मिसाल पेश करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा ।

मेरे गांव में एक ट्रस्ट है । एक बेवा मर गई । ५ आदमी मुकर्रर किये गये और एक सरवराकार मुकर्रर हुआ । ८/१० हजार का जेवर था । उसने अपने घर में जेवर रख लिया और चोरी में ३७९ में रिपोर्ट दर्ज कराई और वह चोरी लापता रही । इसके बाद मंदिर गिरा दिया गया तो उसकी ईटों से उसने अपनी दुकानें बनवाईं और जो ३०-३५ बीघे खेती मंदिर के नाम थी उसको अपन लड़कों के नाम करा लिया । यह मेरे गांव का निजी मामला है। मुझ, जनाबवाला, कुंवर श्रीपालसिंह वामइकबालहू से गुजारिश करना है कि इन बेजा बातों के लिये ही यह अधिनियम आया है और दूसरा कोई कारण नहीं है । इस किस्म के गलत इंसानों के हाथ ट्रस्टों की सम्पत्ति का दुरुपयोग न हो । इसके चेक करने के लिये यह मियाद मांगी जा रही है, न कि हड़ताल के लिये और न ३०० करोड़ के लिये । बड़े-बड़े मामले और-कहां यह छोटा सा प्रश्न । मैं कहना चाहता हूं कि ना ना हर मामले में न कहा करें । कभी कभी हां भी कहा कीजिये । ४ बज तक आप कुछ कहेंगे और हम कुछ कहेंगे और ६ बजे

तक हम वह बहस कर लेंगे। लेकिन इसमें आप लोगों को विरोध नहीं करना चाहिये। अच्छे काम में सहयोग देना आपको उचित है और न दें तो यह आपकी मर्जी की बात है, बुरा भला कहने के लिये आज का दिन है, कल पांच बजे शाम तक। डाक्टर सीताराम और ठाकुर हुकुमसिंह सुनेंगे और हम तो सुनाऐंगे अगर मौका लगेगा।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक शब्द का संशोधन है कि ४ की जगह पर ६ रख दिया जाय, जब तक व्यापक रूप में बिल नहीं लाया जाता है। १९६२ में पास हुआ था कि चार वर्ष के लिये यह अधिनियम बना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि चार वर्ष तक सरकार ने धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिये क्या कार्य किया। यह एक ही वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि चार साल तक गवर्नमेन्ट कान में तेल डाल कर सोती रही और अवधि समाप्त होने पर कहते हैं कि फिर दो साल बढ़ा दो। क्या कोई भी उदाहरण उत्तर प्रदेश में है जहां इस कानून को लागू करके धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति की सुरक्षा की हो? आप धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति को अपने राजनीतिक हथकंडों के लिये करते हैं। इस बिल में प्राविजन है कि जब सरकार का समाधान हो जाय—सरकार का समाधान तभी होता है जब कोई मठाधीश कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करता है तो सरकार उसकी सारी सम्पत्ति को हड़प लेती है उस सम्पत्ति को ले कर आप अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसकी जो प्रवर समिति बनी, कांग्रेस के वरिष्ठ आदमी चेयरमैन बने। वह बदरीनाथ मंदिर का मुकुट ही लेकर चले गई। ये लोग कितना जघन्य अपराध कानून की आड़ में करते हैं! माननीय श्रीपालसिंह ने ठीक ही कहा कि इस हुकूमत का एक ही काम रह गया है, लूट खसोट करे, विदेशों से कर्ज ले और देश की संस्थाओं की सम्पत्ति को राजनीतिक काम में लाए। कहते हैं कि चार की जगह छः रख दिया जाय। जब किसी ने कान में आ कर कह दिया कि अवधि समाप्त हो रही है तो कह दिया कि चार की जगह छः रख दिया जाय। बहुत सी संस्थाएं हैं जिन की सम्पत्ति का आज भी दुरुपयोग हो रहा है जैसे बहुत सी संस्कृत पाठशालाएं चलाने के लिये सम्पत्ति है, वह नहीं चल रही है। हिन्दू संस्कृति और सभ्यता के लिये बहुत सी संस्थाएं हैं वह नहीं चल रही हैं। आप उस मुहकमे के भी मालिक हैं, कल्चरल अफेयर्स में रवीन्द्रालय में नाटक करवाएंगे।

डाक्टर सीताराम—

हमारे डिपार्टमेन्ट से उसका कोई संबंध नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

बहुत से मठ भारतीय संस्कृति का प्रोग्राम चला रहे हैं। उनको चलने दें। उनकी सम्पत्ति को हड़प करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा न करें। मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज भविष्यवाणी कर दी है कि यह सरकार बदलने जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है। माननीय मंत्री जी उनके सुझावों पर ध्यान दें और उनके अनुरूप इस विधेयक को संशोधित करें। ४ वर्ष बीत गया लेकिन मंत्री जी ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, न भाषण में बताया कि कार्य कैसा चल रहा है, कौन सा ऐसा मन्दिर है जिसकी इन्होंने अच्छी व्यवस्था की हो। अब चूंकि १० दिसम्बर आ गया,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

४ साल पूरे हो रहे हैं, आज कहते हैं समय बढ़ाया जाय लेकिन कोई औचित्य सामने रखा नहीं कि क्यों बढ़ाया जाय। यह कानून २ साल के लिये था और आपके कथनानुसार अस्थायी था। दो बार एक्सटेंशन हो चुका। माननीय कुंवर साहब ने ठीक ही कहा कि जो सरकार अपने अपव्यय नहीं रोक सकती वह दूसरे के अपव्यय को कैसे रोकेगी। फीजिशियंस हील दाईसेल्फ। पहले अपना उपचार कर लो फिर दूसरे का उपचार करो।

माननीय रावत जी वकील हैं, वह भी समर्थन करने लगे, पढ़ा नहीं कि बिल में क्या है। ४ साल बीत चुका, इस बीच में आप कोई व्यापक कानून बना नहीं सके। फिर आपको हिन्दू संस्थान ही क्यों मिलते हैं? बहुत सी ऐसी मिशनरीज हैं जिनके पास पैसा है और जो अराष्ट्रीय तत्व हैं, क्या आपने कभी उनकी जांच की? ये तो अपने को हिन्दू कहने में लज्जा का अनुभव करते हैं और डिसक्लेम करते हैं और सत्ता भी उन्हीं अहिन्दुओं के हाथ में देते हैं जो हिन्दू कहने में लज्जा अनुभव करता है। माननीय मैनेजरसिंह जी बैठे हुये हैं। मैं पूछता हूं कि केवल हिन्दू कोड बिल ही क्यों। सब रेलीजन्स के लिये क्यों नहीं अच्छा काम करते? मैरेज हो, विरासत हो, हिन्दुओं के काम में बंधन डालो। इसका क्या कारण है? ये हिन्दुओं को मिटाना चाहते हैं। हिन्दू मिटने वाला नहीं है। माननीय मुमताज जी बैठे हुये हैं। वह कह रहे थे कि मसजिदें खड़ी हैं। उन पर कहां कोई सम्पत्ति चढ़ती है? मैं पूछता हूं कि शिया ट्रस्ट और सुन्नी ट्रस्ट क्या है। इनको क्यों नहीं शामिल करते और क्यों नहीं सब को मिला करके एक व्यापक कानून बनाते। उनको छूने में क्यों आपको एलेक्ट्रिक शाक लगता है? क्यों डर लगता है? मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इससे ज्यादा समय अब न लें और जैसा टम्बकेश्वर प्रसाद जी ने कहा है कि जिसमें धार्मिक भावना नहीं है उनके हाथ में मन्दिर मत दीजिये। आप उनके कब्जे में उनको दे देते हैं जो जते पहने मन्दिरों के अन्दर घुस जाते है? आपके सामने एक समस्या रखी जाती है, आप उसका समाधान निकालें। आप ऐसे ही लोगों को उसमें रखें जिनके अन्दर धार्मिक भावना हो, आस्था हो। आप ऐसे व्यक्यिों के हाथ में रखते हैं जिनकी भावना नहीं होती है। वह जूते पहने हीं मन्दिर के अन्दर घुस जाते हैं। भविष्य में ऐसे व्यक्ति ऐसे स्थान में न रखें जांय जिनकी उसमें आस्था न हो। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को हर धर्म के साथ जोड़ना चाहिये। ऐसी संस्थायें और भी हैं जो उस तरह से आये पैसे का दुरुपयोग करती हैं। उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। इस बात को लेकर एक व्यापक बिल लाइये।

*डाक्टर सीताराम---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े गौर के साथ मैंने इस सदन के १५ माननीय सदस्यों के विचारों को सुना और सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बिल का जो मन्शा है यानी १९६२ का जो मूल अधिनियम है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस अधिनियम के बारे में यहां पर बात कही जाती तो अच्छा था। इस विधेयक के संबंध में बातें न कह कर विषयान्तर होकर अपनी बातों को लोगों ने कहा। मैं श्री रावत जी और मैनेजर सिंह जी का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने बिल के मन्शा को समझने का प्रयास किया है। नाना प्रकार की राजनैतिक बातों म न जाकर और चुनाव का जिक्र न करके उन्होंने सही बात को सदन के सामने रखने का प्रयास किया है। जहां तक हरिनाथ जी तिवारी की बात है, उन्होंने यह संशोधन पेश किया है कि यह विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। अभी तिवारी जी की तरह से राजा साहब ने अपने संबोधन में कहा कि एक सेलेक्ट कमेटी बनाई गई थी जिसमें बहुत सा रुपया खर्च किया गया। इस तरह की विरोधाभास की भावना एक ही दल में हो, यह ठीक प्रतीत नहीं होता है। साथ ही साथ मैं यह कहना भी उचित समझता हूं कि इस विधेयक का टाइम १४ दिसम्बर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

तक है। अगर १५ दिन का टाइम लिया जाय जैसा कि संशोधन है कि १५ दिन में सेलेक्ट कमेटी अपनी राय दे, तो इस विधेयक का मन्शा ही मारा जायगा।

अभी यहां पर संस्कृति और प्रतिष्ठा की दुहाई दी गई। में स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक संस्कृति की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, जिम्मेदारी उन लोगों के हाथ में दी गई है जिन्होंने देश की आजादी के लिये जेल की यातना सहकर देश को स्वतन्त्र करने का प्रयास किया है, जिन लोगों ने देश से सामन्तवाद को समाप्त किया। अगर ऐसे लोगों के द्वारा शासन नहीं चल सकता है तो फिर इस देश को कौन सम्भालेगा? जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव की बातों को कह कर बिल की मन्शा को विषयान्तर में ले जाया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं।

साथ ही साथ यह भी कहा गया कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का सहारा लिया गया। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पूरे हिन्दुस्तान के मन्दिरों के बारे में या हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के बारें में एक व्यापक विधेयक लाने जा रही है। मैं कहता हूं कि थोड़े दिन देख लीजिये कि उसमें क्या अच्छी बातें हैं जो हम बिल में इन्क्लूड कर सकते हैं। यहां यह भी कहा गया कि गवर्नमेन्ट ने चार साल तक कुछ नहीं किया इसके बारे में। मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार हमेशा जागरूक रही है और इस संबंध में और हमारे कर्मचारियों ने भी जिस सतर्कता से कार्य सम्पन्न किया उसके लिये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। फिर यह कहा गया कि सरकारी कर्मचारी जूते पहिनकर जाते हैं। यह गलत चीज है, इससे मैं सहमत हूं। अगर इस तरह की शिकायत है तो मैं इस संबंध में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इस तरह से अधिकारी जूता पहिनकर मन्दिरों में जाते हैं तो उसको बन्द करें। साथ ही साथ बिल की यह मन्शा है कि इस मामले में तो हिन्दू अफसर और हिन्दू कमिश्नर ही नियुक्त होते हैं। (व्यवधान) १९६२ का जो मूल अधिनियम है उसमें देखें तो सेक्शन ६ में यह प्राविधान है कि कमिश्नर्स जो होंगे वे अपने डिवीजन्स में इन्वेस्टीगेटर्स नियुक्त करेंगे। साथ ही साथ उनका यह काम होगा कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार मुकर्रर होंगे या होते हैं जो हिन्दू हों या और जो हिन्दू संस्कृति या परम्परा को मानते हों। बिल की जो स्प्रिट है जैसा माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी या राजा साहब ने चार्ज लगाया, मैं आपकी आज्ञा से बता देना चाहता हूं कि इसके लिये हम लोग जागरूक हैं कि विधेयक की जो स्प्रिट है वह खत्म न होने पाये। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी शराब पीकर जाते हैं। यह जनरल आक्षेप है। इस तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिये। इस पर सरकार हमेशा जागरूक है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हमारी भारतीय भावनाओं को ठेस पहुंचती है, परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार हमेशा इस बात के लिये जागरूक है कि भारतीय भावनाओं और परम्पराओं के अन्तर्गत रहते हुए जो हमारी गरिमा और प्रतिष्ठा है उसको देखते हुए बिल रक्खे।

इन चन्द शब्दों के कहने के बाद, आपकी आज्ञा से, उपाध्यक्ष महोदय, हम यही चाहेंगे, खासकर माननीय तिवारी जी से, कि वे इस प्रस्ताव को वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं मूल प्रस्ताव को लिये लेता हूं। अगर वह पास हो गया तो संशोधन अपने आप गिरा हुआ समझ लिया जायगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थाई अधिकार) (प्रवृत्त रहने का) विधेयक, १९६६ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

यह किस नियम के अधीन किया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष—

जो भी माननीय सदस्य पीठासीन होगा उसको यह अधिकार है। आप बैठ जायं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७९

विपक्ष में—४२।

खंड १, २, शीर्षक और प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अस्थायी अधिकारी (प्रवृत्त रखने का) विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की अवधि को और बढ़ाने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रखने का) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

२—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२, की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिये जाये।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६२ की धारा १ का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, २, प्रस्तावना और शीर्षक....

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मैं इसका विरोध करता हूं, यह तो अभी अनियमित है .....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। प्रश्न यह है कि खंड १, २, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

व्यवस्था का प्रश्न है.....(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, आज आखिरी दिन आपकी इच्छा क्या है? यह सब गलत हो रहा है।

डाक्टर सीताराम—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रहने का) विधेयक, १९६६ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी के भाषण को हमने बड़े गौर से सुना । मैं समझता था कि कदाचित् जिन भावनाओं को वह कहते थे या जिनका आदर करने के लिये उन्होंने यह बात सदन में रखी थी उसमें उनका हृदय भी सम्मिलित होगा.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप यह कल जारी रखें ।

श्री रामायण राय—

उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक यह विधेयक पास न हो जाय सदन का समय बढ़ाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

समय आप बढ़ा ही नहीं सकते, कार्य स्थगन प्रस्ताव के बाद सदन का समय कैसे बढ़ेगा ?

अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा काम का बहिष्कार करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

अब ४ बजे हैं और कार्य स्थगन प्रस्ताव लिया जाता है ।

*श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश के लगभग समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों ने कल से कार्यालयों में काम करने का बहिष्कार कर रखा है । कर्मचारी आज भी काम पर नहीं आये हैं । प्रदेश सरकार के समस्त प्रशासनिक कार्य कल से बिलकुल ठप हैं । प्रशासन में गतिरोध उत्पन्न होने से एक भीषण संकट उत्पन्न हो गया है । राज्य सरकार प्रशासन को ठीक रखने में बिलकुल असफल रही है । उसकी अव्यावहारिक एवं दमन नीति से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है ।

अस्तु सरकार द्वारा प्रशासन न चला पाने से उत्पन्न लोक महत्व की इस सुनिश्चित अवि_लम्बनीय समस्या पर विचार किया जाय ।

अभी मुझे मान्यवर, वह दिन याद है जिस दिन समझौता राज्य कर्मचारियों से हुआ था और बड़ा ढोल पीटा था अखबारों में और पी०एन० सुकुल को माननीय सुचेता जी थपकी दे रही थीं । विरोधी पक्ष ने जब उनसे पूछा था तो वह बिना उत्तर दिये ही सदन से फौरन बाहर चली गयी थीं । उस समय भी विरोधी दलों के सदस्यों ने माननीय सुचेता जी को आगाह किया था कि जिस समय तक आप कदाचित् इन सरकारी कर्मचारियों की मांगों को, यानी वेतन भत्ते में जब तक केन्द्र के बराबर समानता न हो जाय, एवं साथ ही साथ कर्मचारियों की इन मांगों को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

लेकर ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर सकें जिस से उनके जीवन यापन में रोज-रोज असुविधायें न उत्पन्न हों। इस समय आप भले ही किसी भुलावे में हों लेकिन कदाचित् आप इस प्रदेश का कार्य चला नहीं सकते।

आप यह देखें कि आज इस विधान सभा में हम जिन परिस्थितियों में विचार कर रहे हैं वे कैसी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य हंस रहे हैं। इस पर मुझे याद आ गया कि जब शाम को कर्मचारियों की सभा होने वाली थी और सुबह नोटिस मिलने पर जब हम लोगों ने सदन में प्रश्न उठाया तो माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि आज शाम को हबीब पेन्टर की कव्वाली होगी उसमें आप सब सदस्य निमंत्रित हैं। यह तो वही बात हुई कि जब रोम जल रहा था तो वहां का बादशाह नीरो मजा कर रहा था। उसी तरह से यहां जब शाम को सारे प्रदेश में एक भीषण वातावरण उत्पन्न होने वाला था उस समय मंत्रिगण और अन्य सदस्य कव्वाली में व्यस्त थे। यह कोई नवीन बात नहीं है। कर्मचारियों ने नोटिस दी थी ५ तारीख से और इनके कर्मों ने, इनकी नीयत ने ७ तारीख को वह नौबत ला दी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के दिन इस प्रदेश में सचिवालय बन्द है, विकास आयुक्त का कार्यालय बन्द है, सहकारी निदेशक का कार्यालय बन्द है, समाज कल्याण विभाग का कार्यालय बन्द है, बिजली बोर्ड का कार्यालय बन्द है, सार्वजनिक निर्माण विभाग व मेडिकल व हेल्थ विभाग के कार्यालय बन्द हैं। यहीं तक नहीं, आज जब मैंने सुबह को पायनियर समाचार-पत्र देखा तो उसमें सरकारी प्रवक्ता ने दिया था कि राजकीय प्रेस में काम हो रहा है, लेकिन जब यहां आया और एजेन्डा पढ़ने में माननीय अध्यक्ष को असुविधा हुई तब उन्होंने कहा कि चूंकि कल सरकारी प्रेस बन्द था इसलिये एजेन्डा नहीं छपा है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर सरकार के लिये और कोई शर्म की बात नहीं है। यह स्थिति केवल लखनऊ नगर की ही नहीं है बल्कि इलाहाबाद, कानपुर तथा और सब नगरों के भी सरकारी कार्यालय बन्द हैं। इसका क्या कारण है; इसकी जड़ में क्या है? इसकी जड़ में केवल एक ही बात है कि आज से तीन महीने पहले सरकार ने जो वायदे किये थे उन सबको उसने झूठला दिया। आज सुबह ही मैंने अध्यक्ष महोदय से प्रश्नों के जरिये इस सवाल को उठाया था कि सरकार ने अपने आश्वासनों का इस्तेमाल नहीं किया। माननीया सुचेता जी, दास जैसे मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारियों से इस प्रदेश का काम चला रही हैं जो कार्य करने में सर्वथा अक्षम है। अब डंडे के दिन चले गये, उससे काम नहीं चलने का। माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में तीन आश्वासन दिये थे कि वे उसकी जांच करायेंगी, कहां-कहां सरकारी कर्मचारियों पर लाठी प्रहार हुये और मुकदमें वापस होंगे लेकिन अभी तक सरकार उस सम्बन्ध में चुपचाप है। इस अनिश्चितता के वातावरण में इस आन्दोलन के लिये यह सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर इसमें लापरवाही है तो उसके लिये भी सरकार ही जिम्मेदार है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो सन्देह होने लगता है कि आया आज यहां कोई प्रशासन है भी।

सरकार अपने कर्मचारियों को बन्द भले ही कर दे लेकिन रोटी की भूख ऐसी है जिसे लाठी से नहीं दबाया जा सकता। आज चाहे अध्यापक हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे किसान मजदूर हों, उनको लाठी से या किसी आर्डिनेन्स से नहीं दबाया जा सकता है। आज आपके आर्डिनेन्स ने ही इस उत्तर प्रदेश में परिस्थिति पैदा कर दी है। इस सरकार के पास सिवा इस आर्डिनेन्स के कोई कानून ऐसा नहीं है जिसके अन्तर्गत यह सरकार आज जो कार्यवाही कर रही है, वह कर सके। और कल के दिन सारी कार्यवाहियां निश्चित रूप से अवैधानिक सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस सरकार ने रोटी के बजाय डंडे दिये हैं और वैसा ही काम किया है जैसा फ्रांस के बादशाह का किस्सा था कि एक बार रेवोल्यूशन हो रहा था तो उसकी महारानी ने पूछा, श्रीमती सुचेता कृपालानी ने पूछा, कि यह क्यों आन्दोलन हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि इनके पास रोटी नहीं है। उसने कहा कि फिर ये केक क्यों नहीं खाते? दास साहब ने एक केफेट रिया खोला है उसके सहारे और सुपर बाजार के सहारे इस प्रदेश में महंगाई हल करने का प्रयोग किया जा रहा है। बाजार में गेहूं ४४ रु० मन, राशन पर ३ छटांक का गेहूं और सरकार के पास स्टाक नहीं तो कैसे यह सरकार चल सकती है? हां, एक सहारा है जो इन्होंने लिया है

जिस पर जनता, कर्मचारी, अध्यापक, लड़के झुकने वाले नहीं है। और वह सहारा आतंक का लिया है। मैं कहता हूं कि आप आतंक के सहारे इस देश में प्रजातंत्र को नष्ट कर सकते हैं, चला नहीं सकते। प्रजातंत्र को चलाने के लिये अधिक समझ की जरूरत होती है। उसके लिये जनता में अधिक विश्वास प्राप्त करने की जरूरत है। जब यह सरकार कर्मचारियों में, जनता में, विश्वास प्राप्त नहीं कर सकती तो केवल पुलिस के सहारे प्रशासन कितने दिन चला पायेगी ?

पुलिस के सहारे भी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जब केन्द्रीय गृह मंत्री को सलामी देने के लिये दिल्ली पुलिस को कहा गया तो रिहर्सल परेड जब खत्म हुई तो वे नारा लगाने लगे कि हमें रोटी चाहिये। मैं गृह मंत्री को आगाह करना चाहता हूं कि एक तरफ तो ऐसा लगता है कि आप सरकार के साथ हैं और दूसरी तरफ आपकी अकर्मण्यता इस बात की द्योतक है कि आपका कोई प्रशासन नहीं है और पुलिस प्रशासन भी जनता नहीं चलने देगी। सरकार रोज वक्तव्य निकालती है, भाषण होता है, लेकिन सरकार का पुलिस विभाग किसी का कुछ नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता ? क्योंकि आज इनको डर लगता है कि कहीं इस मनोबल के सामने पिट न जायें। इस सरकार को हम कब तक रोकेंगे ? पुलिस वाले जब गैलरी से निकली तो पूछते हैं कि महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा, राशन का गेहूं ६ छंटांक कब होगा ? तो यह समझना कि आर्डिनेंस और पुलिस के बल पर प्रशासन चल सकेगा, सरकार राज्य कर सकेगी यह बिलकुल गलत है, भ्रमपूर्ण है और मैं समझता हूं कि इस वातावरण में सरकार प्रजातंत्र को नष्ट करने के लिये कदम ब कदम रोज अग्रसर होती चली जा रही है। मैं आगाह करता हूं कि सरकार अपना रवैया, हरकतें बदले और अगर नहीं बदलेगी तो विश्वास मानिये यह सरकार अधिक दिनों चलने वाली नहीं है। इस प्रदेश में फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है, स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं है।

आज कर्मचारी हो, या अध्यापक हो, सरकार का कोई भी विभाग ऐसा नहीं हैजिसके लोग भूख हड़ताल न कर रहे हों। सहकारिता विभाग के सुपरवाइजर, पंचायत राज्य के सुपरवाइजर सरकारी कर्मचारी हों, अध्यापक हों, लड़के हों, मैं जानना चाहता हूं यहां मंत्री भी, लगता है, कि कुछ दिन बाद हड़ताल शुरू करने वाले हैं टिकटों के लिये। और मैं समझता हूं कि कदाचित् माननीय सुचेता जी को भी इंटरेस्ट नहीं रह गया। क्योंकि उनका नाम ऊपर के लिये घोषित हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस सरकार में चारों ओर भूख हड़ताल का तांता लगा हुआ है और फ्रीडम नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं रह गयी है। आज कोई राजनीतिक दल सरकार की बिना इजाजत मीटिंग नहीं कर सकता। माननीय सालिग राम जैसवाल पकड़े गये। ८, ८ अध्यापकों का जत्था काउन्सिल हाउस के सामने पकड़ लिया गया, कोई कर्मचारी अपनी बात रखने के लिये मीटिंग नहीं कर सकता, मुख्य मंत्री से मिल नहीं सकता। मैं जानना चाहता हूं कि जिनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारन्ट हैं वे किस प्रकार आप से मिल सकते हैं। और इसके बाद अगर मिलते रहे, जैसे पीछे मिलते रहे तो इस सरकार के लिये प्रशासन के लिये, शर्म की बात है। जिन सरकारी कर्मचारियों के नाम वारन्ट हैं, उनके साथ हमारी मुख्यमंत्री बात करें कितनी अशोभनीय बात है ? सरकार को चाहिये कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध वारन्ट हैं, चाहे वे अध्यापक हों, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों, उनको रद्द किया जाना चाहिये। लोगों को भोजन देकर, आवश्यक वस्तुओं को दे कर इस प्रदेश को सुखद बनाना चाहिये। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में यह सरकार आने वाली नहीं है। सरकार अनिश्चितता के वातावरण को समाप्त करके प्रदेश में एक राजनीतिक दिशा देने के लिये जिन बातों की आवश्यकता थी, उन्हें नहीं कर पायी है। आज इस वातावरण में इस सरकार ने सदस्यों को किस स्थिति में रखा है ? प्रदेश की जनता, प्रदेश के कर्मचारी इस स्थिति से अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं और सरकार के लोग अपने टिकटों और ऐशो आराम के चक्कर में कव्वालियां सुन रहे हैं। इस से बड़ी निराशा हो रही है और मेरी प्रार्थना है कि सदन का कार्य स्थगित करके हमारे काम रोको प्रस्ताव पर विचार करे। यदि सरकार इस पर विचार नहीं करेगी, तो न यह प्रजातंत्र रहेगा

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

और न यह प्रदेश की सुव्यवस्था ही रहेगी । और यह प्रदेश अकाल के और अराजकता के ग्रास में फंस जायेगा , जिसको वर्षों तक हम नहीं निकाल सकेंगे । अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर विचार करके इन सरकारी कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करें ।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी के भाषण को सुनकर बड़ा दुखः हुआ । मै समझता हूं कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी एक ऐसे दल के प्रतिनिधि हैं जो दल देश में अराजकता की स्थिति पैदा होना पसन्द नहीं करता है । यदि यह भाषण किसी ऐसे दल के प्रतिनिधि की तरफ से होता तो मैं समझता कि उस दल के कार्यक्रम में जो बाते हैं, उसी के अनुसार यह भाषण हो रहा है । हमारे यहां पर ऐसे दल हैं जो आज चाहते हैं कि देश में विघटन की स्थिति, अराजकता की स्थिति हो और देश में निराशा के वातावरण में वे समझते हैं कि शायद कुछ हो या न हो, जो सामने है वह समाप्त हो ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, यह कांग्रेस सरकार ही देश में अराजकता फैलाना चाहती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अपील करता हूं कि जैसे उधर शान्ति से उन्होंने सुना, वैसे ही आप भी सुनें । हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वे भाषण दे रहे हैं । आप बीच में हस्तक्षेप न कीजिये ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

श्रीमान् मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मैनेजरसिंह कौन से दल की मैनेजरी कर रहे हैं ? आप उनसे उत्तर दिला दीजिये ।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, बरेली की हवा में पले हुये साथी की बात मैं नहीं सुन सका ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

श्रीमन्, ये हमारे यहां आ जांय, तो इनकी समझ में आ जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठें । जितना समय आप हल्ला-गुल्ला करने में निकालेंगे, वह आपका ही नुकसान होगा ।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे बरेली के साथी यदि बीच में कुछ व्यवधान उपस्थित करने की कोशिश करते हैं तो यह स्वाभाविक है और वहां के वातावरण के अनुकूल है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हमारे लायक साथी काशीनाथ मिश्र भी बीच में क्यों उबल पड़ रहे

*वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं ? मैं समझता हूं कि जिस पृष्ठभूमि में वे आज कार्य कर रहे हैं और जिस दल से वे सम्बन्धित हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, उसी के अनुरूप वे आज यहां भी कार्य कर रहे हैं। तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि माननीय टम्बेश्वर जी को आज की स्थिति की गम्भीरता से अहसास करना चाहिये। आज सवाल किसी दल या सरकार का नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह जिस नौकरशाही की रोज आप निन्दा करते हैं, जिनकी घूसखोरी की रोज आप शिकायत करते हैं उन्हीं को आप प्रोत्साहन देकर क्या इस प्रदेश की सात करोड़ जनता के जन जीवन के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हैं ? क्या आप इस बात को चाहेंगे कि केन्द्र और प्रान्त के महंगाई भत्ता और वेतन-क्रम को एक करके इस प्रदेश की जनता के ऊपर और कर भार बढ़ाया जाय ? फिर मैं नहीं समझता कि वह औचित्य क्या है कि आप कहते हैं कि बढ़ाया जाय। मैं तो सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे डायरेक्टरेट के मुख्यालयों के कर्मचारी हैं और जो जिले के दफ्तरों के कर्मचारी हैं उनमें और सचिवालय के कर्मचारियों में जो महान विभेद है उसको समाप्त करने का कोई कार्यक्रम बनाये और यह स्पष्ट रूप से घोषणा करे कि जब तक यह नहीं हो पायेगा तब तक वेतन और भत्ता नहीं बढ़ायेंगे। कौन सा औचित्य है कि आज एक मोहक नारे में हमारे मुख्यालयों और जिले के कार्यालयों में काम करने वालों को बरगलाया जाता है ? हमारे सचिवालय का डिस्पैचर वही काम करता है जो कलक्ट्रेट या प्लानिंग विभाग का डिस्पैचर करता है। दोनों का काम एक है। बल्कि इसके अतिरिक्त हमारे जिले का कर्मचारी ८ बजे से रात के १० बजे तक काम करता है जब कि यहां १० बजे आयेंगे और ५ बजे चले जायंगे। दिन में दो दफा चाय पीने निकलते हैं। और लंच तो यहां ऊपर से नीचे तक सभी दो घंटे लंच करते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार यह स्पष्ट घोषणा करे कि यहां के सचिवालय के कर्मचारियों का वेतन तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक और कर्मचारियों का वेतन और भत्ता इनके समान नहीं हो जायगा।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--

यही हो जाय, बड़ा अच्छा है।

श्री मैनेजरसिंह--

हमारे सदन के सम्मानित सदस्य, बाबू झारखण्डे राय हमारी बात का समर्थन करते हैं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

समर्थन नहीं कर रहे हैं .....(व्यवधान)।

श्री मैनेजरसिंह--

शास्त्री जी को भ्रम हो रहा है। हमारे आदरणीय राय साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसका वह समर्थन करते हैं कि यह हो जाय। तो मैं समझता हूं कि सौ फीसदी उनका समर्थन मुझे प्राप्त है। हमारे राय साहब इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं जिन्होंने हमेशा अपनी राय एक ढंग से इस सदन में रखी है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

मैं मैनेजरसिंह जी की सूचना के लिये बताता हूं कि इसमें भी सभी कर्मचारी शामिल हैं, जिले से लेकर यहां तक।

श्री मैनेजरसिंह--

शायद माननीय टम्बेश्वर जी ने गौर नहीं फरमाया। मैंने कहा कि नीचे के जो कर्मचारी हैं वह बहकाये गये हैं। उनको बरगलाने की कोशिश की गई है। यह राज्य कर्मचारी कर रहे हैं। मैं भ्रम में था। (व्यवधान) आपका साथ छूटने से मेरा भ्रम दूर हो गया है। (व्यवधान)

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

कहीं ऐसा न हो कि भ्रम निवारण में वहां से दूर न हो जाय ।

श्री मैनेजरसिंह---

दूसरे साथी माननीय केशरीप्रसाद जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वह आधे सोशलिस्ट और आधे जनसंघी हैं, इसलिये उनमें इतनी उग्रता नहीं है । इस प्रदेश की गरीब जनता कर-भार से काफी बोझिल है और अब ज्यादा कर भार सहने की शक्ति उसमें नहीं है । इसलिये कोई कर भार बढ़ाकर किसी कर्मचारी विशेष को अत्यधिक सुविधा देने की बात नहीं सोची जा सकती है । नीचे के कर्मचारियों की सुविधा के लिये गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि उनको उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध हो सकें । यदि यह काम सरकार करती है तो राज्य कर्मचारियों को काफी सुविधा होगी और उनका जन जीवन सुखमय होगा।

मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि पिछले समय में जिन कर्मचारियों के खिलाफ वारन्ट हैं उनके साथ किसी तरह की बातचीत न की जाय। उनके वारंटों की तामील होनी चाहिये । उनके साथ सख्ती के साथ निबटना चाहिये । यदि कर्मचारियों की मर्जी पर छोड़ा गया तो काम चलने वाला नहीं है । विरोधी दल जो जनतंत्र में विश्वास रखते हैं उनका कहना यह है कि यह सरकार आने वाली नहीं है । मान लीजिये कल को जनसंघ सरकार बनाती है क्योंकि वही सदन में मुख्य विरोधी दल है तो क्या आप इसी तरह की उच्छृंखलता को प्रोत्साहन देंगे ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

हम ऐसे दमनकारी आर्डीनेंस नहीं निकालेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह---

क्या आप इसको बरदाश्त करेंगे कि आपके राज्य में मुख्य सचिव को राज्य कर्मचारी पीटें या धक्का दें ? आप कहते हैं कि शिक्षक वर्ग को स्वतंत्रता नहीं है। मैं कहता हूं कि शिक्षक वर्ग को तो इतनी स्वतंत्रता है कि कोई भी शिक्षक अपने मैनेजमेंट से छुट्टी लेकर नहीं आया है । यह आपके शिक्षा विभाग की कमजोरी है और आपके ऐक्ट की पेचीदगी है । आपने अध्यापकों को उच्छृंखल बना दिया है । पिछली बार हड़ताल करने पर मैनेजमेन्ट ने इनकी तनख्वाह रोक दी थी । जिस अध्यापक ने एक महीने तक पढ़ाया नहीं उसका वेतन मैनेजमेंट रोकता है तो सरकार कहती है कि वेतन दे दिया जाय । तो पैसा क्यों दे दिया जाय ? सरकार की नर्मी की जो नीति है उसके फलस्वरूप प्रोत्साहन मिल रहा है । विरोधी दल के साथी उनको उभारना चाहते हैं और प्रदेश के जन जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

एक सदस्य---

समय का निर्धारण क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---

छः बजे समाप्त हो जायगा । १५ मिनट मंत्री को और दस मिनट औरों को ।

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार से निवेदन करूंगा, खास तौर से मैनेजरसिंह को जो उधर बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर बात क्या है? इतने असर वाले लोग हैं, लेकिन उनकी बात पांच लाख कर्मचारी मानते क्यों नहीं हैं ? गांधी जी ने कहा था कि जिस बात को कहते हो पहले आचरण में लाओ । खास कर यह सत्ताधारी दल और मंत्रियों को सोचना चाहिये कि उनके कहने का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता ? उपदेश देते हैं कि सादे रहो। स्वयं नहीं रहते, कहते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं कि कम खर्च करो, स्वयं खर्च कम नहीं करते । कहते हैं कि भूखे रहो, स्वयं कितनी बार और क्या खाते हैं यह उनके शरीर से देख कर कहा जा सकता है ।

श्री मैनेजरसिंह---

मैं सफाई देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब तक वह बैठ न जायं ।

श्री मैनेजरसिंह---

मैं यह कहा था कि एक सौ रुपया वेतन लिया जाय । (व्यवधान) मैंने एक सौ रुपया लिया ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

म प्रस्ताव करता हूं कि श्री मैनेजरसिंह को एक हफ्ते के लिये सदन से बाहर निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब कोई व्यक्ति बोल रहे हों, उस समय अगर प्रश्न करना चाहते हैं तो खड़े हो जायं । जब वह बैठ जायं तब प्रश्न करें । न बैठें तो प्रश्न नहीं हो सकता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

समझ की बात है कि चपरासी को भी, निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी के क्लर्क को भी नौकरशाही कहते हैं । अब तक हम समझते थे कि नौकरशाही वही है जिसके हाथ से शासन चलता है । चपरासी और निम्न श्रेणी का क्लर्क शासन नहीं चलाता है । आई० सी० एस० और पी० सी० एस० चलाता है । वह जो उनकी चिट्ठी लिखता है उसको नौकरशाही बता देते हैं । उन की अक्ल की देन है ।

दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़े उस अनुपात से भत्ता और वेतन बढ़ना चाहिये । एक ही शहर में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को क्या चीजें महंगी मिलती हैं और प्रदेशीय सरकार के कर्मचारी को सस्ती मिलती हैं ? आज प्रदेश में महंगाई की क्या हालत है? अगर वह सन ३९ के मुकाबले ली जाय तो आज ४५७ है, यानी पांच गुनी । मैं पूछता हूं कि जब महंगाई का स्तर बढ़ता है तो उनका महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिये या नहीं । अगर सरकार महंगाई भत्ता देने में असमर्थ है तो महंगाई समाप्त करे । वह आपके हाथ में नहीं है और उत्तर प्रदेश ही नहीं करीब करीब सारे प्रदेश ऐसे हैं जो आपसे अधिक महंगाई का भत्ता अपने कर्मचारियों को देते हैं । राजस्थान में ७० रुपये से कम वालों को ३३ और उससे ऊपर ४५ रुपया मिलता है। केरल में ९० रुपया तक मिलता है । यहां की हालत क्या है ? आपने जो अभी बढ़ाया है, उसमें भी ९९ रुपये तक २५ ; १०० से २९९ तक ३५ और ३०० से ९९९ तक ४३ रुपया ।

अब जरा गुजरात, मद्रास आदि को देखें । सारे प्रदेशों में आपके मुकाबले में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ज्यादा है । आज कर्मचारी कहता क्या है ? केन्द्र का महंगाई भत्ता यहां लागू किया जाय । केन्द्रीय कर्मचारी यहां लखनऊ में रह कर क्या महंगाई भत्ता पाता है । ७० से १०९ तक ४५ रुपये, ११० से ४ सौ तक ७० रुपये और उससे ऊपर ९९९ तक १२० रुपये । वही आदमी केन्द्रीय सरकार का नौकर हो और लखनऊ में रहे, १२० रुपया महंगाई भत्ता ले, यहां का कर्मचारी हो ४३ रुपया भत्ता ले, । चीजें वही महंगी दोनों खरीदें, यह कहां का न्याय है ? फिर केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी आवास किराया भी पावे । आप ११० रुपये तक वाले को साढ़े ७ रुपया और उससे ऊपर वाले को परसेंटेज पर । केन्द्र अपने सारे राज्य कर्मचारियों को आवास भत्ता द । तो यह दो तरह की बाजार नहीं चलने वाली है ।

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

राज्य कर्मचारी यही तो कहता है कि अगर महंगाई भत्ता देने में असमर्थ हो तो उनके अखिल भारतीय संघ ने फैसला किया है कि हम ५ जनवरी से सारे देश में हड़ताल करेंगे । लेकिन आप में शान्ति कहां, आपने पहले से ही डंडा शुरू कर दिया । वारट निकला, लोगों को गिरफ्तार करना पहले से ही शुरू कर दिया । यह जो आन्दोलन शुरू है उसकी सारी जिम्मेदारी यहां की सरकार की और उसके मुख्य सचिव की है । यह क्या तरीका है ? अंग्रेजी जमाने में भी ऐसा नहीं होता था । माननीय मैनजर्रासिंह जी, आप ४२ में व्यक्तिगत सत्याग्रह किये होंगे । हम लोग पहले नोटिस देते थे और जब जाकर कानून तोड़त थे, तब गिरफ्तार किये जाते थे, उसके पहले नहीं, लेकिन आपकी सरकार ने बिना नोटिस दिये हुये, बिना हड़ताल किये हुये गिरफ्तार करके लोगों को जेलखाने में भेज दिया । आखिरकार राज्य कर्मचारी चाहते क्या हैं ? उनकी ४, ५ मांगे हैं । अगर वह मान ली जाये तो मैं समझता हूं कि जो आग भड़कने वाली है, जो अभी भड़की नहीं है, केवल कुछ राज्य कर्मचारी जिनकी तादाद थोड़ी सी है, उन लोगों ने शुरू किया है लेकिन ऐसा डर है कि यह फैलता चला जावेगा, और हो सकता है कि आपके गलत काम करने का परिणाम सारे देश पर पड़े, सारे देश में आग भड़के तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी सरकार पर और आपके मुख्य सचिव पर होगी ।

आज राज्य कर्मचारी क्या चाहता है ? पहली बात यह कि केन्द्रीय और राज्यों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में असमानता को दूर किया जाय और उसके लिये एक राष्ट्रीय फार्मूला तैयार किया जाय और जब तक वह फार्मूला विचाराधीन रहे तब तक समस्त राज्यों के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाय । दूसरे न्यूनतम वेजेज निर्धारित की जायं । जैसा हमारी पार्टी कहती चली आयी है कि सौ से कम नहीं, हजार से ज्यादा नहीं । अगर आप उसी को मानकर चलें तो सारे देश और प्रदेश में, व्यवस्था हो सकती है । यूनियन के कार्यकर्त्ता या सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध जो कार्यवाही हुई है, जो गिरफ्तार किये गये हैं या किये जा रहे हैं, जिनके विरुद्ध वारन्ट निकाले गये हैं, जो निलम्बित हैं उनको फौरन नौकरी पर वापस लिया जाय । उनकी चौथी मांग यह है कि राज्य कर्मचारियों को गत्ने यूनियन की तरह से अधिकार दिये जायं । उनको वही अधिकार दिये जायं जो गत्ने यूनियन के हैं । पांचवीं यह मांग है कि कोठारी सिफारिश को मन्जूर किया जाय । यह उनकी मांग हैं ।

मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से आपके जरिये निवेदन करूंगा कि अभी मामला दूर तक बढ़ा नहीं है । वे राज्य कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें । मैनेजर्रासिंह जी या कल्पनाथ सिंह जी जो बात करते हैं वह तो नये आदमी की तरह से बात करते हैं जो किसी नई पार्टी में जाकर शामिल होता है । इसलिये वह ऐसी बात करते हैं । उनकी बात को ज्यादा नहीं सुनना चाहिये । कांग्रेस पार्टी की हालत जो आज हो रही है, पूरी तरह से सरकार को उसे देखना चाहिये। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का सारे प्रदेशों के लिये एक कानून बना हुआ है । एसेन्शियल सर्विसेज कानून पहले अंग्रेजों ने बनाया था । उसके मातहत ही केन्द्रीय सरकार सारे निर्णय करती है । यहां उत्तर प्रदेश में अत्यावश्यक सर्विसेज के लिये नया कानून बनाया गया है । इस तरह का कानून किसी और प्रदेश में हमारे देश में नहीं है । अब आप सोच सकते हैं कि इस कानून के जरिये से बोलने वालों को आप बन्द कर दें, अगर कोई अपनी मांग रखता है उसको बन्द कर दें और उस कानून के तहत में उस को सजा कर दें जिसकी अपील भी न हो सके तो इससे बढ़कर और कोई निरंकुशता का उदाहरण क्या हो सकता है ? अगर उत्तर प्रदेशीय सरकार की यही हालत रही तो इसका जनाजा निकल जायगा ।

*श्री जी० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह था कि माननीय विरोधी दल के सदस्य कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को सुनने का मौका देते । अब एक बात पेश करते हैं, दूसरा अपनी बात आपके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सामने रखता है तो उसको आप सब के साथ सुनें । अगर बेसबी है तो यह टीम बहुत बड़ी है । इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि सब के साथ हमारी बात सुने जाइये तो ज्यादा अच्छा है ।

(व्यवधान)

तो श्रीमन्, हम यहां पर चुनकर आते हैं । साल में यहां सदन में बजट पास होता है । अभी १९६६-६७ का बजट २९२ करोड़ रुपये का इस सदन ने पास किया है । उस २९२ करोड़ रुपये में से करीब-करीब ९० करोड़ रुपया सैलरी के बिल में इसी सदन ने स्वीकार किया है । तो श्रीमन्, हम विधान सभा के सदस्य हैं । हमारे मीन्स के अन्दर ही हम बात प्रस्तुत कर सकते हैं । अगर मीन्स के बाहर की बात आये तो उन मीन्स को जुटाने की जिम्मेदारी भी इसी सदन के ऊपर है । मीन्स के बाहर की बात कहना, इरीलिवेन्ट बात कहना बड़ा सरल है । इधर से एक बात कही जाय और उधर से दूसरी बात कही जाय, इधर से एक बात कही जाय और उधर से दो बात, तो यह बात दूसरी है। अगर लिमिटेशन के अन्दर और जो रिसोर्सेज आपके हैं और जो बजट है उसके अन्दर आप पाबन्द हैं तो १९६७-६८ में इस ईशु को रेज करें, इस साल नहीं । इस साल अगर कहते हैं तो सर्कमस्टान्सेज देखनी पड़ेगी कि किन सर्कमस्टान्सेज के मातहत हमारी बात मुनासिब हो सकती है । डेवलपमेन्टस की प्लान्स चल रही हैं, भयंकर सूखे की परिस्थिति है, अगर सप्लीमेन्टरी बजट लाया गया तो जो साढ़े सात करोड़ जनता की कुशल क्षेम, अन्न की पैदावार तथा और जो सारी चीजें हैं ये हमें देखनी होंगी । क्या यह जरूरी है कि पंचायत मंत्री हड़ताल कर रहे हैं, सब मास्टर हड़ताल कर रहे हैं और वकील मिस्टर टम्ब्रेश्वर प्रसाद जी के कि गवर्नमेन्ट एम्प्लाईज हड़ताल कर रहे हैं, साढ़े चार करोड़ की तादाद बड़ी है या आठ लाख या सात लाख की तादाद बड़ी है । इस पर फैसला इस सदन को करना है। जहां तक सैन्ट्रल एम्प्लाईज का ताल्लुक है अभी ही उनकी मांग है कि डी० ए० बढ़ाया जाय । और अभी स्टेट इम्प्लाईज की मांग है कि उनकी हद तक बढ़ाया जाय । जब उनका बढ़ा दिया जायेगा तो इनका फिर बढ़ाया जाय । पांच बार इस सदन में डी० ए० बढ़ाया जा चुका है । इसके लिये एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि उस हद तक पैसा बढ़ाया जाय और उनके लिये कितने रिसोर्सेज इकट्ठे किये जायं और वे सारी चीजें अगर बुद्धिमत्ता और ठंडे दिल से आप सरकार के सन्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वह बात समझ में आती है कि अगर सात नवम्बर का चिम्टा और हंसिया लेकर सरकार को बाउ डाउन करने का इरादा हो तो यह गवर्नमेन्ट झुकने वाली नहीं हैं । माननीय टम्ब्रेश्वर प्रसाद जी, आप गवर्नमेन्ट के जितने हमदर्द हैं और जितनी हमदर्दी के साथ आपने कर्मचारियों के मामले को टेकअप किया है और जितनी मुहब्बत दिखाई है वह हम सब जानते हैं ।

मुझे उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय टम्ब्रेश्वर प्रसाद जी को निवेदन करना है कि चार वर्षों तक आपकी मुहब्बत कर्मचारियों से कहां रही और पांचवे वर्ष, १५ फरवरी से २१ फरवरी की तारीख जब से आपने देखी है तब से आपको कर्मचारियों के प्रति ज्यादा मुहब्बत हो गई है । एक तरफ तो आपके गले में गौमाता अटक गई और दूसरी तरफ पंचायत मंत्रियों की तनख्वाह, गवर्नमेन्ट एम्प्लाईज की तनख्वाह । बहुत हमदर्दी है, इतनी हमदर्दी बाबू टम्ब्रेश्वर प्रसाद जी को है कि इनकी हमदर्दी का अमृत टपका करता है और मेरी तो बाबू टम्ब्रेश्वर प्रसाद जी को यह राय है कि वे अपनी उस हमदर्दी के अमृत का एक घड़ा भरवाकर सील करवां लें। अगर हमदर्दी बह गई तो वे फिर जनता में क्या हमदर्दी दिखलायेंगे ।

मुझे दूसरी बात श्रीमन् आपके माध्यम से कहनी है और वह यह है कि ठंडे दिल तरीके से जैसा कि अब तक मुख्य मंत्री की सरकार ने गवर्नमेन्ट एम्प्लाईज की बात सुनी है और जितनी हमदर्दी उनके साथ रखी है उस हमदर्दी से तमाम अगर कानून आपने बना दिया, नोटिस आपको मिल गया, हड़ताल उन्होंने कर दी । यह सब आपका कुनबा है, आपका खान्दान है, इसके लिये मेरी मुहब्बत है ।

[श्री जे० पी० मिश्र]

और यह जो लोग बैठे हुये हैं ये हमको लड़ाना चाहते हैं । २१ मार्च को इनकी यह सब बातें समाप्त हो जायंगी । इसलिये आप अपनी मुहब्बत को न छोड़ें और इन लोगों की जो १-२ दिक्कतें हैं उनकी तरफ आप ध्यान दें । १९६० म जो गल्ले का भाव था और इस समय जो भाव है उसमें अगर आप उनको कुछ सब्सीडाइज्ड रेट पर गल्ला दे सकें, मेडीकल फैसेलिटीज दे सकें, तभी दिक्कत दूर हो सकती है । आज भी गवर्नमेन्ट एम्प्लाईज इन लोगों के ट्रैप में नहीं हैं, अभी आपके पास हैं। आप मुहब्बत से सोच विचार कर अपने मीन्स के अनुसार उनकी मदद करें।

*श्री झारखंडे राय--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मिश्रा जी ने जो बाद में कहा, मैं समझता हूं वह ठीक ही है कि इसी सदन में पिछले १४ वर्षों में ५ बार कर्मचारियों की महंगाई बढ़ाई गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पर कहीं न कहीं रोक लगायी जानी चाहिये । यह ठीक है, लेकिन एक शर्त के साथ कि महंगाई पर भी कहीं लिमिट लगायी जानी चाहिये । बस। महंगाई और महंगाई भत्ता दोनों आज समय की चुनौती हैं । मौजूदा सरकार के लिये, चाहे वह केन्द्र में हो या राज्य में, उसके लिये यह चुनौती है और अगर वह इसको स्वीकार नहीं कर पायी तो समाज और आने वाली जनता उनको माफ नहीं कर पायेगी । यह नहीं हो सकता कि महंगाई बढ़ती जाय और महंगाई भत्ता दाल में नमक के बराबर भी न बढ़े, दोनों में सामंजस्य होना ही चाहिये वरना यह समाज को पलट कर ही चैन लेंगे ।

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि महंगाई ४५ से तीन गुनी हो गयी है और दस वर्षों में आपकी दो योजनायें के चलते हुये दुगुनी हो गयी है । १०० रुपया की चीज सवा दो सौ रुपया में मिल रही है । अगर इस महंगाई की चुनौती यह समाज और सरकार स्वीकार नहीं करती तो समाज में विषमता पैदा हो, विद्रोह हो, चाहे वह संगठित हो या एनार्की हो, अवश्य ही होकर रहेगा । सरकारी कर्मचारियों का प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न है । हमारे प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार की मांग उठ रही हैं और वहां की सरकारें भी उनको हल करने का प्रयास कर रही हैं। यही प्रश्न केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सामने भी आ रहा है। इस पर हम गंभीरता से विचार करना है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को किस प्रकार से रोका जाय ?

मैं आपके सामने क्या स्थिति है, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं, किसी कम्युनिस्ट का नहीं, किसी सोशलिस्ट का नहीं, किसी कांग्रेसी का भी नहीं, बल्कि देश के एक बहुत बड़े गण्यमान्य व्यक्ति, श्री सीतलवाड़ की राय आपके सामने रखना चाहता हूं । वह कहते हैं आज देश में जो हिंसा का वातावरण है उसकी जड़ में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई है, इसी के कारण जनता में असंतोष फैला हुआ है । इसलिये इस प्रश्न को आपको इसी रूप में देखना चाहिये। और इसी वजह से पिछले २० सालों में इतना असंतोष नहीं बढ़ा जितना पिछले एक साल में, इतने आन्दोलन २० सालों में नहीं हुये जितने कि एक साल में। जो अनहोनी बातें पिछले २० साल से नहीं हुईं वह एक साल में हुई हैं जितनी हड़तालें, जितने जितने जन आन्दोलन, जितने सत्याग्रह, जितने धरने, जितने घेरा डालो आन्दोलन, जितने बन्द यहां एक वर्ष में हुए हैं उतने पिछल २० साल में नहीं हुए। यह किस बात का द्योतक है ? यह द्योतक है एक जनरल

डिसकन्टेंटमेन्टक्य जो आज जनता में घर कर गया है, यह चीज किसी दल के बस की बात नहीं है ।

(इस समय ४ बज कर ५४ मिनट पर अधिष्ठाता श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए ।)

बंगाल में, केरल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बन्द हुए, गुजरात और बिहार में बन्द हुए, यू० पी० का १२ तारीख को बन्द हुआ, इस सब के पीछे जनता के हृदय और मजदूरों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दुखी हृदयों का रोना है और एक गहरे असन्तोष की झलक है और यह चीजें आपको चेतावनी दे रही हैं कि यदि मंहगाई नहीं रूकी तो यह सरकार मिटेगी और कोई इसको बचा नहीं सकेगा, यह अवश्यम्भावी है ।

आज कांग्रेस सरकार की नीति इस संबंध में इस तरह की है कि आज यहीं नहीं बल्कि सारे देश में उसक खिलाफ एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जैसी कि सन् ४५ और ४६ में अंग्रेज सरकार के यहां पकती थी। इसको कांग्रेस सरकार को अपने लिये एक चेतावनी आज भी समझनी चाहिये। बढ़ती हुई महंगाई, जनता के ऊपर बढ़ते हुए कर, बेकारी अवमूल्यन के फलस्वरूप चीजों के दामों का बेतहाशा बढ़ना, पूंजीपतियों की सरकार द्वारा हिमायत और प्रश्रय, छटनी की समस्या, महगाई भत्ते की मांग और उसका समाधान न होना यह सब ऐसी चीजें हैं जिनका समाधान अगर न हुआ तो एक गंभीर संकट निकट भविष्य में पैदा होगा और वह रुक नहीं सकता। मोटी सी बात है कि जो जैसा काम करे उसे वैसा वेतन दिया जाय, चाहे कोई केन्द्र का कर्मचारी हो या राज्य का। केन्द्र का और राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक होना चाहिये यह मामूली समझ की बात है। किसी भी कामन सेन्स में नहीं आता कि एक ही जगह पर रहने वाले स्टेशन मास्टर को, पोस्टमैन को ज्यादा दिया जाय और उसी जगह पर रहने बाले राज्य कर्मचारी को, कम महंगाई भत्ता दिया जाय। यह असमानता किसी कामन सेन्स में आ नहीं सकती, इसका कोई न कोई हल आज नहीं तो कल निकालना ही होगा या सरकार बदलेगी। मांगें उनकी जायज हैं महंगाई भत्ता बढ़ाया जाय, छटनी को रोका जाय। जो लोग नौकरियां चाहते हैं, १ करोड़ २० लाख से ज्यादा देश में बेकार हैं और ३५ लाख बेकार इस प्रदेश में भी हैं और इतनी बेकारी पर भी हो यह रहा है कि छोटे कर्मचारी ही छांटे जा रहे हैं और हर विभाग में एक-एक दो-दो अफसर बढ़ाये गये हैं। अमीर आदमियों को मक्खन रोटी दिया जाय और छोटों का पेट काटा जाय, यही लक्षण हैं जो यहां विस्फोटक परिस्थिति पैदा करने वाले हैं। यह चीज बिलकुल गलत है और देश की घातक नीति का प्रमाण है।

जिस तरह से पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री ने कर्मचारियों की समस्या का समाधान किया था और हड़ताल समाप्त हुई थी, वह एक अच्छी चीज थी। उस समय माननीय नवल किशोर जी ने यहां कहा था कि यह साफ हो गया कि किसी विरोधी पक्ष के हाथ में सरकारी कर्मचारियों का आन्दोलन नहीं था। लेकिन मुझे दुख है कि आज श्री मैनेजर सिंह जी ने खुलकर यहां कहा और मिश्रा जी ने भी कहा कि हम राजनैतिक उद्देश्यों के लिये उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम कभी ऐसा नहीं चाहते। वह आपके कर्मचारी हैं। हम चाहते हैं कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करे, वह सतुष्ट हों, उनकी जायज मांगें पूरी हों, वह काम पर वापस आयें। लेकिन अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो जो चीज यहां फैलेगी जो असन्तोष और विस्फोटक स्थिति आयेगी उसको कोई रोक नहीं सकेगा। राज्य की आय का बहुत बड़ा भाग, ६० करोड़ रुपया सरकार उन पर व्यय करती है लेकिन उसका दो तिहाई ऊपर के मुट्ठी भर अफसरों की जेब में जाता है और छोटे गरीब लोगों के पास केवल एक तिहाई ही पहुंच पाता है। इतना अन्तर नहीं होना चाहिये, यह अन्तर मिटेगा, ठीक से वितरण आपके साधनों का होगा तभी यह अशांति मिट सकती है। इस प्रश्न को हमें केवल अपने प्रदेश के स्तर पर ही नहीं बल्कि एक पूरे देश के स्तर पर हल करना होगा। कांग्रेस सरकार को इस समस्या को प्रायरिटी देकर हल करना होगा। धन का सवाल है, लेकिन अगर वितरण व्यवस्था ठीक हो तो धन की कमी हमारे देश में नहीं है। हमारा देश गरीब नहीं है, हमारे यहां की जनता गरीब है। अगर पुराने अंग्रेजों की पूंजी जब्त की जाय, उनकी पेंशन रोक दी जाय, राजाओं की प्राइवेट पूंजी व फन्ड ले ली जाय, उनकी पेंशन जब्त कर ली जाय, बैंक तेल, फारेन तेल. सीमेन्ट टैक्सटाइल, बड़े-बड़े शुगर मिल्स, यानी जो दो दर्जन बड़े-बड़े उद्योग धंधे हैं देशी और विदेशी जिनमें अरबों खरबों का मुनाफा कमाते हैं, अगर सरकार उन पर कब्जा कर ले तो इतना धन पैदा हो सकता है कि उसमें से राज्य सरकार को भी हिस्सा मिल सकता है। हमारे सूबे की चीनी मिलों को ही ले लिया जाय जिसके लिये माननीय गेंदा सिंह और हम लोग भी कहते कहते थक गये, तो उनसे

[श्री झारखण्डे राय]

२० करोड़ सालाना राज्य सरकार को मिलेगा। इसलिये यह कहना कि सरकार के पास कोई साधन नहीं है, साधन के नाम पर सरकारी कर्मचारियों को मांग को ठुकराना उचित नहीं है।

अन्त में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों ने पिछले संघर्ष में और इस संघर्ष में जो साहस दिखलाया है वह स्तुत्य है, प्रशंसनीय है और मैं समझता हूं उनका संगठन बहुत मजबूत होना चाहिये। उनकी मांगें बिलकुल जायज हैं। इनमें किसी पोलिटिकल पार्टी का हाथ न इस समय है और न भविष्य में इसके होने की कोई आशा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार उनकी मांगें पूरी करे।

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन्हीं प्रश्नों पर हमने एसेंशियल सर्विसेज अधिनियम के समय विचार किया था और आज एक नये रूप में यह प्रश्न फिर सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित है। माननीय झारखण्डे राय जी ने जो प्रश्न बिचारार्थ प्रस्तुत किया है उसका एक कारण है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सन १९६२ में जब कि चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया उसके बाद से महंगाई के अन्दर काफी वृद्धि हुई है। उसके कुछ कारण है जिन पर हम सब को बिचार करना चाहिये। सन् १९६२ में आपका देश लगभग एक दिन में ५० लाख रुपया प्रतिरक्षा पर खर्च करता था और वह व्यय बढ़कर आज करीब साढ़े ३ करोड़ रुपया रोज हो गया है। प्रतिरक्षा का बजट नहां बढ़ा है, वहां सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन का बजट विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लगभग तिगना हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी कर्मचारियों की अपनी कठिनाई है लेकिन बहस के लिये मैं मान लेता.....

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

यहां पर माननीय बनारसी दास जी का प्रतिरक्षा के बजट से और सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे से क्या मतलब है ?

श्री बनारसीदास--

चूंकि माननीय झारखण्डे राय जी ने साधन का प्रश्न उठाया था, तो साधन का प्रश्न इस सूबे तक ही सीमित नहीं है। साधन प्राप्त करने में हमें केन्द्रीय सरकार से भी सहायता लेनी होगी। और केन्द्रीय सरकार के जो स्रोत और साधन हैं उन पर भी हमें बिचार करना होगा। यदि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी इस दृष्टि से बिचार करते तो उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं होती।

मैं बहस के लिये मान लेता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से आज कार्यालय बन्द हो गये, जनता का कार्य रुक गया, जनता को मुसीबत बढ़ गयीं, तो फिर उसका रचनात्मक और पोजीटिव हल क्या है ? उसका मतलब यह है कि चूंकि कार्य बन्द हो गये, चूंकि स्ट्राइक हो गयी, उसका एक मात्र हल यह है कि सरकारी कर्मचारियों ने जो अल्टिमेटम दिया है उसको मान लिया जाय। उसका एक ही हल हो सकता है कि कल को कार्यालय खुलने लगे, महंगाई भत्ता में वृद्धि कर दी जाय, और वे लोग जो कानून के कस्टोडियन हैं, और इस सचिवालय की फाइलों पर सरकारी कानून बनाने के अन्दर मदद देते हैं, हम इस सिद्धान्त को मान लें कि जो लोग कानून बनाने में मदद देते हैं वे इस कानून के ऊपर हैं और यह कानून सिर्फ साधारण नागरिकों के लिये है, यह कानून सरकारी कमचारियों के लिये नहीं है, पी० एन० सुकुल के लिये नहीं है। वे यहां पर छिपकर आन्दोलन चलाये और नेतृत्व करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो चीज बिलकुल अलग हैं। माना कि संविधान में हमको आजादी दी है नेतृत्व की लेकिन साथ ही साथ नौकरी के अन्दर कुछ हद तक अपनी स्वतंत्रता सबार्डिनेट करनी पड़ती है। क्या सरकारी कर्मचारी राज्य सभा के सदस्य हो सकते हैं या वे राजनीति म भाग ले सकते हैं ? तो उसका मतलब आज यह होता चला जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी एक नेतृत्व भी करें और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके अन्दर भाग भी लें। यदि हम उनके सामने अपना सर झुकायें तो शक्ति, संगठन की शक्ति क्या कभी तर्क को समझा सकती है। यदि हम झुक जायें, तो फिर यह होगा कि कल ही मकान के लिये मांग हो जायगी कि हमें रहने के लिये फ्री मकान दिये जाय, मेडिकल फैसीलिटीज फ्री हों और यह कहावत है कि आज की लग्जरी कल की आवश्यकता (नेसेसिटी) बन जाय तो तब क्या होगा? आदमी के भोग की कोई सीमा नहीं है, आवश्यकताओं की सीमा नहीं है, तो क्या हम इन फोर्सेज के सामने अपने सिर झुका दें ? मैं साहस के साथ कहना चाहता हूं, और माननीय झारखण्डे राय जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे, कि इस शांति की अग्नि से वे तत्व पैदा करें कि इस देश की एगौनी को बढ़ाने के बजाय इस जनतंत्र पैरा-फरने लिया और एशोआराम को खत्म करें चाहें वह मिलिट्री की शक्ति हो, वह चाहे सरकारी लोगों की शक्ति हो और जो मुल्क के अन्दर शांति की एक-एक गारन्टी दे सकें।

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

श्रीमन्, ये तो डिक्टेटरशिप की तरफ इशारा कर रहे हैं और दावा करते हैं लोकतंत्र की परम्परा को मानने वालों का।

श्री बनारसीदास---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तर्क के लिये मान लिया जाय कि इनकी मांगें उचित हैं। कार्य बन्द हो गया है। लेकिन कौन गारन्टी ले सकता है कि इन मांगों के बाद और कोई मांग नहीं होगी ? कल को दूसरी मांगें सामने आ जायंगी। महंगाई है, तो, श्रीमन, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर शासन में केवल उत्तेजनात्मक भाषण किया जा सकता है तो संसार में प्रत्येक दिन क्रांति हो सकती है। संसार के उन देशों में जहां पर अर्द्ध विकसित इकौनामी है वहां पर भुखमरी हुई है। चीन को आप देखिए। अभी एक "वाटसन" किताब निकली है जिससे स्पष्ट होता है कि वहां पर कितने आदमी भूखों मरे हैं। सौवियट रशिया के अन्दर जब कि वहां पर जन जीवन एक नीचे स्तर पर था, क्या हालत थी।

श्रीमन्, मैं यह जानता हूं कि जहां पर तर्क नहीं रहता, जहां पर कोई युक्ति काम नहीं देती, उसका स्थान वितंडावाद ले सकता है। आखिर किस प्रकार से विकास हुआ था वहां का ? किस प्रकार से इंगलैन्ड का विकास हुआ था ? सोवियट रशा का विकास किस प्रकार हुआ ? सोवियट रूस के अन्दर जिस वक्त स्टील प्लान्ट बना, जून १६३१ में मास्को के अन्दर रशा की कांग्रेस हुई और वहां के, प्रतिनिधियों ने एक आवाज लगायी कि आज हमको शुगर नहीं मिलती है, अन्डा नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, मकान नहीं मिलता है। प्रगति कम की जाय। तो स्टालिन ने यह कहा था कि ५० साल के पिछड़ेपन को हमको १० साल में पूरा करना है। आज मेरा एक ही आदेश होगा कि आगे बढ़ो। यदि आंखों से आंसू निकलेंगे तो मैं अपना दिल कड़ा करूंगा, आज की जरूरत, खून पसीना और आंसू है।

जो सोशियो-इकोनोमिक कंडीशन्स हैं उनमें मुसीबत बढ़ जाती है लेकिन इन कंडीशन्स का भार किसी एक वर्ग पर पड़ेगा ? जैसा अभी माननीय जे० पी० मिश्र ने कहा कि आप अगर बढ़ायेंगे तो उसका अर्थ यह होगा कि अधिक टेक्सेशन लगाना पड़ेगा या उसके लिये ओवर-ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मंहगाई को रोकना पड़ेगा और मैं जानता हूं कि इस सदन के विरोधी दल के नेता और विरोधी पक्षों में साहस नहीं है इस बात को मानने का अगर हम कहें कि कीमतों को रोकने के लिये यहां पर स्टेट ट्रेडिंग किया जाय, कंट्रोल किया जाय

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

कौन रोकता है आपको ? क्यों नहीं करते ? हमने साथ दिया स्टेट ट्रेडिंग के लिये।

श्री बनारसीदास---

आपने दिया ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

जिस रूप में मैंने कहा है उस रूप में सरकार बाजार में आवे ।

श्री बनारसीदास---

अभी जनसंघ का घोषणा-पत्र निकला है, एस० एस० पी० का चूं चूं का मुरब्बा निकला है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

कांग्रेस का घोषणा-पत्र मदारी जैसा झोला निकला है ।

श्री बनारसीदास---

मैं जानता हूं कि विरोधी दल के लोगों ने अपने दिमागों को इनसुलेट कर लिया है जिसमें कोई तर्क की जगह नहीं है, । मैं मानता हूं कि कीमतें रुक नहीं सकतीं । लेकिन क्या यहां कोई प्रस्ताव लायेगा कि मोनोपाली प्रोक्योरमेन्ट होगा---

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

आप लाइये तो ।

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, शुगर का कंट्रोल था, पी० एस० पी० के लोगों ने डिकंट्रोल के लिये आवाज उठाई । कपड़े का कंट्रोल था, सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से डिकंट्रोल के लिये आन्दोलन किया गया । सीमेन्ट का कंट्रोल था, उसको उठाने के लिये विरोधी पक्ष की तरफ से आवाज उठाई गई । एक तरफ तो आप चाहते हैं कि कंट्रोल न किया जाय, तो फिर आज विरोधी पक्ष एक साथ मिल कर फैसला करे कि देश के अन्दर फ्री इकोनामी नहीं होगी, केवल एक कंट्रोल्ड इकोनामी होगी और आप सब लोग श्री झारखन्डे राय के नेतृत्व के अन्दर फैसला कीजिये ।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)---

एक स्वर में सबने कहा कि लगान माफ किया जाय, क्यों नहीं माना आपने ?

श्री बनारसीदास---

इन लोगों के सामने कोई दृष्टिकोण नहीं है । आज यह सरकारी कर्मचारियों का आन्दोलन है, शायद ही इस पक्ष में कोई ऐसा आदमी हो जिसके घर में दो, चार सरकारी कर्मचारी न हों और कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसके लड़के छोटे से लेकर बड़े से बड़े कर्मचारियों में न हों । तो केवल टिकट को सामने रख कर आन्दोलन को बढ़ावा देना---

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

यह तो बिलकुल गलत बात है जो माननीय बनारसीदास कह रहे हैं ।

श्री बनारसीदास---

आज दीवार के ऊपर लेखों को देखिये । बोन के अन्दर चुनाव हुए, वहां पर हिटलर पुनर्जीवित हुआ । मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं । क्या आप लोग इस देश के अन्दर हिटलर को पैदा करना चाहते हैं, आप यहां पर मेसोलिनी को पैदा करना चाहते हैं ? स्ट्राइक का तरीका मैं समझता हूं देश की आजादी के ऊपर एक हमला है और केवल यह व्यक्ति जो केवल वोटों को हासिल करने के लिये एक असन्तुष्ट तत्व को रखना चाहते हैं वे जनता की आजादी के

साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह इतिहास मे लिखा जायगा कि कुछ लोगों को वोटों का लालच था। उन्होंने जनता की आजादी के साथ खिलवाड़ की।

(श्री भगवान सहाय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री काशी नाथ मिश्र---

मेरा प्रस्ताव था।

श्री अधिष्ठाता---

आपके दल के पाण्डेय जी बोल चुके हैं। अभी इंडिपेन्डेन्ट पार्टी से कोई नहीं बोला है। उनको भी बोल लेने दीजिये, उसके बाद विचार करेंगे।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

आप एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी के आदमी को बुलवाइये।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में अभी टीचर्स का जिक्र किया गया। कभी कभी मुझे भी शुबहा होने लगता है कि उनकी मांग सही हैं या नहीं। यदि उनकी मांग सही हैं तो उनको मिलनी चाहिये। लेकिन जब उनकी बनाई नस्ल को देखता हूं तो शुबहा होता है कि उनको दी जाय या नहीं। लेकिन जब इधर देखता हूं तो समझता हूं कि उनका कोई कसूर नहीं है। जो असलियत नहीं देख पाते हैं वह समझदारी से काम नहीं लेते हैं। सवाल साधारण सा यह है कि क्या गवर्नमेन्ट इम्पलाइज की इस मंहगाई के जमाने में मौजूदा तनख्वाह में गुजर औकात हो सकती है? यह बढ़ती हुई मंहगाई आज जिस स्तर पर पहुंच गई है उस पर क्या यह संभव है कि वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है या नहीं? मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को जब भी लिया गया तो इसमें दो राय नहीं हैं कि मौजूदा कीमतों के जमाने में उनकी गुजर औकात उनकी मौजूदा तनख्वाह में होना गैर मुमकिन बात है। अगर यह बात सही है और इसमें सब एक मत हैं तो फिर सवाल यह आता है कि क्या भूखा आदमी ईमानदारी के साथ काम कर सकता है? क्या यह ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को अंजाम न दे सकता है? भूखा आदमी कभी भी अपने फर्ज को ईमानदारी के साथ अदा नहीं कर सकता है।

एक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट इम्पलाईज ने हर जायज तरीके से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। उनका डेपुटेशन मिला, पेटीशन--भी दी और जो कुछ हो सकता था वह किया। इसके बाद एक शांतिमय वातावरण में शांतिमय प्रदर्शन भी किया। इसके बाद उन्होंने स्ट्राइक किया और आज यह समस्या हो गई है कि सारे हिन्दुस्तान में बढ़ती हुई कीमतों ने अखिल भारतीय प्रश्न इसको बना दिया। मैं प्रदेशीय सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि मार्क्स की थ्यौरी को झूठा साबित कर दिया कि व्हायट कालर वाले कभी रिवोल्यूशनरी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने साबित कर दिया कि यह भी जरूरत के ऊपर रिवोल्यूशनरी हो सकते हैं।

एक सवाल यह रखा गया है कि इसमें विरोधी दलों का हाथ है। यह गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उनको मेरे हाथ की गुंजाइश हो तो मेरा हाथ उनके साथ है। अगर उनको मेरे नैतिक समर्थन की आवश्यकता है तो मैं उनके साथ हूं। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि सरकार यह कहकर टाल नहीं सकती है कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के हमले के समय पर ५०० रुपये आई० सी० एस० की तनख्वाह बढ़ाई गई और १० हजार रुपया उनको एरियर्स का दिया गया। तो क्या इकोनामी केवल इन कर्मचारियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवान सहाय]

के लिये ही है ? आजकल आल इंडिया इंजीनियरिंग सरविस, आल इंडिया फारेस्ट सरविस, एजूकेशन सरविस और एल० आई० सी० सरविस वगैरा बन रही हैं यानी ऊंची तनख्वाह वालों की नौकरियां बढ़ रही हैं और सूबे की सरकार खामोशी के साथ मंजूर कर रही है। अगर प्रदेशीय सरकार समझती है कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है तो रिजोल्यूशन पास करे और मांग करे कि आई० ए० एस० आफिसर्स को वापस ले लें। पी० सी० एस० आफिसर आई० ए० एस० बन गया तो क्या उसमें अधिक काबिलियत आ गयी जो उसको ज्यादा तनख्वाह मिलने लगे ? तो मैं कहता हूं कि इम्पलाइज की मांगें वैसे भी सही हैं लेकिन इस बात को दृष्टि में रखें तो और भी उनकी बात ज्यादा सही है।

एक बात मैं और कहूंगा और सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पुलिस के सामने भी यही प्रश्न है। पुलिस के लाठी और डंडे से दमन करके आप इनकी मांगों को रोक नहीं सकते। जो जिसका अधिकार है उसको रोका नहीं जा सकता। आखिर वह दिन आयेगा जब पुलिस के लोग भी इस समस्या से परेशान हो कर आप की बात नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी भी समस्यायें वही हैं और उनका दिमाग कर्मचारियों के साथ ज्यादा है; आपके साथ नहीं है।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

मैं माननीय भगवान सहाय जी से पूछना चाहता था कि हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह बढ़नी चाहिये ? या घटनी चाहिए ? बहरहाल वह बैठ गये।

श्री भगवान सहाय--

उसके लिये भी आप ही बिल लायेंगे और हमारी तरफ से उसका विरोध होगा।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

आज दो, तीन दिनों से बहुत गम्भीरता से सोचता रहा हूं कि आखिर यह बात क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच में समझौता हुआ और इतने दिनों तक शान्ति पूर्ण कार्य चलता रहा, लेकिन यकायक कौन-सी बात पैदा हो गयी जिसमें फिर वही बात शुरू हो गयी ? माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं, वह जरा गहराई से सोचें कि आखिर बात क्या है ? आज जब कि कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार है वह चुनाव के मैदान में जा रही है और सबकी हमदर्दी गेन करना चाहती है, सब की मदद करना चाहती है तब क्यों उन कर्मचारियों की मदद यह सरकार नहीं कर रही है जिसके बलबूते पर यह हाउस खड़ा हुआ है, सारी फाइलें चलती रहती हैं, और सारी मशीनरी डिपेंड करती है। एक तरफ यह, दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारी पढ़ा-लिखा है, वह अपने बजट को, अपने मीन्स और अपने सोर्सेज को अच्छी तरह से जानता है और यह भी जानता है कि अगर ५ रु० प्रति व्यक्ति भी बढ़ा दिया गया तो कितनी बड़ी रकम हो जायेगी। तब फिर जब दोनों तरफ एक दूसरे को समझते हैं तो कौन-सी बात पैदा हो गई है कि इतना बड़ा झगड़ा कर्मचारियों और सरकार के बीच

(इस समय ५ बजकर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होती लाल, अग्रवाल, पुनः पीठासीन हुये।)

में पैदा हो गया। मेरा अन्दाजा यह है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस देश में सुधार वादी तरीके से सरकार प्राप्त हुई है वहीं वह आदमी जो हमेशा समाज विद्रोही रहे हैं, जो सदा शोषण करते रहे, शासन करने वालों की हमेशा मदद करते रहे वह विभूतियां आज भी हमारे देश में मौजूद हैं, रोजगारियों में, कर्मचारियों में सभी जगह। जिनकी जमींदारियां छीन ली गयी हैं वह पार्लियामेंट के मेम्बर की शक्ल में, मिनिस्टर की शक्ल में, विधायक की शक्ल में मौजूद हैं, जिनके मुंह से कोरमा, कबाब, शराब और अय्याशी छीन ली, वह आज भी मौजूद हैं। हम क्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह नहीं समझ सकते कि वे हमारी सरकारी मशीनरी को शान्ति के साथ बैठने देना नहीं चाहते, इसकी छानबीन करें। मैं सोचता हूं कि सरकारी कर्मचारी क्यों यह सोचें कि वह कहीं से मेहमान आया है, थोड़ी देर के बाद कहीं उसको जाना है, उनको जल्दी-जल्दी में ऐशो आराम कर लेना है, ज्यादा खा पी लेना है और फिर चला जाना है। यहां की हर बात में आपका हिस्सा है। कमजोरियों में, अविद्या में, देश को उठाने में सबमें आपका हिस्सा है। आपके भाई दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं। आप में से लोग विधान मंडल के सदस्य भी हैं। इस प्रकार आपका सम्बन्ध समाज के हर प्राणी से है। इस वक्त पर जब सरकार चुनाव के लिये जा रही है, क्या आप यह तो नहीं सोचते कि इस वक्त सरकार घबड़ायेगी ? इस वक्त ज्यादा से ज्यादा तादाद में संगठित हो कर मांग रखें तो सरकार हमारी मांग को मंजूर कर लेगी। अगर आप इस व्यवस्था के बनाने में अपना सहयोग नहीं प्रदान करना चाहते तो आप इस्तीफा दे कर आइये, एम०एल०ए० और एम० एल० सी० बनकर आइये और सरकार को उलटिये। लेकिन यह तरीका आपका गलत है। मैंने दो एक कर्मचारियों से पूछा कि जनवरी की कोई तारीख रखी गयी थी एजिटेशन करने के लिये सारे भारतवर्ष भर में। यह कौन-सी नयी बात पैदा हो गयी जो अभी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको तीन किलो गेहूं मिलता है। ऐसी मुसीबत है हर एक के ऊपर कि दो-दो, तीन-तीन हजार रुपया कर्ज है। हम लंगोट पहन नहीं सकते क्योंकि आपके आफिस में काम करते हैं। हमको कोट पैंट चाहिये। हमको अंडा, कबाब नहीं चाहिये, शराब नहीं चाहिये लेकिन दाल, रोटी, सब्जी, चावल तो चाहिये ही। हर आदमी को १२ छटांक खाने को होना चाहिये। हम लोगों की दूकान रिजर्व कर दी जाय जिसमें १०–१२ छटांक प्रति व्यक्ति गल्ला मिल जाय। इस प्रकार से जो हिसाब लगाया है वह गल्ला कहां से आयेगा ? इसके लिये उन्होंने कहा कि हम सुझाव देने को तैयार हैं।

एक बात और। यह जो हड़ताल है इसके पीछे कोई खास राज है। या तो कर्मचारियों के नेता किसी पोलिटिकल पार्टी के मित्र हैं या कर्मचारियों के नेता सेक्रेटरियेट के कोई बड़े अधिकारी हैं, या तो जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी के प्रभाव में हैं। माननीय मुख्य मंत्री अपनी सी० आई० डी० और दूसरे जरियों से पता लगायें कि आपके कर्मचारियों के बीच ऐसी कौन-सी बात पैदा हो गयी है जो आपको शान्ति से बैठे रहने देना नहीं चाहते।

मैं समझता हूं कि जैसा कि मुझे उस कर्मचारी ने बतलाया बिल्कुल सही है कि परेशानी है और परेशानी बढ़ती चली जा रही है, इस में दो राये नहीं हो सकतीं। उनको बुलाकर बात की जाय और बात करने पर उनकी जो छोटी-मोटी मांगें हैं उन पर विचार किया जाय। विचार करने के बाद अगर वह आपकी बात मानते हैं तो समझौते का प्रयास करना चाहिये ताकि वह ठिकाने से काम करने लगें और अगर जान-बूझ कर शरारत करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त ऐक्शन लिया जाय। ठीक तरह से एक तरफ काम होना चाहिये।

(श्री भगवानदास यादवेन्दु का नाम पुकारने पर)

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मैं समझता हूं, आपकी यह व्यवस्था ठीक नहीं है और मैं इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री लखीसिंह सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री भगवानदास यादवेन्दु—

मैंने इस सदन के भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों की तरफ से, विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष की तरफ से वक्ताओं के विचार इस सम्बन्ध में सुने। उन्होंने विदेशों की इकानामी को यहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भवानदास यादवेन्दु]

लाने का प्रयास करने की बात कही और बनारसी दास जी ने इस बात पर खास जोर दिया और अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ माननीय समाजवादी, साम्यवादी और जनसंघ वालों ने भी अपने तर्कपूर्ण सुझाव यहां पर रखे। मुझे यह कहना है कि क्या इन कर्मचारियों की इस नित्य प्रति की स्ट्राइक से हड़ताल से, हमारे प्रदेश की राजनैतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति बढ़ेगी ? मैं नहीं समझता कि आपका कानून क्या कहता है, आपका बजट क्या कहता है और हम क्या कहते हैं लेकिन आज परिस्थितियां विवश करती हैं कि शहरों में रहने वाले आदमी का जीवन दुर्लभ हो गया है। उसका सामान्य जीवन आज खतरे में पड़ गया है। यहां तक कहा जा सकता है कि एक चतुर्थ श्रेणी का परिवार आज अपनी खाने-पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, मैं यह कह सकता हूं कि माननीय मिश्रा जी ने यह आरोप लगाया कि २९२ करोड़ रुपया बजट में सदन ने स्वीकार किया तो उस समय विरोधी दल के नेता ने अपना सुझाव क्यों नहीं रखा ? मैं माननीय मिश्रा जी की बहस में नहीं पड़ता लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी मैनीफेस्टो में क्या कहती थी हम यह समझते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी, संसोपा और जनसंघ भी इस बात को कहते थे कि वेतनों में ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिये। कांग्रेस कहती थी कि ज्यादा से ज्यादा अन्तर नहीं किया जायगा लेकिन आज दशा क्या है ? एक तरफ तो आप ३,५०० रुपये देते हैं और दूसरी तरफ ७५ रु० देते हैं। यह पचास गुना का अन्तर आपके यहां विद्यमान है।

आपने इस प्रकार की परिस्थितियां यहां पर पैदा कर दी हैं जिसमें सारी जनता परेशान है और हालत और खराब होती जा रही है। इतने दिन हमारे देश को आजाद हुये हो गया, हमारे देश को आजाद हुये २० वर्ष होने जा रहे हैं इन २० वर्षों में हमारे देश की डेमोक्रेसी की हालत खराब की गई है। यहां पर विरोधी दल बैठा हुआ है वे भी अपने को डेमोक्रेट कहते हैं लेकिन जब हमने देश आजाद किया तो हमारे यहां शासन में जो नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी काम करती थी वह डरती थी और उस समय वे सब लोग काम करने वाले थे। वह जानते थे कि हमको क्या करना है। उस जमाने में लोगों में बड़ी स्प्रिट थी। उस समय नेता भी उच्च कोटि के थे। पन्त जी का जमाना था। उन दिनों आई० सी० एस० आफिसर की भी कुछ नहीं चलती थी। पन्त जी ने एक आई० सी० एस० आफिसर को लेने से इंकार कर दिया था। ब्यूरोक्रेसी उस जमाने में अपना असर नहीं रखती थी और उनकी चल पाती थी। आप देख लीजिये कि उस जमाने में और आज की ब्यूरोक्रेसी में जमीन आसमान का अन्तर है। आज की ब्यूरोक्रेसी ने हमारी डेमोक्रेसी को दबा दिया है और जो डेमोक्रेट हैं उनकी चल नहीं पाती है और वे बड़े-बड़े डेमोक्रेट उस ब्यूरोक्रेसी के सामने झुक गये हैं। इनमें हिम्मत नहीं है। ये हाथ-पांव से घबड़ा गये हैं। मैं साफ कहता हूं कि एक दस के अन्तर में एक दस का अन्तर कर दिया जाय इसका मुकाबिला तो कर सकते थे। हम इस से नहीं डरते। लेकिन हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों पर लाखों और करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया है उसके द्वारा हम बुरी तरह से प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी को इंजर कर रहे हैं और यहूदियों की तरह हम यहां पर एक विशेष वर्ग को पनपा रहे हैं। कोई भी जनरेशन इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं होगी।

हमारे कर्मचारियों के दिल में और उनके पेट में जो आग लगी हुयी है जो इस प्रदेश में रहते हैं और जिनके बच्चों को मरने के बाद कफन भी नहीं उनके सामने आप रशिया और अमेरिका की मिसाल देते हैं। इस देश की गरीबी आपके सामने मुंह बाये खड़ी है। आप तो यह गरीबी का मुंह बदलिये या अपनी सीटों को छोड़िये और सीटें छोड़ने के बाद कहिये कि हमारे पास साधन नहीं हैं। मैं कहता हूं कि यह उन गरीबों का ही जलजला आने वाला है जो क्रांति के कगार पर खड़े हुये हैं और यही स्थिति क्रांति के रूप में विस्फोटक रूप धारण करने वाली है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में इन कर्मचारियों को उस शासन का समर्थन प्राप्त था। उस समय बैरिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स या बड़े-बड़े लोग उनका नेतृत्व कर रहे थे। उनके बाद शासन उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स या डेमोक्रेट्स के हाथ में आया और उन्होंने अपना घर भरा, अपनी जेबें भरीं और अपने मकान भरे। इस से समाज में अन्तर आया और उस अन्तर का परिणाम है कि कभी डिग्री कालेजेज की स्ट्राइक होती

है, कभी माध्यमिक शिक्षकों की स्ट्राइक होती है, कभी लेबरर्स की स्ट्राइक होती है और कभी राज कर्मचारियों की हड़ताल होती है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि हमने अपनी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई। हमने अपनी कोई निश्चित एकानामिक नीति नहीं बनाई। इसका कारण यह नहीं है कि कर्मचारियों को किन्हीं अपोजीशन की पार्टीज ने भड़का दिया है। आज उसका कारण है कर्मचारियों की पेट की भड़कती हुयी ज्वाला। क्या मालूम है बनारसी दास जी और सुचेता जी को उनको क्या अहसास है कि उन कर्मचारियों का पेट जलता है ? उन्हें क्या मालूम कि गरीबी क्या होती है ? यह आपको पता चलेगा जब विद्रोह की ज्वाला भड़केगी। आपका यह अराजपत्रित कर्मचारी कभी मजदूरों के आन्दोलनों और किसानों के आन्दोलनों में नहीं था। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश ने सामन्तों को साथ रक्खा और किसान उस समय भूखों मरते थे और ये ही अराजपत्रित अधिकारी उस समय मौजें लूटा करते थे। उसका आज उल्टा हो रहा है। इन डेमोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर आज लिपिक वर्ग को एक्सप्लाइट कर दिया है और मौजें किसान और पूंजीपतियों की हो रही हैं। हमें इस बात की तो खुशी होती है कि आज वक्त ने बाबू क्लास को भी अवसर दिया है कि वे भी किसान और मजदूरों के आन्दोलनों में कन्धे से कन्धा मिलाकर साथ दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को जो डेमोक्रेसी का दावा करती है और देश की सुरक्षा की हामी भरती है उसे ब्यूरोक्रेसी को सम्हालना होगा। ब्यूरोक्रेसी के लोग मेरी इस बात को सुन रहे होंगे पर मैं स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स के कुत्तों को खाने को उतना मिलता होगा जितना बाबू को नहीं मिलता है। आप एक नया क्लास बनाते जा रहे हैं लेकिन नेहरू जी ने एक दिन कहा था कि हम क्लासलेस सुसाइटी बनाना चाहते हैं बिना वर्गविहीन समाज के हम रह नहीं सकते। मेरा कहना है कि देश के डेमोक्रेटो जागो, समाज की रक्षा इन कैपेटलिस्टों से नहीं हो सकती, हिन्दुस्तान की समस्याओं का हल, उनका समाधान और इन्तजाम यह नहीं कर सकते। इसका समाधान आपको सोचना होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश की किसी समस्या को इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने सुलझाया नहीं है, उलझाया है, यही इसका प्रमाण है कि ५ महीनों से सरकारी कर्मचारियों की समस्या उलझ रही है। अतः इसके पहले कि माननीय मुख्य मंत्री भाषण करें वे दो बातों पर प्रकाश डाल दें --- (१) आप दिल्ली गयी थीं वहां प्रधान मंत्री से सरकारी कर्मचारियों के बारे में क्या बातें हुईं? (२) आपने इस समस्या का क्या हल निकाला ? वरना आपका भाषण सुनना बेकार है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

उपाध्यक्ष महोदय, हमने पांच मांगें रक्खी थीं लेकिन उधर से जितने वक्ता बोले उनमें से किसी ने भी उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया, वही पिटी-पिटाई बातों को दुहरा दिया। माननीय मुख्य मंत्री कृपया उत्तर दें कि वे केन्द्रीय सरकार के बराबर मंहगाई-भत्ता और कोठारी आयोग की सिफारिशों को कर्मचारियों के लिये स्वीकार कर रही हैं या नहीं ? इन लोगों के बारे में ही कुछ कहने से लाभ होगा। भाषण तो उनका हम बहुत सुनते आये हैं।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले-पहले मैं माननीय माधव प्रसाद जी के सवाल का जवाब दे रही हूं। उन्होंने यह पूछा कि इन्दिरा गांधी से क्या बात करके आयी हूं। मैं वहां इन्दिरा गांधी से नहीं मिली। मैं तो दूसरे काम से दिल्ली गयी थी और वह काम कर के चली आयी। रही कर्मचारियों की समस्या की बात, पहले तो इस डिबेट की इस वक्त कोई जरूरत भी नहीं थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

परसों इसके बारे में बातचीत हो ही चुकी थी। पिछले पांच सालों में पांच बार डी० ए० बढ़ चुका है और एक दफा स्केल बढ़ाया जा चुका है। २९२ करोड़ के बजट में से ९० करोड़ हम गवर्नमेंटस सर्वेन्ट पर खर्च कर रहे हैं जब कि हमारी पर कैपिटा इनकम और प्रान्तों के मुकाबिले में कम है। हमारी भी एक सीमा है। जितना कपड़ा होता है उतना ही कोट काटना पड़ता है। जितना पैसा हमारे पास है, उसी अनुपात में तो हम किसी को कुछ दे सकते हैं। यह सत्य है कि मंहगाई बढ़ गई है। लेकिन कांग्रेस सरकार ही इसके लिये जिम्मेदार नहीं है। हां, कांग्रेस गवर्नमेंट इसलिये रिस्पान्सिबिल कही जा सकती है कि उसने देश को ऊंचा उठाने का प्रयास किया और वह प्रयास व्यापक और बड़े पैमाने पर किया। जब देश का डेवलपमेंट किया जाता है तो मंहगाई इनएविटेबिल होती है।

जहां तक मंहगाई-भत्ता बढ़ाने की बात है २, ५ या १० रुपया बढ़ाने से वह सालव्यूबिल नहीं है। मंहगाई बढ़ाई जाती है एक तरफ तो फौरन ही ५–६ रुपया बढ़ाने से बाजार में और मंहगाई बढ़ जाती है और इसलिये हमने इन्फ्लेशन को रोकने का तरीका सोचा और माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमने जो रोजाना की जरूरी इस्तेमाल की चीजें हैं उनको कर्मचारियों को सस्ते दामों पर दिलाने का उपाय किया। इतने बड़े पैमाने पर हमें अधिक मंहगाई देने के लिये हमारे पास साधन नहीं हैं इसलिये सरकारी नौकरों की जरूरत की चीजें हम सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वेलफेयर शाप्स खोली हैं और जैसा कि बैजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम सस्ते दामों पर कर्मचारियों को गल्ला दें। हमारे दिल में उनकी तकलीफ से कोई खुशी नहीं है, दो किलो ३ किलो, जो कुछ भी हम दे सकते हैं वह दे रहे हैं लेकिन जो कमी हुयी है राशन में वह हमारी मजबूरी है।

आप सबको मालूम है कि पिछले ५० साल से कभी इतना बड़ा सूखा नहीं पड़ा है और जो हालत पैदा हो गई है उसको फाइट करने की भरसक कोशिश हमारी है और ज्यादा से ज्यादा गल्ला मंगाकर देने का हमारा प्रयास हो रहा है। असंभव चीजों को तो हम संभव बना नहीं सकते, हम कोशिश जरूर करते हैं। हमें यह भी समझना चाहिये कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स ही समाज में कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, हमारी हर तरह से हमदर्दी उनके साथ जरूर है। आज जो हालत मिर्जापुर में या इलाहाबाद की मेजा, करछना तहसील में या अन्य सूखे के क्षेत्र में है और जिनका पेट भरना कठिन है वह भी हमारे समाज के अंग हैं। हमें उनका भी पेट भरना है, सब की तकलीफों में हमें हिस्सा लेना होगा और एक ही प्रिविलेज्ड क्लास की तरफ हमारी नजर नहीं रह सकती, सरकारी कर्मचारियों और इस प्रदेश के गरीबों की औसत आय में कुछ न कुछ सामंजस्य रहना चाहिये। अगर हम उनके भी साधन रहते हुये पैसा बढ़ा सकते तो हमें इस से बहुत खुशी होती लेकिन विरोधी मेम्बर्स को तो और प्रसन्न होना चाहिये कि सरकारी कर्मचारियों के असंतोष के कारण उनको वोट ज्यादा मिलेगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

हमें वोट के लिये खुशी नहीं होती, उनकी तकलीफें दूर होनी चाहिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अगर आप इधर आ जायं और अपोजीशन के लोग होशियारी और ईमानदार लोग इधर आकर बैठें तो हमें खुशी होगी और आपकी सरकार बनेगी तो हम आपको अपना पूरा कोआपरेशन देंगे (व्यवधान)। कहा गया कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे और बड़ी भीषण परिस्थिति पैदा हो गई है। मैं कहना चाहती हूं कि यह गवर्नमेंट चलेगी, वह खत्म नहीं होगी। थोड़ी-सी परेशानी जरूर हुई है लेकिन काम चल रहा है, वह स्टैंड स्टिल नहीं है। हमें अफसोस है कि आज हम आपको प्रिन्टेड लिस्ट नहीं दे सके बाकी सारे जिलों में काम सुचारु रूप से चल रहा है, सेक्रेटेरियेट में भी चल रहा है, कुछ तकलीफ जरूर हुई है बाकी हम कल ही नये रिक्रूट्स भरती करेंगे। हम जितनी नर्मी से पेश आ सकते थे आये।

हम चाहते हैं कि हम हमदर्दी कायम रखें, हम जानते हैं कि कम वेतन पाने वालों को कष्ट है लेकिन हमारी हमदर्दी के माने यह नहीं हैं कि वह लोग ऐलान करें कि हम इस गवर्नमेंट को खत्म करेंगे और स्टेन्ड स्टिल में ला देंगे। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट सर्वेंट्स का डेमोक्रेसी में एक खास रोल होता है, उनका एक कन्डक्ट होता है। इंगलैंड में गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स पालिटिक्स से अलग रहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में (व्यवधान).....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

पिछले महायुद्ध में इंगलैंड में सात लाख मजदूरों ने हड़ताल की, उन्होंने न गोली चलाई, न लाठी चलाई तो यह सरकार उनका मुकाबला क्यों करती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ब्रिटिश सिस्टम में सर्विसेज रहती हैं और मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट्स आती-जाती रहती हैं, वहां प्रिजम्पशन है कि सर्विसेज पोलिटिकल नहीं होतीं, कोई भी किसी की सरकार आये वे वहां पर वफादारी से काम करती हैं लेकिन जैसी राजनैतिक आबोहवा पैदा हो गई है और कर्मचारियों में भी राजनीति आती जाती है तो हमें भी अमरीकन सिस्टम अपनाने की बात सोचनी होगी। वहां जैसे मिनिस्टरी चेंज होती है, सर्विसेज भी चेंज होती हैं। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट नालायक है, लेकिन उसे भी आप चुनाव के वक्त देख लेंगे। आज मैं तैयार हूं और मुझे यकीन है कि हमारे पीछे के लोग और लोग भी सब तैयार हैं कि वे अपने घरों से सैकड़ों कांग्रेसी लोगों को लावेंगे जो वालंटियरिली यहां आकर काम करेंगे। (व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं समझता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री का यह भाषण सुनना बेकार है इसलिए हम १५ मिनट के लिए सदन का परित्याग करते हैं।

(जन संघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गए।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

ये गवर्नमेंट के वालंटियर्स मंत्री लोग हैं जो रोजाना बयान देते हैं और मैं समझता हूं कि ये सारे प्रदेश को चौपट कर देंगे। सारे प्रदेश में नंगा नाच हो रहा है और इस तरह से लोकतन्त्र का खातमा हो जायगा। आज एक भी काम होने नहीं पा रहा है। सारे प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है और यह सरकार इस प्रदेश की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ सिद्ध हो रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीया मुख्यमंत्री एलान करें कि आप राजकर्मचारियों की कौन-कौन सी मांग पूरी कर रही हैं। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो आपके इस भाषण से क्या लाभ होने वाला है। क्या आपके इस भाषण से राज कर्मचारियों का पेट भर जायगा ?.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम सुन्दर पांडेय जी आप बैठ जाइये या सदन छोड़ें।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

उनका भाषण क्या हो रहा है, उनको मैं क्या सुनूं ? राजकर्मचारियों की जो मांगें हैं, उनको पूरा करें.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए या सदन छोड़ें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं सदन छोड़ रहा हूं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

आप इस प्रश्न पर विचार कर लें कि इनकी ये हरकतें देश और प्रदेश को बरबाद कर देंगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठिए या सदन छोड़ें ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

मैं सदन छोड़ रहा हूं ।

(संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैं पहले भी कह चुकी हूं और आज भी इस मौके पर अपने गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स से अपील करती हूं कि आप कभी भी इन भाइयों के चक्कर में आकर गलत रास्ते पर न जाइये । आप लोगों को पिछले पांच साल में हर तरीके से गवर्नमेन्ट ने कुछ न कुछ मदद करने का प्रयास किया है । आज अगर और मदद करना चाहें तो हमें नए टैक्स लगाने पड़ेंगे । जब कि आज नए टैक्सेज लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है । दूसरी गवर्नमेन्ट जो एलेक्शन बाद आवेगी वह टैक्स लगावेगी । उस समय जब टैक्स लगेगा तो मैं आशा करती हूं कि विरोधी दल की ओर से हमें मदद मिलेगी और उस दिन मैं देखूंगी कि इतनी हमदर्दी जो आज है, वह हमदर्दी उस दिन कितनी रहती है । उस वक्त जब आप लोग फैसला करेंगे कि टैक्सेशन होना चाहिए तब मैं देखूंगी कि आप लोग किसान का मुंह देखते हैं या गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस का.....

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

उनके वेतनों में कितनी असमानता है, इसको आप तो दूर करें ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

डिस्पैरिटी जहां पहले वन और एटी की थी वहां अब वन और ट्वेंटी की है, हम भी चाहते हैं कि डिस्पैरिटी कम की जाय, एक नेशनल वेज पालिसी हो ।

श्री झारखण्डे राय---

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीया सुचेता जी के भाषण को आज यहां पर हजारों लोग सुन रहे हैं और शाम को लाखों आदमी रेडियो पर सुनेंगे । हमने अपेक्षा की थी कि जो भाषण उन्होंने एसेन्शियल सर्विसेज बिल के सम्बन्ध में किया था, उससे कुछ भिन्न होगा और उसके बाद जो नयी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसके कारण स्ट्राइक हो गया है, उस पर कोई नया कदम तय करने के बाद कोई एलान करेंगी । तो मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन सा नया एलान करने आयी हैं ? बाकी बातें तो हम रोज सुनते आये हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इस वक्त मैं कोई नया एलान देने नहीं आयी हूं । मेरा तो केवल एक लाइन है कि स्ट्राइक करने वाले इन्डिसिप्लिन की बात छोड़ दें, जो इन्डिसिप्लिन का चैप्टर ही उन्होंने खोला है, वह पहले खत्म हो । गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस की शिकायतों और उनकी मदद करने पर बात विचार हो सकता है जब वे इन्डिसिप्लिन की बातों को छोड़ें । यहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात जब कही गयी । हम लोग भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात जानते हैं । हम उनसे तब तक बातें नहीं करेंगे जब तक वे अपना रवैया नहीं बदलेंगे ।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रहने का) विधेयक, १९६६ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रहने का) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश में लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत ली जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब एक सूचना पर नियम ५० के अन्तर्गत आधे घण्टे का जो विवाद है, उसको कल के लिए मुल्तवी किया जाता है ।

अब हम उठते हैं, और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बज कर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

श्रीपति सहाय,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
८ दिसम्बर, १९६६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३० पर]

Surendra Kaur was examined. She had no complaint against the police. She was unhappy with her alleged husband Ishawari Prasad and did not want to live with him. No unauthorised person had access to her. Smt. Bir Balan, Supdt., Nari Niketan, confirmed that no outsider could meet Smt. Surendra Kaur without permission of a Magistrate.

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

[देखिए नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३३ पर]

आगरा फुटवीयर सिंडीकेट को अब तक निम्न प्रकार से ऋण तथा अनुदान दिया गया है :—

वर्ष	मद		ऋण	अनुदान
	रु०		रु०	रु०
१९६३-६४ ..	१२,०००	कार्यशील	१५,०००	४,०००
	३,०००	हिस्सा पूंजी		
	४,०००	बिक्री भण्डार		
१९६४-६५ ..	३०,६२५	हिस्सा पूंजी	३०,६२५	१७,५००
	७,५००	सेमिनार		
	१०,०००	प्रदर्शनी		
१९६५-६६ ..	१,००,०००	कार्यशील पूंजी	१,००,०००	१०,०००
	१०,०००	दी रिटेल शाप खोलने के लिए ।		
		योग ..	१,४५,६२५	३१,५००

नत्थी "ग"

(देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३६ पर)

१ अप्रैल, १९६६ से ३० जून, १९६६ तक की अवधि में मन्त्रियों के दौरों पर हुये व्यय की तालिका

क्रम-संख्या	नाम व पद		व्यय की धनराशि रु० पै०
१	श्रीमती सुचेता कृपालानी, मुख्य मंत्री	..	२,२७६.३०
२	श्री हुकुम सिंह विसेन, राजस्व मंत्री	..	२,७३३.७०
३	श्री गिरधारीलाल, सिंचाई मंत्री	..	३,९८८.३०
४	श्री चरण सिंह, स्वायत शासन व वन मंत्री	..	६,५३३.७०
५	श्री सैयद अली जहीर, न्याय मंत्री	..	३,४६४.८५
६	श्री हरगोविन्द सिंह, गृह मंत्री	..	३,२६०.९०
७	श्री मुजफ्फर हसन, परिवहन मंत्री	..	१,७३१.९४
८	श्री राममूर्ति, सामुदायिक विकास मंत्री	..	२,१०७.०५
९	श्री जग मोहन सिंह नेगी, खाद्य मंत्री	..	९९५.१५
१०	डा० सीताराम, समाज कल्याण मंत्री	..	१,६८९.१०
११	श्री दाऊ दयाल खन्ना, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री	..	८,३६६.१५
१२	श्री बनारसी दास, सहकारिता मंत्री	..	४,७६८.१५
१३	श्री कैलाश प्रकाश, शिक्षा व वित्त मंत्री	..	४,९१९.४४
१४	श्री जगन प्रसाद रावत, सार्वजनिक निर्माण मंत्री	..	४,९७५.२८
१५	श्री गेंदा सिंह, कृषि मंत्री	..	१,१०५.४०
	कुल जोड़	..	५२,९१५.४१

नत्थी "घ"

[देखिए नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३९ पर]

स्थान जहां देवरिया जिले में १ जनवरी, १९६६ से ३० मई, १९६६ की अवधि में डकैतियां पड़ीं :

१—ग्राम मिसवा, थाना हाटा ।

२—ग्राम चकरा गोसाई, थाना खुखुन्दू ।

३—खुखरिया, थाना खामपार ।

४—बनकटा (मित्र टोला बदौलिया) थाना लार ।

५—हरिन्दापुर, थाना तरकलवा ।

६—सिता छपरा, थाना खड्डा ।

७—हिछौरा, थाना खुखुन्दू ।

८—सेवरही, थाना तरया सुजान ।

९—भगवानपुर, थाना खड्डा ।

१०—डीघवा पट्टी, पटहेरवा ।

संसद भवन

नत्थी "ङ"

[देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २०–२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४० पर]

तालिका क

क्रम-संख्या	नाम	मौजूदा पद
	इन्सपेक्टर [रिजर्व इन्सपेक्टर] कम्पनी कमांडर	
१	श्री जंगजीत सिंह	इन्सपेक्टर
२	श्री कामता सिंह	स्थानापन्न डी० एस० पी०
३	श्री जवाहर सिंह	,,
४	श्री काली चरन मिश्रा	सहायक कमान्डेन्ट
५	श्री के० बी० माथुर	,,
६	श्री राज बहादुर सिंह	एडजूटेन्ट
७	श्री चन्दन सिंह विष्ट	कंपनी कमान्डर
८	श्री खुशाल सिंह	डी० एस० पी०
९	श्री सूरज सिंह	कंपनी कमान्डर
१०	श्री गन्धर्व सिंह	,,
११	श्री रन्ति देव वर्मा	सहायक कमान्डेंट
	सब इन्सपेक्टर (प्लाटून कमान्डर)	
१	श्री विश्वम्भर सिंह सिरोही	रिजर्व इन्सपेक्टर
२	श्री सुखवीर सिंह	सब इन्सपेक्टर
३	श्री महाराज सिंह	,,
४	श्री नवीन चन्द कुलश्रेष्ठ	,,
५	श्री राम लखन दूबे	,,
६	श्री लाल माधो सिंह	,,
७	श्री अमारत शिको	,,
८	श्री मु० अली खां	,,
९	श्री जय प्रकाश अहलेवालिया	,,
१०	श्री पार्थ सारथी लवानिया	,,
११	श्री प्रियव्रत सिंह	,,
१२	श्री के० ए० उस्मानी	,,
१३	श्री मंगल सिंह राना	,,
१४	श्री राम बाजपेई	,,
१५	श्री त्रिलोक सिंह रिक्खी	प्लाटून कमान्डर
१६	श्री मनोहर सिंह रिक्खी	,,
१७	श्री काशी राम नौटियाल	सहायक कम्पनी कमान्डर
१८	श्री वाग सिंह नेगी	सहायक कम्पनी कमान्डर
१९	श्री नारायण दत्त शर्मा	सहायक कम्पनी कमान्डर
२०	श्री होशियार खां	प्लाटून कमान्डर
२१	श्री गोविन्द सिंह विष्ट	कम्पनी कमान्डर

क्रम-संख्या	नाम			मौजूदा पद
२२	श्री प्रयागनारायण अवस्थी	..	..	प्लाटून कमान्डर
२३	श्री दीना नाथ जैदू	..	..	कंपनी कमान्डर
२४	श्री हाकिम सिंह	..	..	प्लाटून कमान्डर
२५	श्री राम प्रसाद	..	..	प्लाटून कमान्डर
२६	श्री जग सरन पांडेय	..	..	,,
२७	श्री सुरेन्द्र सिंह	..	..	कंपनी कमान्डर
२८	श्री चूणा मनि जोशी	..	..	प्लाटून कमान्डर
२९	श्री लाल चन्द	..	..	प्लाटून कमान्डर
३०	श्री भंवर सिंह	..	..	,,
३१	श्री शंभू दयाल	..	..	,,
३२	श्री यन० सी० यफ० कोरिया	..	..	सहायक कमान्डेन्ट
३३	श्री के० यन० जोशी	..	..	क्वार्टर मास्टर
३४	श्री देवी सिंह	..	..	प्लाटून कमान्डर
३५	श्री गंगा राम भट्ट	..	..	कंपनी कमान्डर
३६	श्री शेर सिंह	..	..	प्लाटून कमान्डर
३७	श्री कृपाल सिंह	..	..	प्लाटून कमान्डर
३८	श्री ध्यान सिंह	..	..	प्लाटून कमान्डर
३९	श्री नवाब सिंह	..	..	यस० आई० यम० टी०
४०	श्री देवी सिंह	..	..	प्लाटून कमान्डर
४१	श्री गजेन्द्र सिंह	..	..	प्लाटून कमान्डर
४२	श्री सूचेत सिंह	..	..	सब इन्सपेक्टर
४३	श्री महिपाल सिंह	..	..	सब इन्सपेक्टर
४४	श्री हरबल सिंह	..	..	,,
४५	श्री सत्य देव दिक्षित	..	..	,,
४६	श्री रतन सिंह नेगी	..	..	,,
४७	श्री किशन सिंह तोमर	..	..	प्लाटून कमान्डर
४८	श्री दयाल सिंह	..	..	,,
४९	श्री शेर सिंह विष्ट	..	..	,,
५०	श्री चेत राम	..	..	कंपनी कमान्डर
५२	श्री देश राम	..	..	,,
५२	श्री ई० फरे	..	..	क्वार्टर मास्टर
५३	श्री दयाल सिंह गुसाई	..	..	कंपनी कमान्डर

तालिका 'ख'

क्रम-संख्या	नाम	क्रम-संख्या	नाम

इन्स्पेक्टर (रिजर्व इन्सपेक्टर) कम्पनी कमांडर

१ श्री जंगजीत सिंह
२ श्री कालीचरन मिश्रा
३ श्री राजबहादुर सिंह
४ खुशाल सिंह
५ श्री सूरज सिंह
६ श्री गन्धर्व सिंह

सब इन्सपेक्टर प्लाटून कमांडर

१ श्री सुखबीर सिंह
२ श्री महाराज सिंह
३ श्री रामलखन दुबे
४ श्री अमारत शिकोह
५ श्री मो० अली खां
६ श्री मंगल सिंह राना
७ श्रीराम बाजपेई
८ श्री नरायण दत्त शर्मा
९ श्री होशियार खां
१० श्री प्रयास नारायण अवस्थी
११ श्री दीन ा नाथ जैदू
१२ श्री हाकि म सिंह
१३ श्री राम प्रसाद
१४ श्री अगसरन पांडे
१५ श्री सुरेंद्र सिंह
१६ श्री चूड़ामणि जोशी
१७ श्री लाल चन्द
१८ श्री भंवर सिंह
१९ श्री यन० सी० यफ० कोरिया
२० श्री देवी सिंह
२१ श्री गंगा राम भट्ट
२२ श्री शेर सिंह
२३ श्री कृपाल सिंह
२४ श्री ध्यान सिंह
२५ श्री नवाब सिंह
२६ श्री देवी सिंह
२७ श्री सुचेत सिंह
२८ श्री महिपाल सिंह
२९ श्री हरबल सिंह
३० श्री सत्यदेव दीक्षित
३१ श्री रतन सिंह नेगी
३२ श्री किशन सिंह तोमर
३३ श्री दयाल सिंह
३४ श्री शेर सिंह विष्ट
३५ श्री चेत राम
३६ श्री देश राम
३७ श्री ई० फरे
३८ श्री दयाल सिंह गुसाई।

नत्थी "च"

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४१ पर।)

क्रमांक	आफिसर का नाम तथा पदनाम	मुलतवी या रद्द किया गया	कारण
१	श्री चन्द्र मोहन लाल भटनागर, जबाइन्ट डाइरेक्टर, ऐडमिनिस्ट्रेशन, डाइरेक्टर आफ इमल्युएशन, उत्तर प्रदेश।	रद्द किया गया	जनहित में
२	श्री ईश नारायन मिश्रा, एडीशनल डि० जज, लखनऊ।	,,	पत्नी की बीमारी के कारण
३	श्री चन्द्र प्रकाश, आफिशियेटिंग सिविल ऐंड सेशन्स जज, बदायूं।	,,	पिता की अस्वस्थता के कारण
४	श्री हरीशचन्द्र, अधिशासी अभियन्ता, रामगंगा सर्किल, रामपुर।	,,	जनहित में।
५	श्री जसवन्त सिंह, वर्किंग प्लान, आफिसर, यमुना फारेस्ट डिवीजन।	,,	,,
६	श्री महेश कुमार, उप-अरण्यपाल, गोरखपुर।	,,	,,
७	श्री सुखदेव पन्त, प्रधानाचार्य, स्टेट इंस्टीट्यूट आफ एलिमेन्ट्री एजूकेशन, इलाहाबाद।	मुलतवी किया गया	सम्बन्धित अधिकारी को कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण।
८	श्री एल० सी० ओझा, उप-निबन्धक, फैजाबाद।	रद्द किया गया	जनहित में।
९	श्री के० एन० माथुर, उप-निबन्धक, औद्योगिक सहकारी समितियां, कानपुर।	,,	,,
१०	श्री जी० आर० के० टन्डन, उप-निबन्धक, वाराणसी।	,,	,,
११	श्री आर० पी० माथुर, उप-निबन्धक (कृषि), मुख्यालय।	,,	,,

नत्थी 'छ'

(देखिए तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४४ पर)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्यों के नाम		उन संस्थाओं के नाम जिनके वे सदस्य हैं
१—श्री राम स्वरूप गुप्त	..	ग्रामोद्योग मण्डल पुखरायां, कानपुर, अध्यक्ष
२—श्री राजा राम भाई ..	..	श्री गांधी आश्रम, मेरठ, सदस्य
३—श्री रामधारी उपाध्याय	..	श्री गांधी आश्रम, लखनऊ, सदस्य
४—श्री बृजमोहन तिवारी	..	स्वराज आश्रम, कानपुर
५—श्री रामलाल मिश्र ..	..	सर्वोदय संस्थान, फैजाबाद
६—श्री जगदीश शरण अग्रवाल	..	गुड़ खांडसारी एसोसियेशन, बरेली
७—श्री त्रिवेनी सहाय ..	..	गांधी सेवा सदन आसफपुर, बदायूं
८—श्री गोपीनाथ सिंह ..	..	मोती लाल मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ।
९—श्री बजेन्द्र किशोर ईमा	..	(१) उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, तिलक द्वार, मथुरा (२) बृजग्राम सेवा मण्डल, मथुरा
१०—श्री सुन्दर लाल बहुगुणा	..	थक्कर बाप्पा छात्रावास, टेहरी

सरकारी सदस्य

११—उद्योग सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

१२—विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन

१३—वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

१४—उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश

१५—निबन्धक सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिए तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४५ पर)

विवरण

ग्राम लौंद खुर्द, थाना शंकरगढ़, जिला इलाहाबाद में सिल्का सैंड की एक खदान है। इसके दो प्रोप्राइटर थे। इस खदान में कई छोटे ठेकेदार सैंड निकालते थे और दोनों प्रोप्राइटरों को सैंड देते थे। कुछ समय बाद छोटे ठेकेदार एक प्रोप्राइटर का पक्ष लेने लगे और उन्होंने दूसरे प्रोप्राइटर को सैंड देने से इन्कार कर दिया। इसी बात को लेकर दिनांक १६-४-६६ को मौजा लौंद खुर्द में मजदूरों की दो पार्टियों में झगड़ा हो गया। थानाध्यक्ष, शंकरगढ़ जो एक हेड कांस्टेबिल और ४ कांस्टेबिल, पी० ए० सी० तथा एक कांस्टेबुल सिविल पुलिस के साथ शिवराजपुर में ड्यूटी पर थे सूचना पाने पर उपलब्ध फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां लगभग २५० आदमी लाठियों से लैस लड़ाई करने पर आमादा थे। पुलिस को देखकर पूरा मजमा भाग खड़ा हुआ। भागते समय एक व्यक्ति ने अपनी ही झोंपड़ी में आग लगा दी जो कुछ ही मिनटों में पूरी जल गई। पुलिस ने घटनास्थल पर दो व्यक्तियों को धारा १५१ जा०फौ० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों को मिलाकर कुल १२ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १०७/ ११७ जा० फौ० के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट १७-४-६६ को पुलिस द्वारा न्यायालय भेजी गई। बाद में खदान पर मालिकाना हक तय करने के लिए एक रिपोर्ट धारा १४५ जा० फौ० के अन्तर्गत पुलिस द्वारा न्यायालय भेजी गई। अतः न्यायालय ने १०७/११७ जा० फौ० की कार्यवाही समाप्त कर दी और विवादग्रस्त खदान को कुर्क किए जाने के आदेश दे दिए।

नत्थी 'झ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५० पर)

सूची क

क्रमांक	पद का नाम	नया वेतन-क्रम	नाम
		रु०	
१	प्रधानाचार्य ..	.. ६००—१२५०	श्रीमती उर्मिला चन्द्रा
२	जूनियर लेक्चरर अंग्रेजी	.. २५०—५५०	कु० मायारानी चटोपाध्याय
३	जूनियर लेक्चरर हिन्दी	.. २५०—५५०	श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव
४	जूनियर लेक्चरर साइन्स	.. २५०—५५०	श्री इन्द्र मोहन श्रीवास्तव
५	जूनियर लेक्चरर मैथ	.. २५०—५५०	श्रीमती राजरानी श्रीवास्तव
६	हेड क्लर्क ..	.. १५०—२६०	श्री एल० एम० अवस्थी
७	एकाउन्टेन्ट ..	.. १२०—२२०	श्री चन्द्रमोहन कुकरेती।
८	स्टोरकीपर ..	.. १००—१८०	श्रीमती ललिता जोशी
९	क्लर्क ..	.. १००—१८०	श्री एन० के० शुक्ला
१०	क्लर्क ..	.. १००—१८०	श्री मधुकर राव जोशी
११	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी (दफ्तरी)	.. ६०—८०	श्री सत्यनारायण त्रिवेदी।
१२	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री सकूर अहमद
१३	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्रीमती कनौजन
१४	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री नोबत राम
१५	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्रीमती विमला पन्त
१६	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री लक्ष्मी नारायन
१७	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री राम परोखन
१८	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्रीमती राधा देवी
१९	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री राज कुमार सिंह
२०	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री हजारी लाल
२१	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री चन्द्रिका सिंह
२२	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री बाबूराम यादव
२३	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री राम छबीले
२४	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	५५—७५	श्री महाबीर
२५	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री बाबू
२६	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री देवीदीन
२७	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री अशोक कुमार
२८	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री शिवजी सिंह
२९	चतुर्थ-वर्ग कर्मचारी	.. ५५—७५	श्री लक्ष्मी नारायन उपाध्याय

नत्थी "ञ"

(देखिए तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६१ पर)

संख्या २५५५/दो-बी-६५

प्रेषक

श्री बी० पी० जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक १४ मई, १९६६।

विषय--किफायतशारी करने के लिए उठाए गए कदमों को अमल में लाने की वजह से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की छटनी करने के उसूल।

महोदय,

नियुक्ति (ख) विभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार द्वारा उठाए गए किफायतशारी कदमों की वजह से कई दफ्तरों में बहुत से कर्मचारी फालतू हो गए हैं ऐसे मामलों में छटनी का आम उसूल, "सबसे आखिर में आने वाला सबसे पहले जाय" का है। यह बात सरकार की नोटिस में लायी गयी है कि कुछ दफ्तरों में अनुसूचित जाति के सबसे जूनियर कर्मचारी की अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व किए गए १८ फीसदी का कोटा पूरा न होने के बावजूद छटनी कर दी गयी। यह मंशा नहीं है कि आम छटनी की स्कीमों की वजह से अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचे, इसलिए यह तय किया गया है कि :

(१) किसी ऐसे दफ्तर के अमले में कमी किए जाने पर जिसके अधीन अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व १८ फीसदी का कोटा पूरा हो, सबसे जूनियर कर्मचारी की छटनी की जानी चाहिए चाहे वह अनुसूचित जाति का हो या न हो, और

(२) यदि किसी दफ्तर में अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा न हो यानी वह १८ फीसदी के मुकर्रर किए गए कोटे से कम हो, तो अनुसूचित जाति के कर्मचारियों पर छटनी के आदेशों का कोई असर न पड़ेगा चाहे, वे किसी सर्विस के केडर में सबसे जूनियर कर्मचारी ही क्यों न हों।

मेरा यह अनुरोध है कि आइन्दा इसी फैसले के मुताबिक कार्यवाही की जाय।

भवदीय,
बी० पी ०जोशी,
सचिव।

संख्या २५५५(१)/दो-बी-६५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना और पथ-प्रदर्शन के लिए भेजी जाती है :

(१) सचिवालय के समस्त विभाग।
(२) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(३) राज्यपाल के सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(४) रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, इलाहाबाद।
(५) मन्त्रियों की सूचना के लिए मन्त्रियों के समस्त वैयक्तिक सहायक।
(६) समस्त उप-मन्त्री तथा सभा सचिव।

आज्ञा से,
गौरी शंकर सिंघल,
सहायक सचिव।

नत्थी "ट"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६३ पर)

१—एक अधिकारी लगभग ५ वर्ष ९ माह से नियुक्त है।

२—एक अधिकारी लगभग ३ वर्ष से नियुक्त है।

३—एक अधिकारी लगभग २ वर्ष ८ माह से नियुक्त है।

४—एक अधिकारी लगभग १ वर्ष ७ माह से नियुक्त है।

५—एक अधिकारी १ वर्ष ६ माह से नियुक्त है।

६—३ अधिकारी लगभग ६ माह से कम से नियुक्त हैं।

सूची 'ख'

क्रमांक	पद का नाम	नाम		नया वेतन-क्रम
				रु०
१	लेक्चरर इन लाइन कम्यूनिकेशन	श्रीमती शशिबाला सतेन्द्रा	..	४००—९००
२	लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग	श्री एम० के० सक्सेना	..	,,
३	लेक्चरर इन रेडियो इंजीनियरिंग	श्री अविनाश कुमार	..	,,
४	लेक्चरर इन आर्ट ..	श्री वाई० डी० जखमोला	..	३००—९००
५	जूनियर लेक्चरर इन हिन्दी .. स्टीनोग्राफी एंड टाइप राइटिंग	श्रीमती सुशीला चौधरी	..	१५०—३५०
६	इन्स्ट्रक्टर इन लाइन कम्यूनिकेशन	श्री आर० एन० तिवारी	..	१८०—३८०
७	इन्स्ट्रक्टर इन रेडियो इंजीनियरिंग	श्री टी० एन० श्रीवास्तव	..	,,
८	वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर (इलेक्ट्रीशियन)	श्री बी० एस० यादव		,,
९	वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर (वेल्डिंग) ..	श्री प्रकाश लाल क्वाटरा	..	,,
१०	इन्स्ट्रूमेंट रिपेयरर कम मेकैनिक	श्री बदरल हसन	..	,,
११	स्टूडियो असिस्टेन्ट ..	कु० गंगा पांडेय	..	,,
१२	स्टेनोग्राफर	श्रीमती इन्द्रा सक्सेना	..	१२०—२५०

No. 2555/II-B—65

FROM

B. P. JOSHI,
SACHIV,
UTTAR PRADESH SHASAN.

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, May 14, 1966.

Subject : **Retrenchment of Scheduled Caste employees in consequence of economy measures. Principle regarding—**

APTT (B.) DEPTT.

SIR,

I AM directed to say that a large number of staff in various offices has been rendered surplus due to economy measures launched by Government. The general principle for retrenchment in such cases is "last come, first go". It has been brought to notice that in some offices the juniormost person who happened to be a Scheduled Caste employee, was retrenched notwithstanding the fact that the 18 per cent quota reserved for Scheduled Caste candidates was not complete. It is not intended that the interests of the Scheduled Caste employees should suffer as a result of the schemes of general retrenchment. It has accordingly been decided that :

(1) in the event of reduction in the establishment of an office where the 18 per cent quota reserved for Scheduled Castes is complete, the Juniormost employee should be retrenched irrespective of the fact whether he is a member of the Scheduled Castes or not, and

(2) where the representation of Scheduled Castes in an office is not complete, i.e., it falls below the prescribed quota of 18 per cent, they will *not* be affected by the orders of retrenchment inspite of the fact that they are the juniormost employees in the cadres of a service.

I am to request that action, in future, may kindly be taken in the light of the above decision.

Yours faithfully,
B. P. JOSHI,
Sachiv.

No. 2555(i)/II-B—65

Copy forwarded for information and guidance to :

(1) all Departments of the Secretariat,
(2) the Secretary, Public Service Commission, Uttar Pradesh, Allahabad,
(3) the Secretary to the Governor, Uttar Pradesh, Lucknow,
(4) The Registrar, High Court of Judicature, Allahabad,
(5) all Personal Assistants to the Ministers for the information of the Ministers, and
(6) all Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries.

By order,
G. S. SINGHAL,
Sahayak Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१५६ एल० ए०—१९६७—८४६ ।